

2022

सितंबर

संस्करण



यूपीएससी

मासिक करेंट

अफियस

पत्रिका



अभ्यास प्रश्नों के साथ



Download Our App Now!











Complete Batch

Start Dec 19, 2022

TEST SERIES BILINGUAL



UPSC CSE PRELIMS 2023

Complete Online Test Series

75+ TOTAL TESTS















12 Months Validity

<u>વશાलા 2.0</u> 68th BPSC बिहार PCS Prelims (P.T.) Final Selection batch 12 PM to 4 PM





68th BPSC 2023

Combined Competitive Examination (CCE) **PRELIMS**

70+ TOTAL TESTS

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका सितंबर 2022 Adda 247

प्रस्तावना

यूपीएससी सिविल सेवा (मेन्स) 2022 परीक्षा 16 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है और हाल ही में जारी यूपीएससी कैलेंडर 2023 के अनुसार, सिविल सेवा (प्रीलिम्स) परीक्षा 2023, 28 मई, 2023 को आयोजित की जाएगी। जो लोग यूपीएससी सीएसई 2022 और 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि करेंट अफेयर्स का एक गहन अध्ययन, समझ और पुनरीक्षण होना जरूरी है!

तैयारी को आसान बनाने के लिए, हम उम्मीदवारों के लिए मासिक करेंट अफेयर्स संकलन प्रदान कर रहे हैं। पत्रिका में व्यापक समाचार लेखों का विषय-वार वितरण शामिल है, जो पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस आदि जैसे स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में प्रकाशित महत्वपूर्ण संपादकीय लेखों पर चर्चा करने के लिए एक अलग खंड - 'संपादकीय विश्लेषण' जोड़ा गया है।

इस पत्रिका के अंत में करेंट अफेयर्स एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न भी उपलब्ध कराए गए हैं। करंट अफेयर्स के अपने ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए, उम्मीदवारों को पत्रिका पढ़ने के बाद इन प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए।

"अपने सभी विचारों को उस कार्य पर केंद्रित करें जिसमें भाग लिया जा रहा है। सूर्य की किरणें तब तक नहीं जलाती हैं जब तक उन्हें केंद्रित नहीं किया जाता है।"

— अलेक्जेंडर ग्राहम बेल

सितंबर 2022 || करेंट अफेयर्स पत्रिका

अनुक्रमणिका

भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन	7
• अर्थ गंगा मॉडल	7
• बाल आधार पहल	7
• सतत जल प्रबंधन के लिए बांध सुरक्षा विधेयक	8
• प्रारूप भारतीय बंदरगाह विधेयक	9
• हर घर जल	10
• ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम	11
 ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम ग्रैंड ओनियन चैलेंज 	11
• हर घर तिरंगा अभियान	12
• भारतीय ज्ञान प्रणाली मेला	12
• उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण	13
• मंथन प्लेटफार्म	15
• राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी)	16
• फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी (पीसीआईएम एंड एच)	
• पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	17
• पीएम जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)	18
• प्रशासनिक स्थारों पर श्रेनीय सम्मेलन	10
 संशोधित वितरण क्षेत्र योजना निजता का अधिकार स्कूल इनोवेशन काउंसिल (एसआईसी) स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 	20
• निजता का अधिकार	21
• स्कूल इनोवेशन काउंसिल (एसआईसी)	22
• स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022	22
• सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम	23
• उड़ान योजना	24
अंतर्राष्ट्रीय संबंध	26
• आसियान एवं भारत	26
• एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक	
• ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद	
• चीन-ताइवान संघर्ष	29
• चाबहार बंदरगाह का महत्व	
• भारत-म्यांमार संबंध	31
• भारत-मॉरीशस सीईसीपीए	32
• सब्जियों के लिए भारत-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र	34
• इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम (आईटीएफ)	35

सितंबर 2022 || करेंट अफेयर्स पत्रिका

• नेपाल नागरिकता कानून	36
नेपाल नागरिकता कानूनशरणार्थी नीति	36
• रूस-तुर्की आर्थिक सहयोग	37
• रूस-तुर्की आर्थिक सहयोग अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास	39
• बेनामी कानून	39
• सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)	40
• कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी	41
कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकीआवश्यक वस्तु अधिनियम	42
• एक देश एक उर्वरक योजना	43
• विदेशी निवेश नियम	44
विदेशी निवेश नियमतंग मौद्रिक नीति	44
सामाजिक समस्याएँ	47
• नमस्ते योजना	47
• भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात पर प्यू रिपोर्ट	48
• एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति	49
• 'मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा' पर राष्ट्रीय सम्मेलन	50
 पालन 1000 	50
पर्यावरण और पारिस्थितिकी	52
पर्यावरण और पारिस्थितिकी • हरित वित्त	52
पर्यावरण और पारिस्थितिकी • हरित वित्त • भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)	52 5253
पर्यावरण और पारिस्थितिकी • हरित वित्त • भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)	52 5253
भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल डथेनॉल सम्मिश्रण को समझना	53 54
 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल इथेनॉल सम्मिश्रण को समझना भारत में आर्द्रभूमियां 	53 54 55 56
पर्यावरण और पारिस्थितिकी • हरित वित्त • भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) • नवीन रामसर स्थल • इथेनॉल सम्मिश्रण को समझना • भारत में आर्द्रभूमियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी	53 54 55 56
 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल इथेनॉल सम्मिश्रण को समझना भारत में आर्द्रभूमियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिजी-यात्रा 	53 54 55 56 58
 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल इथेनॉल सम्मिश्रण को समझना भारत में आर्द्रभूमियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिजी-यात्रा 	53 54 55 56 58
 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल इथेनॉल सम्मिश्रण को समझना भारत में आर्द्रभूमियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिजी-यात्रा एंडोसल्फान संकट 	53 54 55 56 58 58
 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल इथेनॉल सिम्मश्रण को समझना भारत में आर्द्रभूमियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिजी-यात्रा एंडोसल्फान संकट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस 	53 54 55 56 58 58 58
 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल इथेनॉल सम्मिश्रण को समझना भारत में आर्द्रभूमियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिजी-यात्रा एंडोसल्फान संकट 	53 54 55 56 58 58 58 59
 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल इथेनॉल सिम्मश्रण को समझना भारत में आर्द्रभूमियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिजी-यात्रा एंडोसल्फान संकट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 	
 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल इथेनॉल सम्मिश्रण को समझना भारत में आर्द्रभूमियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिजी-यात्रा एंडोसल्फान संकट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) 	
 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल इथेनॉल सिम्मश्रण को समझना भारत में आर्द्रभूमियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिजी-यात्रा एंडोसल्फान संकट हाइड्रोजन प्यूल सेल बस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 	
 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल इथेनॉल सम्मिश्रण को समझना भारत में आर्द्रभूमियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिजी-यात्रा एंडोसल्फान संकट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम) 	
 भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) नवीन रामसर स्थल इथेनॉल सिम्मिश्रण को समझना भारत में आर्द्रभूमियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिजी-यात्रा एंडोसल्फान संकट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) 	


सितंबर 2022 || करेंट अफेयर्स पत्रिका

• पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल)	65
पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल	66
• पश्चिमी नील वायरस	67
आंतरिक सुरक्षा	68
• अभ्यास विनबैक्स 2022	68
 अभ्यास विनबैक्स 2022 अभ्यास 'अल नजाह-IV' 	68
• युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2022	69
इतिहास, कला और संस्कृति	
 भारत रंग महोत्सव 2022 	70
 भारत रंग महोत्सव 2022 भारत की उड़ान पहल 	70
• इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज (आईआईएच)	71
 मनुस्मृति 	71
• सूत्र संतित प्रदर्शनी विविध	72
विविध	74
• प्रधानमंत्री का 76 वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन	74
राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह	74
• स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह	75
संपादकीय विश्लेषण	77
• ए टाइमली जेस्चर	77
 ए ट्रिस्ट विद द पास्ट ब्रिन्गिंग यूरेशिया क्लोज़र कूलिंग द टेंपरेचर्स 	77
• ब्रिनिंग यूरेशिया क्लोज़र	78
• कूलिंग द टेंपरेचर्स	79
• हार्ड दृथ्स अबाउट इंडियाज लेबर रिफॉर्म्स	80
• मेर्किंग बेल इंपॉसिबल	
• मूर्विंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पापुलेशन कंट्रोल	81
• रैंकिंग दैट मेक नो सेंस	82
• सोप और वेलफेयर डिबेट	
• स्टीर्किंग टू कमिटमेंट्स, बैलेंसिंग एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट चेंज	84
• द किमंग 75 इयर्स	
• कानून प्रवर्तन के लिए 5जी रोल-आउट के निहितार्थ	
• टू गुड टू बी टू	88
अभ्यास प्रश्नावली	89



यूपीएससी और पीएससी

परीक्षाओं की तैयारी करें



यूपीएससी Adda247 ऐप की विशेषताएं

- ⇒ दैनिक शीर्ष समाचार और हेडलाइंस
- दैनिक करेंट अफेयर्स लेख
- दैनिक संपादकीय विश्लेषण
- \Rightarrow सामान्य अध्ययन नोट्स
- 🕶 दैनिक करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी विस्तृत समाधान के साथ
- → विषयवार जीएस और सीसैट क्विज
- → मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका
- योजना, कुरुक्षेत्र और डाउन टू अर्थ पत्रिकाओं का सार
- संसद टीवी चचिओं का विश्लेषण









Download Our App Now!



भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन

अर्थ गंगा मॉडल

स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक ने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में अपने आभासी मुख्य भाषण के दौरान अर्थ गंगा मॉडल के बारे में बात की।

अर्थ गंगा मॉडल क्या है?

- प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 2019 में कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था।
- उन्होंने गंगा को साफ करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे से अर्थ गंगा के मॉडल में परिवर्तन का आग्रह किया।
- अर्थ गंगा मॉडल नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके गंगा नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर केंद्रित है।
- इसके मूल में, अर्थ गंगा मॉडल लोगों को नदी से जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग करना चाहता है।
- यह गंगा नदी द्रोणी (बेसिन) से ही सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 3% योगदान करने का प्रयास करता है।
- अर्थ गंगा परियोजना के अंतःक्षेप संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं।

विशेषताएँ

अर्थ गंगा मॉडल के तहत सरकार छह कार्यक्षेत्रों पर कार्य कर रही है।

- शून्य बजट प्राकृतिक कृषि जिसमें नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर तक रसायन मुक्त कृषि सम्मिलित है, जिससे किसानों के लिए "अधिक आय, प्रति बूंद", 'गोबर धन' उत्पन्न होता है।
- कीचड़ युक्त अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण एवं पुन: उपयोग जिसमें सिंचाई के लिए उपचारित जल के पुन: उपयोग; शहरी स्थानीय निकायों (अर्बन लोकल बॉडीज/यूएलबी) के लिए औद्योगिक उद्देश्य एवं राजस्व सृजन की परिकल्पना की गई है।
- आजीविका के अवसर जैसे 'घाट में हाट', स्थानीय उत्पादों का प्रचार, आयुर्वेद, औषधीय पौधे, गंगा प्रहरी जैसे स्वयंसेवकों का क्षमता निर्माण।
- हितधारकों के मध्य बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी।
- सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन जो सामुदायिक घाटों, योग, साहसिक पर्यटन इत्यादि को प्रोत्साहित करने तथा गंगा कला के माध्यम से नौ पर्यटन की शुरुआत करता है।
- बेहतर विकेन्द्रीकृत जल प्रशासन के लिए स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाकर संस्थागत निर्माण।

बाल आधार पहल


हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी/यूआईडीएआई) ने चालू वित्त वर्ष के प्रथम चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान 0 - 5 आयु वर्ग में 79 लाख से अधिक बच्चों को नामांकित किया है।

जहां 31 मार्च 2022 के अंत तक 0-5 आयु वर्ग के 2.64 करोड़
 बच्चों के पास बाल आधार था, वहीं जुलाई 2022 के अंत तक
 यह संख्या बढ़कर 3.43 करोड़ हो गई है।

बाल आधार पहल

- बाल आधार के बारे में: 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा बाल आधार जारी किया जाता है।
 - आधार जारी करने में बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट एवं आईरिस) का संग्रह एक प्रमुख विशेषता है क्योंकि इन बायोमेट्रिक्स के वि-अनुलिपिकरण (डी-डुप्लीकेशन) के आधार पर विशिष्टता स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
 - यद्यपि, 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन के लिए, ये बायोमेट्रिक्स एकत्र नहीं किए जाते हैं।
- जारीकर्ता प्राधिकरण: बाल आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया जाता है।
- मुख्य डेटा एकत्रित: 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का आधार नामांकन बच्चे की चेहरे की छवि एवं माता-पिता/अभिभावक के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (वैध आधार होने) के आधार पर किया जाता है।
 - बाल आधार के लिए नामांकन के समय संबंध दस्तावेज (अधिमानतः जन्म प्रमाण पत्र) का प्रमाण एकत्र किया जाता है।
- बाल आधार का रंग: बाल आधार को सामान्य आधार से पृथक करने हेत्, इसे नीले रंग में जारी किया किया गया है।
- वैधता: बाल आधार इस टिप्पणी के साथ जारी किया जाता है
 कि यह तब तक वैध है जब तक कि बच्चा 5 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
 - अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन (मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट/एमबीयू): 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, बच्चे को अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन (एमबीयू) नामक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार सेवा केंद्र में अपना बायोमेट्रिक्स प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 - एमबीयू प्रक्रिया वि-अनुलिपिकरण (डी-डुप्लीकेशन)
 प्रक्रिया से गुजरती है।

- इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात, बच्चे को आधार संख्या में बिना किसी परिवर्तन के सामान्य आधार जारी किया जाता है।
- महत्व: बाल आधार अनेक कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करने में एक सूत्रधार के रूप में कार्य करता है, एवं जन्म से ही बच्चों के लिए एक डिजिटल फोटो पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है।



विशिष्ट पहचान प्राधिकरण- प्रमुख बिंदु

- विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के बारे में: विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) भारत सरकार द्वारा आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
 - इससे पूर्व, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को 2009 में एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से निर्मित किया गया था एवं यह तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था।
- यूआईडीएआई का मूल मंत्रालय: यह तत्कालीन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी/डीईआईटीवाई) के तहत कार्य करता है।
- यूआईडीएआई का उद्देश्य: भारत के समस्त निवासियों के लिए "आधार" नामक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) जारी करना।

यूआईडीएआई का अधिदेश

आधार अधिनियम 2016 के तहत, यूआईडीएआई निम्नलिखित के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है

 आधार जीवन चक्र के सभी चरणों के संचालन एवं प्रबंधन सहित, आधार नामांकन एवं प्रमाणीकरण

- व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया
 एवं प्रणाली विकसित करना तथा
- प्रमाणीकरण एवं पहचान की जानकारी तथा व्यक्तियों के प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा करना।

सतत जल प्रबंधन के लिए बांध सुरक्षा विधेयक

ओडिशा में महानदी बेसिन में हाल की बाढ़ ने बांध सुरक्षा के दोषपूर्ण प्रबंधन को सामने लाया है, जो बाढ़ का शमन करने हेतु ना कि उनका कारण बनने हेतु निर्मित किए गए थे।

एक बांध क्या है?

- बांध एक अवरोध है जो जल के प्रवाह को रोकता है एवं इसके परिणामस्वरूप जलाशय का निर्माण होता है।
- बांध मुख्य रूप से जलविद्युत उत्पादन के लिए निर्मित किए जाते हैं।
- बांधों द्वारा बनाए गए जलाशय न केवल बाढ़ पर रोक लगाते हैं बल्कि सिंचाई, मानव उपभोग, औद्योगिक उपयोग, जलीय कृषि एवं नौगम्यता जैसी गतिविधियों के लिए जल भी उपलब्ध कराते हैं।

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 क्या है?

 अधिनियम आपदाओं को रोकने के लिए बांधों के अनुश्रवण निरीक्षण संचालन एवं रखरखाव को नियंत्रित करता है।

विशेषताएं

- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (नेशनल कमिटी ऑन डैम सिक्योरिटी/एनसीडीएस): इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष करेंगे।
- इसके कार्यों में बांध सुरक्षा मानकों एवं बांध विफलताओं की रोकथाम के संबंध में नीतियां तथा विनियम तैयार करना, प्रमुख बांध विफलताओं के कारणों का विश्लेषण करना एवं बांध सुरक्षा पद्धतियों में बदलाव का सुझाव देना शामिल होगा।
- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी/एनडीएसए): इसका नेतृत्व एक अधिकारी करेगा, जो अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- इस प्राधिकरण के मुख्य कार्य में एनसीडी द्वारा तैयार की गई नीतियों को लागू करना, राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस/एसडीएसओ), या एसडीएसओ एवं उस राज्य में किसी भी बांध स्वामित्व धारी के मध्य मुद्दों को हल करना, बांधों के निरीक्षण एवं जांच के लिए नियमों को निर्दिष्ट करना शामिल है।
- राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ): इसका कार्य सतत निगरानी रखना, निरीक्षण करना, बांधों के संचालन एवं रखरखाव का अनुश्रवण करना, सभी बांधों का डेटाबेस रखना तथा बांधों के स्वामित्व धारकों को सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना होगा।

- बांध सुरक्षा इकाई: निर्दिष्ट बांधों के स्वामित्व धारकों को प्रत्येक बांध में एक बांध सुरक्षा इकाई उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- यह इकाई मानसून सत्र से पूर्व एवं पश्चात में और किसी भी आपदा या संकट के संकेत के दौरान तथा बाद में बांधों का निरीक्षण करेगी।
- आपातकालीन कार्य योजना: बांध स्वामित्व धारकों को एक आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने एवं निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर प्रत्येक बांध के लिए जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करने की अनिवार्यता होगी।
- कितपय अपराध: अधिनियम में दो प्रकार के अपराधों का प्रावधान है - किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना एवं प्रस्तावित कानून के तहत जारी निर्देशों का पालन करने से इनकार करना।

बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)

 भारत सरकार ने विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के साथ अप्रैल 2012 में बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना) डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट/डीआरआईपी) प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य प्रणाली व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ बांध सुरक्षा संस्थागत सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ चयनित मौजूदा बांधों की सुरक्षा एवं परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना है।

निष्कर्ष

- विधेयक का उद्देश्य सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को समान बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में सहायता प्रदान करना है जो बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी एवं ऐसे बांधों से लाभ की रक्षा करेगी।
- विधेयक में मतभेदों एवं मुद्दों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को ध्यान में रखना चाहिए।
- यह भारत में बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक लंबा मार्ग तय करेगा, जो बड़े बांधों की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है।

प्रारूप भारतीय बंदरगाह विधेयक

हाल ही में, सरकार ने बंदरगाह क्षेत्र के लिए ब्रिटिश युग के कानून को संशोधित करने की अपनी योजना के हिस्से के रूप में हितधारक परामर्श के लिए प्रारूप भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2022 जारी किया है।

 भारतीय बंदरगाह विधेयक (आईपी बिल) 2022 का प्रारूप वर्तमान 1908 भारतीय बंदरगाह अधिनियम को निरस्त करने एवं परिवर्तित करने का प्रयास करता है।

प्रारूप भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2022

 प्रारूप भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2022 के बारे में: बंदरगाहों पर प्रदूषण की रोकथाम एवं परिरोधन हेतु बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को समेकित तथा संशोधित करने के लिए इसे तैयार किया गया है।

- इसका उद्देश्य समुद्री संधियों एवं अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के तहत देश के दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करना है, जिसमें भारत एक पक्षकार है।
- प्रमुख उद्देश्य: प्रारूप भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 मौजूदा 1908 के अधिनियम को निरस्त करने तथा प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। प्रस्तावित विधेयक के प्राथमिक उद्देश्य चार प्रकार के हैं:
 - विशुद्ध रूप से परामर्शी एवं अनुशंसात्मक ढांचे के माध्यम से राज्यों का आपस में तथा केंद्र-राज्यों के मध्य एकीकृत योजना को प्रोत्साहित करना: 3
 - अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत भारत के दायित्वों को सम्मिलित करते हुए भारत में सभी बंदरगाहों के लिए प्रदुषण उपायों की रोकथाम सुनिश्चित करना;
 - तेजी से वृद्धि करते बंदरगाह क्षेत्र के लिए आवश्यक विवाद समाधान ढांचे में किमयों को दूर करना;
 - डेटा के उपयोग के माध्यम से विकास एवं अन्य पहलुओं में पारदर्शिता तथा सहयोग प्रारंभ करना।



ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट्स बिल, 2022

भारतीय बंदरगाह विधेयक 2022 निम्नलिखित हेतु तैयार किया गया है-

- समुद्री संधियों एवं अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत देश के दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित करना, जिसमें भारत एक पक्षकार है;
- बंदरगाहों के संरक्षण के उपाय करना;
- भारत में गैर-प्रमुख बंदरगाहों के प्रभावी प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों को सशक्त बनाना तथा स्थापित करना;
- बंदरगाह संबंधी विवादों के निवारण के लिए न्यायनिर्णय तंत्र प्रदान करना एवं बंदरगाह क्षेत्र के संरचित वृद्धि तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करना, एवं

- भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, जैसा आवश्यक हो, तथा
- उसके अनुषंगी एवं आनुषंगिक या उससे जुड़े मामलों के लिए उपबंध करना।

प्रारूप भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2022- प्रमुख विशेषताएं

- प्रस्तावित विधेयक अनावश्यक विलंब, असहमति एवं जिम्मेदारियों को परिभाषित करके व्यापारिक सुगमता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र के विकास को समरूप एवं सुव्यवस्थित करेगा।
- यह राष्ट्रीय ढांचे में राज्य समुद्री बोर्डों को सम्मिलित करेगा।
- इसके अतिरिक्त, समुद्री राज्य विकास परिषद सहकारी संघवाद सुनिश्चित करेगी जहां केंद्र बम राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें देश के लिए प्रगतिशील रोड मैप तैयार करने की दिशा में मिलकर कार्य करेंगी।
- अधिनियम के अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया गया है अथवा समकालीन प्रावधानों से प्रतिस्थापित कर दी गई हैं।

हर घर जल

हाल ही में, गोवा एवं दादरा तथा नगर हवेली एवं दमन तथा दीव (डी एंड एनएच एंड डी एंड डी) देश में क्रमशः प्रथम 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं।


'हर घर जल' प्रमाणित प्रथम राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश

- गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव (डी एंड एनएच एंड डी एंड डी) में, सभी गांवों के लोगों ने ग्राम सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को 'हर घर जल' घोषित किया है।
- इन प्रस्तावों के माध्यम से, ग्राम सभाओं ने प्रमाणित किया कि
 गांवों के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध
 है, यह सुनिश्चित करते हुए कि 'कोई भी छूटा नहीं है'।
- गोवा के सभी 2.63 लाख ग्रामीण परिवारों तथा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के 85,156 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की पहुंच है।
- सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों, आश्रम शालाओं एवं अन्य सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक संस्थानों में अब नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल की पहुंच है।

'हर घर जल' प्रमाणन प्रक्रिया

- प्रमाणन प्रक्रिया: जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका में प्रमाणन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है।
 - मार्गदर्शिका के अनुसार सर्वप्रथम क्षेत्र अभियंता (फील्ड इंजीनियर) ग्राम सभा की बैठक के दौरान पंचायत को जलापूर्ति योजना के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

- ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से गाँव इस बात की पृष्टि करते हैं कि प्रत्येक घर को निर्धारित गुणवत्ता के पेयजल की नियमित आपूर्ति हो रही है एवं एक भी घर नहीं छूटा है।
- वे यह भी पृष्टि करते हैं कि सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों
 पता अन्य सार्वजिनक संस्थानों को भी नल का पानी मिल रहा है।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (विलेज वॉटर एंड सैनिटेशन कमेटी/वीडब्ल्यूएससी) या पानी समिति: गोवा के सभी 378 गांवों तथा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के 96 गांवों में इसका गठन किया गया है।
 - ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति 'हर घर जल' कार्यक्रम के तहत विकसित जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के संचालन, रखरखाव एवं मरम्मत हेतु उत्तरदायी है।
 - ग्राम पंचायत की इस उपसमिति के पास उपभोक्ता शुल्क वसूलने की भी जिम्मेदारी है जिसे बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
 - इन उपयोक्ता प्रभारों का उपयोग पंप संचालक के मानदेय का भुगतान करने तथा समय-समय पर मामूली मरम्मत कार्य करने के लिए किया जाएगा।
- जल की गुणवत्ता: यह मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है एवं इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गांव में कम से कम पांच महिलाओं को जल परीक्षण करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।
 - आज देश में 10 लाख से अधिक महिलाओं को ग्रामीण घरों
 में आपूर्ति किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के
 लिए फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करने के लिए
 प्रशिक्षित किया गया है।
 - ् इन महिलाओं द्वारा फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) का उपयोग करके जल के 57 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है।



जल जीवन मिशन

- जल जीवन मिशन के बारे में: जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसकी घोषणा 15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से की गई थी।
- अधिदेश: जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता एवं नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के जल की आपूर्ति का प्रावधान करना है।
- कार्यान्वयन: यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है।
- प्रदर्शन: देश में 52% से अधिक ग्रामीण परिवार अब नल के जल से जुड़े हैं, जो 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय मात्र 17% था।
- वित्त पोषण: जल जीवन मिशन के तहत 'हर घर जल' के लिए केंद्रीय बजट 2022 के तहत चालू वित्त वर्ष में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम

हाल ही में, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन मंत्री ने लोकसभा में ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम के बारे में विभिन्न विवरण प्रदान किए।

ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम

- ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम के बारे में: ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम के तहत, अन्य देशों में भारत के त्योहारों का आयोजन लोक कला एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शनियों, नृत्य, संगीत, रंगमंच, भोजन उत्सव, साहित्यिक उत्सव, फिल्म उत्सव, योग इत्यादि का प्रदर्शन करने हेतु किया जाता है।
- मूल मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय द्वारा ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।
- योजना के तहत अनुदान: योजना के तहत, संस्कृति मंत्रालय भारत-विदेश मैत्री सांस्कृतिक सिमितियों को विदेशों में उनके प्रचार के लिए लोक कला एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों सिहत कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान भी प्रदान करता है।
- योजना के घटक: ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम में निम्नलिखित तीन घटक हैं-
 - भारत के त्योहार
 - सहायता अनुदान भारतीय विदेशी सांस्कृतिक सोसायटी योजना
 - अंशदान अनुदान (सीईपी के तहत भारतीय संगठनों एवं प्रतिनिधिमंडलों को अंशदान)। यह घटक निम्नलिखित हेतु है-

- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यथा ICROM, यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज फंड की सदस्यता के लिए भारतीय योगदान तथा
- भारतीय भागीदारी एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी को सुगम बनाना।

देश में भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन- क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी)

- क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जोनल कल्चरल सेंटर्स/जेडसीसी): देश भर में लोक कला एवं संस्कृति के विभिन्न रूपों की रक्षा, संरक्षण तथा प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए गए हैं।
 - इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) का मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर एवं तंजावुर में स्थित है।
- प्रमुख भूमिका: संपूर्ण भारत के लोक कलाकार भारत के समस्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नियमित रूप से इन जेडसीसी द्वारा आयोजित त्योहारों तथा कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने हेतु संलग्न हैं।
 - इसके अतिरिक्त, लोक कलाकारों को भी भारत के त्योहारों
 में प्रदर्शन करने के लिए विदेश भेजा जाता है।
 - इन कलाकारों को संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा महंगाई भत्ता, मानदेय, बोर्डिंग एवं लॉजिंग, स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

ग्रैंड ओनियन चैलेंज

हाल ही में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने "ग्रैंड ओनियन चैलेंज" के संबंध में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

ग्रैंड ओनियन चैलेंज

- ग्रैंड ओनियन चैलेंज के बारे में: ग्रैंड ओनियन चैलेंज देश में कटाई के पश्चात प्याज की कटाई पूर्व तकनीकों, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण एवं परिवहन में सुधार के लिए उत्पाद डिजाइन तथा प्रोटोटाइप में युवा पेशेवरों, प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों से विचार आमंत्रित करता है।
 - चुनौती निर्जलीकरण, प्याज के मूल्य निर्धारण एवं प्याज खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के लिए विचारों की भी तलाश करती है।
- उद्देश्य: देश में कटाई के पश्चात प्याज की क्षिति को कम करने के लिए कम लागत एवं सरलता से अनुकरणीय प्रौद्योगिकी समाधान का विकास करना।
- संबंधित विभाग: ग्रैंड ओनियन चैलेंज का प्रारंभ उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा किया गया है।
- आवेदन के लिए समय अवधि: देश में सर्वोत्तम मस्तिष्क से उपरोक्त सभी डोमेन में विचारों की तलाश में चुनौती 20.7.2022-15.10.2022 से खुली हुई है।

- चयन प्रक्रिया: विभाग चार कार्यक्षेत्रों में 40 उत्तम विचारों का चयन करेगा जिसमें सुधार एवं प्रौद्योगिकी नवाचारों की मांग की जाती है।
 - देश में संबंधित विभागों तथा संगठनों से विचार प्रस्तुत करने का आग्रह किया जाता है ताकि प्याज की कटाई पूर्व, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण एवं परिवहन में होने वाली क्षति को बचाने के लिए लागत प्रभावी समाधान विकसित किया जा सके।
 - इस प्रक्रिया में आत्मिनभिर भारत कार्यक्रम का भी समर्थन किया जाता है।
- महत्व: यह अपेक्षा की जाती है कि ग्रैंड ओनियन चैलेंज के पश्चात,
 नवीन विचारों के कारण प्याज के भंडारण में होने वाले नुकसान
 को 5-10% तक कम किया जा सकता है।

हर घर तिरंगा अभियान

हाल ही में, सरकार ने घोषणा की कि सभी डाकघर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज के विक्रय एवं वितरण की सुविधा के लिए स्वतंत्रता दिवस 2022 से पूर्व अवकाश पर कार्य करेंगे।

- सार्वजनिक अवकाश अर्थात 7,9 और 14 अगस्त 2022 को डाकघरों में कम से कम एक काउंटर के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज के विक्रय हेतु विशेष व्यवस्था की जाएगी।
- सभी सुपुर्दगी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज के वितरण की भी विशेष व्यवस्था की जाएगी।

हर घर तिरंगा अभियान

- 'हर घर तिरंगा' अभियान के बारे में: 'हर घर तिरंगा' अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में लोगों को तिरंगा घर लाने एवं भारत की आजादी के 75 वें वर्ष को चिह्नित करने के लिए झंडोत्तोलन हेतु (इसे फहराने के लिए) प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान है।
 - हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार नागरिकों से आग्रह कर रही है कि वे 13 से 15 अगस्त के मध्य अपने घरों में राष्टीय ध्वज प्रदर्शित करें अथवा झंडोत्तोलन करें।
- उद्देश्य: पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना एवं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करना है।
- आयोजक मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है।
- महत्व: स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर लाना इस प्रकार न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध का एक कार्य बल्कि राष्ट्र-निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है।

राष्ट्रीय ध्वज को कैसे मोड़ें?

संस्कृति मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय ध्वज को सही ढंग से मोड़ने के लिए चार चरण भी निर्धारित किए।

- चरण 1: भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्षैतिज रूप से रखा जाना चाहिए।
- चरण 2: केसरिया एवं हरे रंग की पट्टियों को सफेद पट्टी के नीचे मोड़ा जाना चाहिए।
- चरण 3: इसके पश्चात सफेद पट्टी को इस प्रकार से मोड़ना होगा
 िक केवल अशोक चक्र केसरिया (भगवा) एवं हरे रंग की पट्टियों
 के साथ दिखाई दे।
- चरण 4: मुड़े हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए इसे बाहों या हथेलियों में ले जाने की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय ध्वज को नियंत्रित करने वाले नियम एवं विनियम

 'भारतीय ध्वज संहिता 2002' एवं राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 भारत में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन तथा झंडोत्तोलन को नियंत्रित करता है।

राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण हेतु किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है?

- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को 30 दिसंबर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया था एवं पॉलिएस्टर से निर्मित ध्वज या मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति दी गई है।
- अब, राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए एवं हाथ से बुने हुए या मशीन से बने,सूती/पॉलिएस्टर/ऊन/रेशम/खादी की पट्टी से बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय ध्वज कहाँ एवं <mark>कब</mark> फहराया जा सकता है?

- भारतीय ध्वज संहिता के परिच्छेद (पैराग्राफ) 2.2 के अनुसार, सार्वजिनक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा एवं सम्मान के अनुसार सभी दिनों या अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है / प्रदर्शित कर सकता है।
- 20 जुलाई, 2022 को एक आदेश के माध्यम से एक संशोधन ने राष्ट्रीय ध्वज को दिन एवं रात में जनता के घर पर फहराने या खुले में प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की।
 - इस संशोधन से पूर्व केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक तिरंगा फहराने की अनुमति थी।

भारतीय ज्ञान प्रणाली मेला

हाल ही में, शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार ने नई दिल्ली में भारतीय ज्ञान प्रणाली मेले के समापन सत्र को संबोधित किया।

भारतीय ज्ञान प्रणाली मेला

- भारतीय ज्ञान प्रणाली मेला के बारे में: राष्ट्रीय शैक्षिक नीति-2020 (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी/एनईपी 2020) के दो महत्वपूर्ण वर्षों के सफल समापन के उपलक्ष्य में भारतीय ज्ञान प्रणाली मेला का आयोजन किया जा रहा है।
- आयोजन एजेंसी: भारतीय ज्ञान प्रणाली मेला का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भारतीय ज्ञान प्रणाली (इंडियन नॉलेज सिस्टम्स/आईकेएस) प्रभाग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन/एआईसीटीई द्वारा किया जा रहा है।
- अधिदेश: भारतीय ज्ञान प्रणाली मेला का उद्देश्य एनईपी 2020 पर विशेषज्ञों के साथ गहनता से जुड़ना एवं विभिन्न पहलों, नीतियों तथा सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में सीखना है।
- प्रारंभ की गई प्रमुख पहल: आईकेएस डिवीजन ने प्रमुख पहलों की घोषणा की जैसे-
 - प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए आईकेएस-एमआईसी कार्यक्रम,
 - स्थानीय कलाओं को प्रोत्साहित करने एवं समर्थन करने के लिए 750+ स्कुलों में कलाशाला पहल का प्रारंभ तथा
 - विद्यालयों में 75 भारतीय खेलों की शुरूआत।

भारतीय ज्ञान प्रणाली मेला- प्रमुख उद्देश्य

- भारतीय ज्ञान प्रणाली की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की स्वीकृति के दो वर्ष पश्चात की उपलब्धियों को प्रस्तुत करना।
- शिक्षा के स्वदेशीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय आत्म निरीक्षण एवं आत्म-खोज के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भाषवन (BhaSVAn) - भारत स्वाध्याय आंदोलन नामक एक आंदोलन बनाना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक साझा भारतीय पहचान निर्मित करने का आधार बनाना।
- यह सामान्य मूल्यों को बनाए रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों के कौशल, कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों की प्रस्तुति के माध्यम से उत्कृष्टता, अभिन्न विकास तथा विविधता में एकता के उत्सव को प्रोत्साहित करेगा।
- एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करना जो विभिन्न मंत्रालयों को एनईपी 2020 में आईकेएस के आधार पर पहल करने के लिए भारतीय पहचान को सह-विकसित करने हेतु एक साथ लाएगा।

भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) प्रभाग

- भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) प्रभाग के बारे में: भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) एआईसीटीई, नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन/एमओई) के तहत एक अभिनव प्रभाग (सेल) है।
 - o IKS डिवीजन की स्थापना 2020 में हुई थी।
- प्रमुख कार्य: भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) प्रभाग निम्नलिखित कार्यों के संपादन हेत् संलग्न है-

- आईकेएस के समस्त पहलुओं पर अंतःविषय अनुसंधान को प्रोत्साहित करना,
- और अधिक शोध कार्य एवं सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए आईकेएस को संरक्षित तथा प्रसारित करना.
- कला एवं साहित्य, कृषि, मूलभूत विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, प्रबंधन, अर्थशास्त्र इत्यादि के क्षेत्र में हमारे देश की समृद्ध विरासत तथा पारंपरिक ज्ञान के प्रसार में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।
- मूल मंत्रालय: भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) प्रभाग शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

महत्वपूर्ण कार्य:

- विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों सहित भारत एवं विदेशों में विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए IKS आधारित / संबंधित अंतर तथा अंतःविषय कार्यों को सुगम बनाना एवं समन्वय करना तथा निजी क्षेत्र के संगठनों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करना।
- संस्थानों, केंद्रों एवं वैयक्तिक शोधकर्ताओं के विषयवार अंतःविषय अनुसंधान समूहों की स्थापना, मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण करना।
- लोकप्रियकरण योजनाएं निर्मित करना एवं प्रोत्साहित करना।
- विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना एवं अनुसंधान करने के लिए तंत्र विकसित करना।
- आईकेएस को प्रोत्साहित करने हेतु जहां कहीं भी आवश्यक हो, नीतिगत संस्तुतियां प्रस्तुत करना।

उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण

हाल ही में, शिक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (नेशनल एजुकेशन पॉलिसी/एनईपी) -2020 के अधिदेश के अनुसार उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में सुचित किया।

उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को वैश्विक अध्ययन गंतव्य एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न उपायों को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए-

- उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों (हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस/एचईआई) के साथ शोध / शिक्षण सहयोग एवं संकाय / छात्र आदान-प्रदान की सुविधा तथा विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना;
- उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना;

- विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी;
- विदेश से आने वाले छात्रों के स्वागत तथा सहयोग के लिए प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना;
- प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान के लिए आवश्यकता के अनुसार, जहां
 भी उपयुक्त हो, विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित क्रेडिट की
 गणना करना; तथा
- विषयों में पाठ्यक्रम तथा कार्यक्रम, जैसे भारतीय विद्या (इंडोलॉजी), भारतीय भाषाएं, आयुष औषधियों की प्रणाली, योग, कला इत्यादि।

उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की संस्तुतियों के अनुरूप, उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सुदृढ़ करने हेतु अनेक उपाय प्रारंभ किए गए हैं, जैसे:

- जुलाई, 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन/यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर दिशानिर्देश अधिसुचित किए गए थे।
 - इसमें विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले विश्वविद्यालयों के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय तथा पूर्ववर्ती छात्र संपर्क प्रभाग की स्थापना जैसे प्रावधान सम्मिलित हैं।
- 179 विश्वविद्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए कार्यालय स्थापित किए हैं एवं 158 विश्वविद्यालयों ने पूर्ववर्ती छात्र संपर्क प्रभाग स्थापित किए हैं।
- शैक्षणिक सहयोग: भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के मध्य अकादिमक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2022" को 2022 में अधिसूचित किया गया है।
- गिफ्ट सिटी, गुजरात में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमित होगी।
 - ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी/IFSCA) के नियमों को छोड़कर,घरेलू नियमों से मुक्त होंगे।
 - इसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं एवं प्रौद्योगिकी के लिए उच्च अंत मानव संसाधनों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है।
- ऑफशोर कैंपस: यूजीसी इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन में संशोधन किया गया है ताकि इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस को ऑफ-शोर कैंपस स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बारे में मुख्य बिंदु

- यह हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है। पूर्ववर्ती दो शिक्षा नीतियों को 1968 एवं 1986 में प्रारंभ किया गया था।
 - यह राष्ट्रीय नीति 34 वर्षों के अंतराल के पश्चात आई है।
- यह कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
- इसने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया।
- यह **5+3+3+4 पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक संरचना** का प्रस्ताव करता है।

चरण	वर्ष	कक्षा	विशेषताएँ
आधारभूत	3-8	3 वर्ष पूर्व- प्राथमिक एवं 1-2	लचीली, बहु-स्तरीय, गतिविधि-आधारित शिक्षण
प्रारंभिक	9- 11	3-5	हल्की पाठ्यपुस्तकें, अधिक औपचारिक किंतु संवादात्मक कक्षा शिक्षण
मध्य	12- 14	6-8	अधिक अमूर्त अवधारणाओं, अनुभवात्मक अधिगम को सीखने के लिए विषय शिक्षकों का प्रारंभ
माध्यमिक	15- 18	9-12	पूर्णता से पढ़ना, आलोचनात्मक विचार, जीवन की आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान देना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कार्यान्वयन

• भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया/एचईसीआई) नामक एक शीर्ष निकाय होगा, जो निम्नलिखित निकायों के मध्य विवादों का समाधान करेगा।

निकाय	विशेषताएं
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण(नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी/NHERA)	हल्का किंतु सख्त विनियमन
राष्ट्रीय प्रत्यायन आयोग (नेशनल एक्रीडिटेशन कमीशन/NAC)	मेटा-मान्यता प्राप्त एजेंसी
उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन/HEGC)	वित्तपोषण के लिए उत्तरदायी

सामान्य शिक्षा परिषद (जनरल एजुकेशन काउंसिल/GEC)

उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित शिक्षण परिणामों की रूपरेखा तैयार करना।

मंथन प्लेटफार्म

हाल ही में, भारत सरकार (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया) के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर/PSA) के कार्यालय ने मंथन प्लेटफॉर्म के शुभारंभ की घोषणा की।

- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय को देश के भीतर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों को सक्षम तथा सशक्त बनाने का दृष्टिकोण सौंपा गया है।
- मंथन मंच भारत की आजादी के 75 वर्ष का उत्सव मनाता है - आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय एवं वैश्विक समुदायों को भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति के करीब लाने का अवसर प्रस्तुत करता है।

मंथन प्लेटफॉर्म

- मंथन प्लेटफार्म के बारे में: मंथन मंच विशिष्ट है एवं हमारे धारणीयता लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नवोन्मेषी विचारों, आविष्कारशील मस्तिष्कों एवं सार्वजनिक-निजी-अकादिमक सहयोग के माध्यम से हमारे देश को रूपांतरित करने हेतु आवश्यक आधार प्रदान करेगा।
- अधिदेश: मंथन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में उद्योग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य व्यापक स्तर पर सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
 - यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स/एसडीजी) चार्टर के साथ संरेखण में भारत के धारणीयता लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- कार्यान्वयन: भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) का कार्यालय मंथन प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित कर रहा है।
 - मंथन प्लेटफार्म एनएसईआईटी लिमिटेड द्वारा संचालित है जो इसका विश्वसनीय ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भागीदार है।

मंथन प्लेटफार्म का महत्व

 मंथन प्लेटफॉर्म मांग पक्ष एवं आपूर्ति पक्ष उपयोगकर्ताओं के मध्य व्यापक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है।

- यह विचारों को पल्लवित होने में सहायता करेगा, समुदायों
 को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी एवं ऐसे परिणाम देने में
 सहायता करेगा जो राष्ट्र को अनेक एवं शानदार अध्यायों
 की ओर ले जा सकते हैं।
- मंथन नवीन अवधारणाओं, विज्ञान के नेतृत्व वाले विचारों तथा नवीन प्रौद्योगिकी के परिणामों को संपूर्ण देवी में तेजी से अपनाने में सहायता करेगा।
- मंथन प्लेटफॉर्म भविष्य के विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले विकास के लिए एक रूपरेखा विकसित करने हेतु सूचना विनिमय सत्रों, प्रदर्शनियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान हस्तांतरण एवं अंतः क्रिया की सुविधा प्रदान करेगा।
- मंथन हितधारकों के मध्य अंतः क्रिया में वृद्धि करने, अनुसंधान तथा नवाचार की सुविधा प्रदान करने एवं विभिन्न उदीयमान प्रौद्योगिकियों तथा वैज्ञानिक अंतःक्षेपों में चुनौतियों को साझा करने हेतु सशक्त करेगा, जिसमें वे सभी सम्मिलित हैं जो सामाजिक प्रभाव डालते हैं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के बारे में प्रमुख तथ्य

- आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में: आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष एवं इसके लोगों, संस्कृति तथा उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने एवं स्मरण करने की एक पहल है।
 - आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक पहचान के बारे में जो भी प्रगतिशील है, उसका मूर्त रूप है।
- भारत के लोगों का उत्सव मनाना: आजादी का अमृत महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है, जिन्होंने भारत को उसकी विकास यात्रा में इस स्थान तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - भारत के लोग भी आत्मिनभर भारत की भावना से प्रेरित होकर भारत 2.0 को सिक्रिय करने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को सक्षम करने की शक्ति एवं क्षमता रखते हैं।
- आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ: "आजादी का अमृत महोत्सव" की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को आरंभ हुई, जो हमारी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती को प्रारंभ करती है।
- श्रेणीबद्ध करें: आजादी का अमृत महोत्सव को पांच श्रेणियों में मनाए जाने की कल्पना की गई है-
 - स्वतंत्रता संग्राम (फ्रीडम स्ट्रगल),
 - o विचार (आइडिया) @ 75,
 - उपलब्धियां (अचीवमेंट्स) @ 75,
 - o कार्रवाई (एक्शन) @ 75 एवं
 - ० समाधान (रिसॉल्व) @75

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

हाल ही में, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड/NFDB) ने लेक्चर हॉल, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में अपनी शासी निकाय की 9वीं बैठक आयोजित की।

एनएफडीबी शासी निकाय की 9वीं बैठक- प्रमुख कार्यक्रम

- बेस्ट प्रैक्टिस बुक: राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा 75 वें स्वतंत्रता दिवस- आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में प्रकाशित "भारतीय मत्स्य पालन से सुपर सफलता की कहानियां" (सुपर सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम फिशरीज) का विमोचन किया गया। इसके उद्देश्य हैं-
 - लघु स्तर के कृषि क्षेत्र द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीकों,
 नवोन्मेषी विचारों का प्रसार तथा
 - संपूर्ण देश में एक वृहत्तर आबादी, सफल मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि पद्धतियों के लिए पहल को प्रोत्साहन का विस्तार।
- "एक्का बाजार" ऐप: इसे आईसीएआर-सीआईएफए द्वारा पीएमएमएसवाई के तहत एनएफडीबी के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया है।
 - ऐप मत्स्य पालक किसानों एवं हितधारकों को मछली के बीज, चारा, दवाओं इत्यादि जैसे आदान के स्रोत एवं मत्स्य संस्कृति हेतु आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ किसानों को बिक्री के लिए टेबल आकार की मछली की सूची बनाने में सहायता प्रदान करेगा।
 - यह एक बाजार स्थल है जो जलीय कृषि क्षेत्र में सम्मिलित विभिन्न हितधारकों को जोड़ता है।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (ए<mark>नएफडीबी</mark>)

- राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के बारे में: राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड/एनएफडीबी) की स्थापना 2006 में देश में मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने एवं एकीकृत तथा समग्र रीति से मत्स्य पालन विकास के समन्वय हेत की गई थी।
- मूल मंत्रालय: एनएफडीबी को मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।
- मिशन: राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) निम्नलिखित मिशनों के साथ कार्य करता है-
 - मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से मात्स्यिकी क्षेत्र का समग्र विकास;
 - बढ़ती जनसंख्या के लिए पौष्टिक प्रोटीन की पूर्ति करना;
 - देश में स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, निर्यात, रोजगार एवं पर्यटन में सुधार के अतिरिक्त देश की समग्र अर्थव्यवस्था में गित लाना।

- मुख्य कार्य: राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं-
 - मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि (उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन एवं विपणन) पर ध्यान केंद्रित करना।
 - प्राकृतिक जलीय संसाधनों का सतत प्रबंधन एवं संरक्षण प्राप्त करना।
 - मात्स्यिकी से उत्पादन एवं उत्पादकता को इष्टतम बनाने के लिए शोध एवं विकास के आधुनिक उपकरणों को लागू करना।
 - प्रभावी मात्स्यिकी प्रबंधन तथा इष्टतम उपयोग के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तंत्र प्रदान करना।
 - मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षण एवं सशक्तिकरण तथा पर्याप्त रोजगार सृजित करना।
 - खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की दिशा में मछली के योगदान में वृद्धि करना।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) - प्रमुख उद्देश्य

- ध्यान केंद्रित करने एवं पेशेवर प्रबंधन के लिए मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि से संबंधित गतिविधियों को लाना।
- केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित किए गए मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ समन्वय करना।
- मत्स्यन एवं मत्स्य पालन के उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण,
 भंडारण, परिवहन एवं विपणन में सुधार करना।
- मत्स्य भंडार सहित प्राकृतिक जलीय संसाधनों के सतत प्रबंधन एवं संरक्षण को प्राप्त करना।
- मत्स्य पालन से उत्पादन तथा उत्पादकता को अनुकूलित करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी सहित शोध एवं विकास के आधुनिक उपकरणों को लागू करना।
- मत्स्य पालन के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा तंत्र प्रदान करना एवं उनका प्रभावी प्रबंधन तथा इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- पर्याप्त रोजगार सृजित करना।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षित करना एवं सशक्त बनाना।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में मछली के योगदान में वृद्धि करना।

फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी (पीसीआईएम एंड एच)

हाल ही में, भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी (फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी/पीसीआईएम एंड एच) के लिए भेषज आयोग (फार्माकोपिया कमीशन) की स्थापना की है।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी (पीसीआईएम एंड एच) के लिए भेषज आयोग

- भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी (पीसीआईएम एंड एच) के लिए भेषज आयोग के बारे में: आयोग को प्रारंभ में 2010 में भारतीय चिकित्सा (पीसीआईएम) के लिए भेषज आयोग के रूप में स्थापित किया गया था एवं उसी वर्ष बाद में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था।
- मूल मंत्रालय: भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए भेषज आयोग (पीसीआईएम और एच) आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
- पीसीआईएम एंड एच का गठन: यह भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी (पीसीआईएम एंड एच) के भेषज आयोग एवं दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं को मिलाकर बनाया गया है-
 - भारतीय चिकित्सा के लिए भेषज प्रयोगशाला (पीएलआईएम), गाजियाबाद एवं
 - o होम्योपैथिक भेषज प्रयोगशाला (HPL)

महत्वपूर्ण कार्य:

- आयोग आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथिक दवाओं के लिए भेषज मानकों के विकास में संलग्न है।
- पीसीआईएम एंड एच भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी
 प्रणालियों के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय
 प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य कर रहा है।

भारतीय चिकित्सा के लिए भेषज आयोग - प्रमुख उद्देश्य

गुणवत्ता मानक

- 'भारतीय औषधि' एवं 'होम्योपैथी' की दवाओं/सूत्रीकरण के लिए भेषज संग्रह (फार्माकोपिया) विकसित करना
- 'भारतीय चिकित्सा' के सूत्र विकसित करना
- प्रकाशित भेषज संग्रह एवं सूत्र-संहिता (फॉर्मूलरीज) को परिशोधित/अद्यतन/संशोधित करना जैसा आवश्यक समझा जाए
- पीसीआईएम एंड एच के कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित फार्माकोपिया / 'भारतीय औषधि' एवं 'होम्योपैथी' के सूत्रीकरण तथा अन्य संबंधित वैज्ञानिक / नियामक सूचनाओं हेतु सारांश पूरक प्रकाशित करना

• शीर्ष प्रयोगशाला

- 'भारतीय चिकित्सा' एवं 'होम्योपैथी' के लिए केंद्रीय औषधि
 परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य करना
- औषधि नियामक प्राधिकरणों एवं 'भारतीय चिकित्सा' तथा
 'होम्योपैथी' से संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण में संलग्न कर्मियों
 को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना
- 'भारतीय चिकित्सा' एवं 'होम्योपैथी' एवं औषधि अनुसंधान की दवाओं / सूत्रीकरण के गुणवत्ता आश्वासन पर जागरूकता को प्रोत्साहित करना एवं बढ़ावा देना

• प्रामाणिक संदर्भ सामग्री कोष

- 'भारतीय चिकित्सा' एवं 'होम्योपैथी' में प्रयुक्त कच्चे माल का एक प्रामाणिक संदर्भ कच्चे माल (आरआरएम) भंडार अनुरक्षित रखना
- 'भारतीय औषधि' एवं 'होम्योपैथी' की दवाओं / सूत्रीकरण के लिए स्थापित चिकित्सीय महत्व के साथ रासायनिक अर्धांश के एक प्रामाणिक संदर्भ रासायनिक मार्कर (आरसीएम) रिपोजिटरी को अनुरक्षित रखना

• विविध

पीसीआईएम एंड एच के कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित
'सरकार' के अन्य कानूनों/योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ-साथ
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एवं उसके तहत नियमों
के प्रावधानों के कार्यान्वयन/प्रवर्तन को प्रचारित/प्रोत्साहित
करने/सुधारने के लिए किसी भी गतिविधि का प्रयोग करना।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) - प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) के बारे में: राष्ट्रीय आयुष मिशन (नेशनल आयुष मिशन/NAM) आयुष मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2014 में विमोचित किया गया था।
 - राष्ट्रीय आयुष मिशन केंद्र सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है।
- कार्यान्वयन: 12वीं योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) प्रारंभ किया गया।
- अधिदेश: राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों को प्रोत्साहित करना है-
 - लागत प्रभावी आयुष सेवाएं,
 - शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना,
 - आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी तथा होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन को सुगम बनाना एवं
 - आयुष कच्चे माल की सतत उपलब्धता।

पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

सरकार ने 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)' के नामकरण के साथ 'जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता' (स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब-स्कीम/एससीए टू टीएसएस) की पिछली योजना को संशोधित किया है।

पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

 पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के बारे में: पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) का उद्देश्य केंद्रीय अनुसूचित जनजाति घटक में विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्त के साथ उल्लेखनीय आदिवासी आबादी वाले गांवों में अंतराल को कम करना तथा बुनियादी ढांचा प्रदान करना है।

- कार्यान्वयन अवधि: 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)' 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू की जाएगी।
- मूल मंत्रालय: जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)' का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- आच्छादन: प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) की परिकल्पना इस अवधि के दौरान अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों के साथ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम 50% जनजातीय आबादी एवं 500जनजातीय आबादी वाले 36,428 गांवों को सम्मिलित करने हेतु की गई है।
- वित्तपोषण: पीएमएएजीवाई के तहत प्रशासनिक व्ययों सहित अनुमोदित क्रियाकलापों के लिए प्रति गांव 20.38 लाख रुपए की राशि का प्रावधान 'गैप-फिलिंग' के रूप में किया गया है।
 - आगामी 5 वर्षों में योजना के लिए कैबिनेट द्वारा 7,276 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत अभिनिर्धारित किए गए गांवों में आधारिक अवसंरचना एवं सेवाओं की संतृप्ति के लिए केंद्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति घटक (शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट/एसटीसी) निधि एवं उनके पास उपलब्ध अन्य वित्तीय संसाधनों के रूप में संसाधनों के अभिसरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) - प्रमुख उद्देश्य

- एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास: प्रधान मंत्री आदि आदर्श
 ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से
 चयनित गांवों के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त
 करना है। इसमें निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं-
 - आवश्यकताओं, संभावनाओं एवं आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार करना;
 - केंद्र/राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ योजनाओं के आच्छादन को अधिकतम करना;
 - स्वास्थ्य, शिक्षा, संपर्क एवं आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना;
- अंतराल को कम करना: प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) विकास के प्रमुख 8 क्षेत्रों में अंतराल को कम करने की कल्पना करती है।
 - सड़क संपर्क (आंतरिक एवं अंतर गांव / प्रखंड),
 - दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट),
 - ० विद्यालय,
 - आंगनवाड़ी केंद्र,
 - o स्वास्थ्य उप-केंद्<mark>र</mark>,

- पेयजल की सुविधा,
- जल निकासी तथा
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

पीएम जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

हाल ही में, प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) - वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन, ने सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के आठ वर्ष पूर्ण किए।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का प्रदर्शन प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते

- 10 अगस्त '22 को पीएमजेडीवाई के अंतर्गत कुल खातों की संख्या: 25 करोड़; 55.59% (25.71 करोड़) जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं एवं 66.79% (30.89 करोड़) जन धन खाते ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
 - योजना के प्रथम वर्ष के दौरान 17.90 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोले गए।
- पीएमजेडीवाई के तहत खातों की संख्या में निरंतर वृद्धि: प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से तीन गुना बढ़कर 10-08-2022 तक 46.25 करोड़ हो गए हैं।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत क्रियाशील खाते

- भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/आरबीआई) के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को निष्क्रिय माना जाता है यदि खाते में दो वर्ष से अधिक समय तक कोई ग्राहक प्रेरित लेनदेन नहीं होता है।
- अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के कुल 46.25 करोड़ खातों में से 37.57 करोड़ (81.2%) चालू हैं मात्र 8.2 प्रतिशत पीएमजेडीवाई खाते जीरो बैलेंस खाते हैं।

पीएमजेडीवाई खातों के तहत जमा

- प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों के तहत कुल जमा शेष 1,73,954 करोड़ रुपये है।
- खातों में 2.58 गुना वृद्धि के साथ जमाराशियों में लगभग 7.60 गुना वृद्धि हुई है।

प्रति पीएमजेडीवाई खाते में औसत जमा

- प्रति खाता औसत जमा 3,761 रुपये है।
- प्रति खाता जमा अगस्त' 15 की तुलना में 2.9 गुना से अधिक बढ़ गया है।

PMJDY खाताधारकों को जारी किया गया रुपे कार्ड

- प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों को जारी किए गए कुल रुपे कार्ड: 31.94 करोड़ हैं।
- रुपे कार्ड (RuPay) की संख्या एवं उनके उपयोग में समय के साथ वृद्धि हुई है।



पीएमजेडीवाई के बारे में

 प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय सेवाओं अर्थात्, बैंकिंग / बचत एवं जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक एक किफायती रीति से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का उद्देश्य

- वहन योग्य मूल्य पर वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से देश में लागत कम करना तथा पहुंच में वृद्धि करना।

प्रधान मंत्री जन धन योजना के लाभ

- बैंकिंग सेवाओं से रहित को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना- न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ मूल बचत बैंक जमा (बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट/बीएसबीडी) खाता खोलना, नो योर कस्टमर (केवाईसी) में छूट, ई-केवाईसी, कैंप मोड में खाता खोलना, शून्य शेष एवं शुन्य शुल्क
- असुरक्षित को सुरक्षित करना 2 लाख रुपये के निशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ, व्यापारिक स्थानों पर नकद निकासी एवं भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना।
- गैर-वित्त पोषित को वित्त पोषण प्रदान करना- अन्य वित्तीय उत्पादों जैसे सूक्ष्म बीमा, उपभोग हेतु ओवरड्राफ्ट (खाते में जमा से अधिक रकम निकालना), सूक्ष्म पेंशन तथा सूक्ष्म ऋण।

पीएम जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के स्तंभ

पीएम जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) योजना निम्नलिखित 6 स्तंभों के आधार पर प्रारंभ की गई थी:

- शाखा एवं बैंकिंग प्रतिनिधियों (बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट्स/बीसी) के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच।
- प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000/- रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाते।
- वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम- बचत, एटीएम के उपयोग, क्रेडिट के लिए तैयार रहने, बीमा एवं पेंशन का लाभ उठाने, बैंकिंग के लिए बुनियादी मोबाइल फोन का उपयोग करने को प्रोत्साहित करना।
- क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण बैंकों को बकाया के खिलाफ कुछ गारंटी प्रदान करना

- बीमा 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खाते में 1,00,000 रुपये तक दुर्घटना कवर और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर।
- असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना।

नवीन सुविधाओं के साथ पीएम जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का विस्तार

- सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ व्यापक प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम को 28.8.2018 से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
- 'हर घर' से हटकर 'प्रत्येक बैंक रहित वयस्क' पर ध्यान दिया गया।
- रुपे कार्ड बीमा 28.8.2018 के बाद खोले गए पीएमजेडीवाई खातों के लिए रुपे कार्ड पर निशुल्क दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
- ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाओं में वृद्धि -
 - ओवरड्राफ्ट की सीमा 5,000/- रुपए से दोगुनी होकर 10,000/ रुपए हो गई।
 - o 2,000/- रुपये तक का ओवरड्राफ्ट (बिना शर्तों के)।
- ओवरड्राफ्ट के लिए ऊपरी आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना।

प्रशासनिक सुधारों पर क्षेत्रीय सम्मेलन

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह एवं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रशासनिक सुधार 2022 पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

प्रशासनिक सुधारों पर क्षेत्रीय सम्मेलन

- प्रशासनिक सुधारों पर क्षेत्रीय सम्मेलन के बारे में: प्रशासनिक सुधारों पर क्षेत्रीय सम्मेलन केंद्र, राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार तथा नागरिकों को करीब लाने का एक प्रयास है।
- स्थल: प्रशासनिक सुधारों पर क्षेत्रीय सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित किया जा रहा है।
 - प्रशासनिक सुधारों पर क्षेत्रीय सम्मेलन अर्ध-आभासी मोड में आयोजित किया जा रहा है।
- अधिदेश: इसे निम्नलिखित को अपिरहार्य बनाते हुए "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" (मैक्सिमम गवर्नेस, मिनिमम गवर्नमेंट) के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों एवं नवाचारों को आगे बढ़ाने वाली डिजिटल तकनीक के उपयोग से सकारात्मक प्रभाव डाला जा रहा है-
 - सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग,
 - ई-सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच,
 - o जिला स्तर पर डिजिटल पहल में उत्कृष्टता एवं
 - उदीयमान प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी/आईसीटी) प्रबंधन के उपयोग में उत्कृष्टता।

- थीम: "नागरिकों तथा सरकार को प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से करीब लाना" (ब्रिंगिंग सिटीजंस एंड गवर्नमेंट क्लोजर थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स) विषय पर प्रशासनिक सुधार 2022 पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
- आयोजनकर्ता निकाय: क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- महत्व: क्षेत्रीय प्रशासनिक सम्मेलन उत्तर पूर्वी राज्यों एवं भारत के पूर्वी राज्यों के क्षेत्र को समर्पित है।
 - सम्मेलन में अखिल भारत (पैन-इंडिया) के 300 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।
- प्रमुख गतिविधियां: राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस/एनसीजीजी), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज/डीएआरपीजी)।
 - एनसीजीजी आगामी 5 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की सरकार के 500 अधिकारियों के लिए शासन में मध्य-कैरियर निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन की शुरुआत करेगा।

प्रशासनिक सुधार पर क्षेत्रीय सम्मेलन 2022

- 2 दिवसीय आयोजन के दौरान, निम्नलिखित सत्रों में प्रस्तु<mark>तियाँ दी</mark> जाएंगी:
- शासन में सुधार;
- पूर्वोत्तर राज्यों में लोक शिकायत निवारण तथा ई-ऑफिस;
- उत्तर पूर्वी राज्यों में सुशासन पद्धतियां;
- जिला सुशासन सूचकांक एवं
- सुशासन पद्धतियां।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

'उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पावर @ 2047' कार्यक्रम के दौरान, भारतीय प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र के संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया।

 उन्होंने राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन/एनटीपीसी) की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

- संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के बारे में: महत्वाकांक्षी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का उद्देश्य डिस्कॉम्स एवं ऊर्जा विभाग की परिचालन क्षमता तथा वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।
- कार्यान्वयन मंत्रालय: विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना कार्यान्वित की जा रही है।

- वित्त पोषण: संशोधित वितरण क्षेत्र योजना वित्त वर्ष 2021-22 से पांच वर्षों की अविध में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ लागु की जाएगी।
 - परिव्यय में 97,631 करोड़ रुपये की अनुमानित सरकारी बजटीय सहायता (गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट/GBS) सम्मिलित है।
- घटक: संशोधित वितरण क्षेत्र योजना में निम्नलिखित घटक हैं-
 - भाग ए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता तथा वितरण अवसंरचना का उन्नयन।
 - भाग बी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा अन्य सक्षम एवं सहायक गतिविधियाँ।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना- प्रमुख उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य डिस्कॉम्स को निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु
 वित्तीय सहायता प्रदान करना है-
- वितरण आधारिक संरचना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण,
- अंतिम उपभोक्ताओं तक आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना।
- इसका उद्देश्य निम्नलिखित में कमी ला कर सभी राज्य क्षेत्र के डिस्कॉम्स एवं ऊर्जा विभागों की परिचालन क्षमता तथा वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है-
- अखिल भारतीय स्तर पर कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल/एटी एंड सी) क्षति 12-15% एवं
- आपूर्ति की औसत लागत-औसत प्राप्त राजस्व (एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई- एवरेज रेवेन्यू रिलाइज्ड/एसीएस-एआरआर) 2024-25 तक शून्य तक लाना।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की प्रमुख विशेषताएं नीचे उल्लिखित हैं-

- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को निम्नलिखित हेतु प्राथमिकता दी जाएगी
 - o एटी एंड सी की > 15% हानियों के साथ, 500 अमृत शहर
 - ० सभी केंद्र शासित प्रदेश
 - एमएसएमई, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता
 - प्रखंड (ब्लॉक) स्तर एवं उससे ऊपर के सभी सरकारी कार्यालय
 - उच्च क्षिति वाले अन्य क्षेत्र
- शेष उपभोक्ताओं एवं क्षेत्रों के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग संबंधित
 डिस्कॉम द्वारा चरणबद्ध तरीके से ग्रहण किए जाने का प्रस्ताव
- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मीटरिंग को लोक निजी भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप/पीपीपी) के माध्यम से TOTEX (CAPEX+OPEX) मोड पर लागू करने का प्रस्ताव है।
- योजना का भाग ए डिस्कॉम्स को निम्नलिखित हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है-
 - आधारिक अवसंरचना का निर्माण एवं

- परिचालन दक्षता तथा वित्तीय स्थिरता में सुधार की दिशा में वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु सुधार करना।
- परिणाम मूल्यांकन आव्यूह (रिजल्ट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स) के आधार पर मूल्यांकन किए जाने से पहले पूर्व-अर्हता मानदंड को डिस्कॉम्स के साथ अनिवार्य रूप से अनुरूप होने की आवश्यकता है।
 - इसके बाद, परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर प्रदर्शन, योजना के तहत धन जारी करने का आधार निर्मित करेगा।
- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए, "विशेष श्रेणी के अतिरिक्त" राज्यों
 के लिए 900 रुपये या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 15%
 (जो भी कम हो) का अनुदान उपलब्ध होगा।
 - "विशेष श्रेणी" राज्यों के लिए, प्रति उपभोक्ता लागत का 1350 रुपये या 22.5% (जो भी कम हो) का अनुदान उपलब्ध होगा।
- दिसंबर 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की स्थापना में गित लाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 7.5% या 450 रुपये (जो भी कम हो) का अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।
 - "विशेष श्रेणी" राज्यों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन 11.25%
 या 675 रुपये प्रति उपभोक्ता मीटर (जो भी कम हो) होगा।
- स्मार्ट मीटरिंग के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु "विशेष श्रेणी के अतिरिक्त" राज्यों के डिस्कॉम्स को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता स्वीकृत लागत का 60% होगी।
 - विशेष श्रेणी के राज्यों में डिस्कॉम्स के लिए, अधिकतम वित्तीय सहायता स्वीकृत लागत का 90% होगी।

निजता का अधिकार

पुट्टास्वामी वाद में पांच वर्ष पूर्व के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने बलपूर्वक कहा था कि भारतीयों के पास संवैधानिक रूप से संरक्षित निजता का मौलिक अधिकार है।

निजता के अधिकार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:

- अकेले रहने का अधिकार।
- किसी भी अनुचित सार्वजनिकता से मुक्त होने का व्यक्ति का अधिकार।
- उन मामलों में जनता द्वारा बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के जीने का अधिकार, जिनसे जनता का संबंध आवश्यक नहीं है।

डेटा क्या है?

 डेटा असतत मूल्यों का एक संग्रह है जो मात्रा, गुणवत्ता, तथ्य, सांख्यिकी, अर्थ की अन्य बुनियादी इकाइयों, या केवल प्रतीकों के अनुक्रमों का वर्णन करते हुए सूचनाओं को प्रकट करता है जिसे आगे व्याख्यायित किया जा सकता है।

डेटा सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता के मध्य अंतर

- डेटा सुरक्षा उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो अपने व्यक्तिगत डेटा के संग्रह तथा उपयोग के कारण किसी व्यक्ति की गोपनीयता में अनुचित हस्तक्षेप को कम करने की मांग करते हैं जबकि डेटा गोपनीयता डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करने को संदर्भित करती है।
- संगठनों को यह निर्धारित करना होगा कि गोपनीयता भंग के रूप में डेटा तक किसके पास पहुंच है, जिससे डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- डेटा सुरक्षा विशेष रूप से हेरफेर एवं मैलवेयर के विरुद्ध डेटा की समग्रता की रक्षा के लिए किए गए उपायों को संदर्भित करती है एवं आंतरिक तथा बाहरी खतरों के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है।

हमें डेटा सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है?

- इंटरनेट का बढ़ता उपयोग: भारत में वर्तमान में 750 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनकी संख्या भविष्य में केवल बढ़ने की संभावना है।
- डेटा भंग: साथ ही, भारत विश्व में सर्वाधिक डेटा उल्लंघन वाले स्थानों में से एक है। एक डेटा संरक्षण कानून के बिना, लाखों भारतीयों के डेटा का उनकी सहमति के बिना शोषण, बिक्री एवं दुरुपयोग होने का खतरा बना हुआ है।
- व्यक्तिगत निजता: व्यक्तिगत निजता की कीमत पर डेटा मुद्रीकरण हो सकता है। सर्वाधिक मांग वाले आंकड़ों के समुच्चय (डेटासेट) वे हैं जिनमें व्यक्तियों के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा होते हैं, उदाहरण के लिए चिकित्सा इतिहास, वित्तीय डेटा।

भारत में डेटा सुरक्षा

- डेटा निजता अथवा डेटा गोपनीयता भंग जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत, संवेदनशील डेटा की हानि एवं चोरी होती है, मापने योग्य आवृत्ति अथवा उनके प्रभाव के संदर्भ में कम नहीं हुई है।
- निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जिसे 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत समाविष्ट किया गया था।
- डेटा संग्रह को विनियमित करने एवं एक निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए एक कानून के बिना, गोपनीयता तथा अन्य अधिकारों के उल्लंघन के बारे में वैध चिंताएं उत्पन्न होती रहती हैं।
- कृत्रिम प्रज्ञान (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एवं बिग डेटा जैसी तकनीकों को लागू करना महंगा है।
- ज्ञान कोष (रिपोजिटरी)/डेटाबेस की समग्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित रक्षोपाय करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सूचना को लीक न करे एवं इसका निजीकरण अथवा मुद्रीकरण न हो।
- चूंकि एकत्र किए गए डेटा का उपयोग आपराधिक मुकदमे के दौरान विधि के न्यायालय में किया जा सकता है, अतः मानकों एवं प्रक्रियाओं के साथ-साथ डेटा की विश्वसनीयता तथा स्वीकार्यता को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए, डेटा की प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है।

समय की मांग

 सुदृढ़ डेटा संरक्षण कानून की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि डिजिटलीकरण व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने पर निर्भर करता है जिसमें संवेदनशील डेटा की चोरी का जोखिम शामिल होता है जो किसी व्यक्ति के साथ-साथ पूरे देश के लिए खतरनाक हो सकता है।

स्कूल इनोवेशन काउंसिल (एसआईसी)

हाल ही में, विद्यालय नवाचार परिषद (स्कूल इनोवेशन काउंसिल/SIC) से संबंधित प्रमुख विवरण शिक्षा राज्य मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा लोकसभा में एक लिखित उत्तर में प्रदान किए गए थे।।

विद्यालय नवाचार परिषद (SIC)

- विद्यालय नवाचार परिषद के बारे में: विद्यालय नवाचार परिषद (स्कूल इनोवेशन काउंसिल/SIC) शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल (MIC) द्वारा की गई एक पहल है।
 - विद्यालय नवाचार परिषद (SIC) 1 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था।
- अधिदेश: विद्यालय नवाचार परिषद निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षकों, छात्रों एवं उद्योग तथा शिक्षा जगत के विशेषज्ञों की एक परिषद है-
 - नवाचार एवं उद्यमिता पर छात्रों तथा शिक्षकों हेतु वर्ष
 भर की गतिविधियों का संचालन करना,
 - एमआईसी के एसआईसी पोर्टल के माध्यम से अनुश्रवण करना,
 - जमीनी स्तर पर प्रभाव को अभिलिखित करना।
- क्रियान्वयनः राजस्थान सहित सभी राज्यों के सभी विद्यालयों में विद्यालय नवाचार परिषद (स्कूल इनोवेशन काउंसिल/एसआईसी) प्रारंभ की गई है।
- एसआईसी पोर्टल: इसे देश भर के सभी विद्यालयों में एसआईसी परिषद को लागू करने के लिए विकसित किया गया है। विद्यालय एसआईसी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- विद्यालयों की भूमिका: सभी पंजीकृत विद्यालयों को एसआईसी कैलेंडर गतिविधियों के अनुसार नवाचार से संबंधित क्रियाकलापों को संपादित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें सम्मिलित हैं-
 - नेतृत्व वार्ता,
 - ० प्रेरणा सत्र,
 - वेबिनार,
 - सत्र आयोजन,
 - जागरूकता,
 - छात्रों से नवीन विचारों को आमंत्रित करने वाले बूट कैंप,
 - प्रोटोटाइप विकसित करना, तथा
 - सर्वोत्तम प्रोटोटाइप इत्यादि की राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी।

- महत्व: एसआईसी शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य विचार, नवाचार एवं उद्यमिता (आइडिया, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरिशप), डिजाइन थिंकिंग, बौद्धिक संपदा अधिकार, स्टार्ट-अप वित्तीयन तथा मानव संसाधन (ह्यूमन रिसोर्स/एचआर) पर मानसिकता परिवर्तन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण को सक्षम करेगा।
 - स्कूल इनोवेशन काउंसिल (SIC) भी नवाचार उन्मुख (इनोवेशन-ओरिएंटेड) क्रियाकलापों के स्तर पर विद्यालयों के लिए श्रेणीकरण व्यवस्था (रैंकिंग सिस्टम) को सक्षम करेगा।

स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम (SIATP)

- स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम (SIATP) के बारे में:
 विद्यालय नवाचार राजदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम/SIATP) ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रारंभ किया गया था ताकि छात्रों से नवीन एवं सरल विचारों को विकसित करने तथा उन्हें संभालने के लिए शिक्षकों की परामर्श क्षमता को मजबूत किया जा सके।
- शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल: एसआईएटीपी के तहत, शिक्षकों को निम्नलिखित पांच मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा-
 - डिजाइन सोच एवं नवाचार;
 - विचार सृजन एवं विचार मार्गदर्शन (आइडिया जनरेशन एंड आइडिया हैंड-होल्डिंग);
 - वित्त/बिक्री/एचआर;
 - बौद्धिक संपदा अधिकार (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स/आईपीआर);
 - 。 उद्यमिता एवं प्रोटोटाइप/उत्पाद विकास;
- इनोवेशन एंबेसडर: SIATP के तहत, शिक्षक 72 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तथा जो सभी पांच मॉड्यूल को न्यूनतम 50% उत्तीर्ण अंकों के साथ उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें "नवाचार राजदूत" (इनोवेशन एंबेसडर) के रूप में मान्यता दी जाती है।
 - यह उन्हें विद्यालय जाने वाले युवा छात्रों को विचारण, बौद्धिक संपदा अधिकार, उत्पाद विकास, डिजाइन सोच, समस्या-समाधान, महत्वपूर्ण सोच तथा उद्यमिता के कौशल पर पोषण करने हेतु सक्षम बनाता है।

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को रात 8 बजे स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे।

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022

- स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 (एसआईएच) के बारे में: स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 (एसआईएच) छात्रों को समाज, संगठनों एवं सरकार की गंभीर समस्याओं का समाधान करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है।
 - स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (SIH) की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई
 थी।

- उद्देश्य: स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 (SIH) का उद्देश्य छात्रों के मध्य उत्पाद नवाचार, समस्या-समाधान एवं आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच की संस्कृति को विकसित करना है।
- महत्व: स्मार्ट इंडिया हैकथॉन देश में विशेष रूप से युवाओं में नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है।
- स्मार्ट इंडिया हैकथॉन पंजीकरण: स्मार्ट इंडिया हैकथॉन की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के लिए पंजीकृत टीमों की संख्या पहले संस्करण में लगभग 7500 से चार गुना बढ़कर जारी पांचवें संस्करण में लगभग 29,600 हो गई है।
- भागीदारी: इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 ग्रैंड फिनाले में भाग लेने के लिए 15,000 से अधिक छात्र एवं संरक्षक 75 नोडल केंद्रों की यात्रा कर रहे हैं।
 - इस वर्ष, स्कूली छात्रों के लिए नवाचार की संस्कृति का निर्माण करने एवं विद्यालय स्तर पर समस्या-समाधान दृष्टिकोण विकसित करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकथॉन -जूनियर को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया है।

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के तहत समस्या वक्तव्य

- 2900 से अधिक विद्यालयों एवं 2200 उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र फिनाले में 53 केंद्रीय मंत्रालयों के 476 समस्या वक्तव्यों से निपटेंगे, जिनमें सम्मिलित हैं-
 - देवनागरी लिपियों में मंदिर के शिलालेखों एवं अनुवादों की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर),
 - खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए शीत आपूर्ति श्रृंखला
 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स-सक्षम जोखिम अनुश्रवण प्रणाली,
 - आपदा प्रभावित क्षेत्रों इत्यादि में इलाके, आधारिक संरचना एवं सड़कों की स्थिति का उच्च-रिज़ॉल्यूशन 3 डी मॉडल।

स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)

- स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के बारे में: स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) एक परिवर्तनकारी मिशन है जिसका उद्देश्य देश में शहरी विकास के अभ्यास में एक आदर्श परिवर्तन लाना है।
 - स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) 25 जून, 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किया गया था।
 - स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत विकसित परियोजनाएं बहु-क्षेत्रीय हैं एवं स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती हैं।
- परियोजना समापन: स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत कुल प्रस्तावित परियोजनाओं में से-
 - अब तक 1,93,143 करोड़ रुपए (मूल्य के हिसाब से 94%)
 की 7,905 परियोजनाओं के लिए निविदा जारी की जा चुकी है।
 - लगभग 1,80,508 करोड़ रुपए (मूल्य के हिसाब से 88%)
 की 7,692 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए
 गए हैं।

- 60,919 करोड़ रुपए (मूल्य के हिसाब से 33%) की 3,830
 परियोजनाएं भी पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी हैं एवं क्रियाशील हैं (10 अप्रैल 2022)।
- निधियों का आवंटन एवं उपयोग: स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 2,05,018 करोड़ रुपए के कुल निवेश में से 93,552 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को केंद्र एवं राज्य निधियों द्वारा विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था।
 - अब तक, 92,300 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं में से लगभग 100% के लिए कार्य आदेश जारी किया गया है।
 - 2018 से जब मिशन में कुल व्यय 1,000 करोड़ रुपए था,
 यह बढ़कर 45,000 करोड़ रुपए हो गया है।
 - शहरों को जारी भारत सरकार की कुल निधि का उपयोग प्रतिशत 91% है।
- एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी): आज की तारीख में, 80 स्मार्ट शहरों ने देश में अपने एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्रों (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स/आईसीसीसी) का विकास तथा संचालन किया है।
 - ये क्रियाशील एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्रों ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए युद्ध कक्ष के रूप में कार्य किया है।
 - मिशन के तहत विकसित अन्य स्मार्ट आधारिक संरचना के साथ, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्रों ने सूचना प्रसार, संचार में सुधार, भविष्यसूचक विश्लेषण एवं प्रभावी प्रबंधन का समर्थन करके महामारी से लड़ने में शहरों की सहायता की।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया/CJI) एन. वी. रमना का कार्यकाल कुछ दिनों में समाप्त हो रहा है। यह उनके कॉलेजियम के अंत का प्रतीक होगा।

कॉलेजियम प्रणाली

- कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य वर्षों के संघर्ष से उत्पन्न हुई थी।
- 1970 के दशक में कोर्ट-पैकिंग (एक अदालत में न्यायाधीशों की संरचना को बदलने की प्रथा), उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामूहिक स्थानांतरण एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद में दो अधिक्रमण के उदाहरणों से शत्रुता और अधिक सस्पष्ट हो गई थी।
- तीन न्यायाधीशों के वाद ने कॉलेजियम प्रणाली के उदय को देखा।

कार्यकरण

 भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए संस्तुतियां करता है।

- कॉलेजियम सरकार को वीटो कर सकता है यदि सरकार द्वारा नाम पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाते हैं।
- कॉलेजियम प्रणाली के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि स्वतंत्र रहने के लिए न्यायपालिका को नियुक्तियों एवं स्थानांतरण के मामलों में सरकार पर प्रधानता होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियाँ

- भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत की जाती है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए जो पद धारण करने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं तथा भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश उनके उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं।
- केंद्रीय विधि मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजते हैं, जो बदले में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, जब शीर्ष न्यायालय में एक रिक्ति होने की संभावना है, तो कॉलेजियम केंद्रीय विधि मंत्री को एक उम्मीदवार की संस्तुति करेगा।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचारों को भी अभिनिश्चित करेंगे, जो उस उच्च न्यायालय से आते हैं जहां से अनुशंसित व्यक्ति आता है।
- कॉलेजियम के प्रत्येक सदस्य एवं अन्य न्यायाधीशों की राय लिखित रूप में ली जानी चाहिए।
- विधि मंत्री कॉलेजियम की संस्तुति प्रधानमंत्री को भेजेंगे, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करेंगे।
- उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के बाहर के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की नीति के अनुसार की जाती है। यह निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जा है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के दो विरष्ठतम न्यायाधीश सिम्मिलित होते हैं, यद्यपि प्रस्ताव, दो विरष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लाया जाता है।
- संस्तुति मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को केंद्रीय विधि मंत्री को प्रस्ताव भेजने का परामर्श देते हैं।
- कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की संस्तुति भी करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रावधान करता है।

आलोचना

- पारदर्शिता की कमी
- इसमें भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया गया है।
- संविधान में संशोधन करने एवं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
 (नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमेटी/ एनजेएसी) की स्थापना

करने के सरकार के प्रयासों को एक संविधान पीठ ने खारिज कर दिया था।

आगे की राह


- भाई-भतीजावाद के पक्षधर होने की आलोचना से बचने के लिए विचार क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए।
- कॉलेजियम के साथ-साथ न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता रखी जानी चाहिए।

उड़ान योजना

हाल ही में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक/UDAN) ने 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा अपनी प्रथम उड़ान के शुभारंभ के पश्चात से सफलता के 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

उड़ान योजना का प्रदर्शन

- विगत पांच वर्षों में, उड़ान योजना ने देश में क्षेत्रीय हवाई-संपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
- बढ़े हुए हवाई अड्डे: 2014 में 74 क्रियाशील हवाईअड्डे थे। UDAN योजना के कारण यह संख्या अब तक बढ़कर 141 हो गई है।
- संपर्क में वृद्धि: उड़ान योजना के तहत 58 हवाई अड्डों, 8 हेलीपोर्ट एवं 2 वाटर एयरोड्रोम सिहत 68 अल्पसेवित (अंडरसर्व्ड)/असेवित गंतव्यों को जोड़ा गया है।
 - योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए 425 नए मार्गों के साथ,
 उड़ान योजना ने देश भर में 29 से अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया है।
- लाभार्थी: 4 अगस्त 2022 तक एक करोड़ से अधिक यात्रियों ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक/UDAN) योजना का लाभ उठाया है।
- **हितधारकों को लाभ:** उड़ान योजना ने विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित किया है।
 - यात्रियों को हवाई संपर्क का लाभ प्राप्त हुआ है,
 - विमानन क्षेत्र (एयरलाइंस) को क्षेत्रीय मार्गों के संचालन के लिए रियायतें प्राप्त हुई हैं,
 - असेवित क्षेत्रों को अपने आर्थिक विकास के लिए हवाई संपर्क का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है।
- मान्यता: क्षेत्रीय संपर्क योजना (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम/आरसीएस)-उड़ान को वर्ष 2020 के लिए नवाचार श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
 - 26 जनवरी 2022 को उड़ान योजना पर गणतंत्र दिवस की झांकी को रक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चयनित किया गया।



उड़ान योजना: भविष्य के लक्ष्य

- उड़ान योजना के तहत 220 गंतव्यों (हवाई अड्डे/हेलीपोर्ट/वाटर एयरोड्रोम) को 2026 तक 1000 मार्गों के साथ पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि देश में असंबद्ध गंतव्यों के लिए हवाई संपर्क प्रदान किया जा सके।
 - उड़ान योजना के तहत, 156 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए
 954 मार्ग पूर्व में ही आवंटित किए जा चुके हैं।
- 2026 तक, क्षेत्रीय संपर्क योजना (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम/आरसीएस)-उड़ान योजना से 40 करोड़ भारतीयों को भारत में नागरिक उड़ुयन के माध्यम से यात्रा करने में सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

उड़ान योजना: प्रमुख बिंदु

 उड़ान योजना पूर्ण रूप: उड़े देश का आम नागरिक एक क्षेत्रीय संपर्क योजना (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम/RCS) है जो वहनीयता, संपर्क,वृद्धि एवं विकास सुनिश्चित करती है।

- यह समस्त हितधारकों के लिए एक लाभकारी स्थिति प्रदान करता है - नागरिकों को वहनीयता, संपर्क एवं अधिक नौकरियों का लाभ प्राप्त होगा।
- यह योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी तथा यह 10 वर्ष की अविध के लिए लागू होगी।

उड़ान योजना के लाभ

- केंद्र सरकार क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) हवाई अड्डों पर कम उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा कोड साझा करने के लचीलेपन के रूप में रियायतें प्रदान करेगी।
- राज्य सरकारों को एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर जीएसटी घटाकर 1% या उससे कम करना होगा, इसके अतिरिक्त सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं निशुल्क तथा बिजली, पानी एवं अन्य उपादेयताओं को अत्यधिक रियायती दरों पर उपलब्ध कराना होगा।
- योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संपर्क निधि (रीजनल कनेक्टिविटी फंड) निर्मित किया जाएगा। प्रति प्रस्थान आरसीएफ लेवी कुछ घरेलू उड़ानों पर लागू होगी।
- भागीदार राज्य सरकारें (पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त जहां अंशदान 10% होगा) इस निधि में 20% का अंशदान देगी।

उड़ान योजना- विभिन्न सूत्रीकरण

- कृषि उड़ान: विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र {नॉर्थ ईस्टर्न रीजन/एनईआर} एवं जनजातीय जिलों में कृषि उत्पादों के मूल्य प्राप्ति में वृद्धि हेतु प्रारंभ किया गया।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान मार्ग गुवाहाटी एवं इंफाल से/के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का अन्वेषण करने हेतु।
- लाइफलाइन उड़ान: लाइफलाइन उड़ान पहल मार्च 2020 में कोविड-19 अविध के दौरान प्रारंभ हुई।
 - इसने देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 1000 टन विपुल आयतनी माल एवं आवश्यक चिकित्सा सेवाओं के परिवहन के लिए 588 उड़ानें संचालित करने में सहायता की।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

आसियान एवं भारत

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की एवं लंका तथा आसियान पर चर्चा की।

आसियान क्या है?

- दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ (द एसोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट नेशंस) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में एशिया-प्रशांत के उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों के मध्य बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिरता को प्रोत्साहित करने हेतु आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी।
- 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- आसियान का आदर्श वाक्य "एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय" (वन विजन, वन आईडेंटिटी, वन कम्युनिटी) है।
- आसियान सचिवालय इंडोनेशिया, जकार्ता।
- आसियान के संस्थापक देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड।

सदस्य राष्ट्र

- इंडोनेशिया
- मलेशिया
- फिलीपींस
- सिंगापुर
- थाईलैंड
- ब्रुनेई
- वियतनाम
- लाओस
- म्यांमार
- कंबोडिया

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1967 इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड द्वारा आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित।
- 1975 में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के पश्चात, ब्रुनेई 1985 में सदस्य बन गया एवं 1991 में शीत युद्ध, वियतनाम (1995), लाओस तथा म्यांमार (1997) एवं कंबोडिया (1999) आसियान में शामिल हो गए।
- 1995 सदस्यों ने दक्षिण पूर्व एशिया में परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 1997 आसियान दृष्टिकोण 2020 को अंगीकृत किया गया।
- 2003 एक आसियान समुदाय की स्थापना के लिए **बाली** समझौता II।

- 2007 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए, सेबू घोषणा।
- 2008 **आसियान चार्टर** प्रवर्तन में आया एवं विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता बन गया।
- 2015 **आसियान समुदाय** का शुभारंभ।
 - आसियान समुदाय में शामिल हैं:
 - आसियान राजनीतिक-सुरक्षा समुदाय
 - आसियान आर्थिक समुदाय
 - आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय



उद्देश्य

- दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में गति लाना।
- विधि के शासन एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना।
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग तथा पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहित करना।
- संसाधनों के व्यापक उपयोग एवं लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने हेतु अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करना।
- दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना।
- मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ तथा लाभकारी सहयोग बनाए रखना।

भारत एवं आसियान

स्वतंत्रता के पश्चात आसियान के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण भारत के आसियान के साथ मधुर संबंध नहीं थे जो शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी शिविर के अधीन था। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात, भारत-आसियान संबंध सामान्य खतरों एवं आकांक्षाओं के कारण आर्थिक संबंधों से रणनीतिक ऊंचाइयों तक विकसित हुए हैं।

 1996- भारत एशिया में सुरक्षा वार्ता के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच (आसियान रीजनल फोरम/एआरएफ) का सदस्य बना जिसमें सदस्य वर्तमान क्षेत्रीय सरक्षा मृद्दों पर चर्चा कर सकते हैं एवं क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा में वृद्धि करने हेतु सहकारी उपाय विकसित कर सकते हैं।

- 2002- भारत एवं आसियान ने वार्षिक शिखर स्तरीय बैठकें प्रारंभ कीं।
- 2009- भारत-आसियान में वस्तु मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ।
- 2012- भारत-आसियान सामरिक साझेदारी संपन्न हुई।
- 2014- भारत एवं आसियान के मध्य जनशक्ति एवं निवेश के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सेवाओं एवं निवेश में आसियान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- 2018- भारत आसियान ने एक स्मारकीय शिखर सम्मेलन आयोजित करके अपने संबंधों के 25 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया।
- 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस परेड के लिए सभी दस आसियान देशों के प्रमुखों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

आर्थिक सहयोग

- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र पूर्ण हो गया है।
- भारत एवं आसियान देशों के प्रमुख निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को एक मंच पर लाने के लिए 2003 में आसियान भारत व्यापार परिषद (आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल/AIBC) की स्थापना की गई थी।
- आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:
 - o आसियान-भारत सह<mark>योग</mark> कोष
 - o आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिक<mark>ी विकास कोष</mark>
 - आसियान-भारत हरित निधि
- दिल्ली घोषणा सामुद्रिक क्षेत्र में सहयोग की पहचान करती है।
- दिल्ली संवाद: आसियान एवं भारत के मध्य राजनीतिक-सुरक्षा तथा आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्षिक संवाद।
- आसियान-भारत केंद्र (आसियान-इंडिया सेंटर/एआईसी): भारत एवं आसियान में संगठनों तथा थिंक-टैंक के साथ नीति अनुसंधान, पक्ष समर्थन एवं नेटवर्किंग गतिविधियों को प्रारंभ करना।
- राजनीतिक सुरक्षा सहयोग: भारत आसियान को क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास के अपने हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण (इंडो-पैसिफिक विजन) के केंद्र में रखता है।

महत्व

- एशिया-प्रशांत व्यापार, राजनीतिक एवं सुरक्षा मुद्दों पर आसियान का अधिक प्रभाव है, जितना कि इसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कर सकते हैं।
- विश्व में तीसरी सर्वाधिक आबादी वाले आसियान देशों में जनसांख्यिकीय लाभांश अत्यधिक विशाल है, जिनमें से आधे से अधिक की आयु तीस वर्ष से कम है।

एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक

हाल ही में, भारत के निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया/ईसीआई) ने 'एशियाई क्षेत्रीय मंच' 2022 की एक आभासी बैठक की मेजबानी की।

 क्षेत्रीय मंच की बैठक आने वाले महीने में मेक्सिको के नेशनल इलेक्टोरल इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित होने वाले "चुनावी लोकतंत्र के सम्मेलन" का एक पूर्ववर्ती था।

एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक 2022

- एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक 2022 के बारे में: भारत ने कोविड-19 महामारी द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के मद्देनजर परिवर्तित होती भू-राजनीति, उदीयमान प्रौद्योगिकियों एवं चुनाव प्रबंधन में उनके उपयोग को प्रतिबिंबित करने के लिए चुनाव प्रबंधन निकायों (इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज/EMB) की एशियाई क्षेत्रीय मंच बैठक की मेजबानी की।
 - इस 'लोकतंत्र के वैश्विक सम्मेलन' के एक भाग के रूप में,
 पांच क्षेत्रीय मंच अर्थात अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप
 एवं अरब राज्यों के देशों का निर्माण किया गया है।
- थीम: एशियाई क्षेत्रीय मंच की बैठक 2022 का आयोजन निर्वाचन सदन में "हमारे चुनावों को समावेशी, सुलभ एवं सहभागी बनाना" (मेकिंग आवर इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव) विषय पर आयोजित किया गया था।
- भागीदारी: बैठक में मेक्सिको, मॉरीशस, फिलीपींस, नेपाल, उज्बेकिस्तान, मालदीव, आईएडीए, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) एवं इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस) के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
 - बैठक के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के विरष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

एशियन रीजनल फोरम मीट- प्रमुख क्रियाकलाप

एशियन रीजनल फोरम मीट में निम्नलिखित दो सत्र थे-

- प्रथम सत्र: 'समावेशी चुनाव: सुदूरवर्ती क्षेत्रों में युवाओं, लिंग तथा नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना' विषय पर।
- इसकी सह-अध्यक्षता मॉरीशस एवं नेपाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने की थी।
- द्वितीय सत्र: 'सुलभ चुनाव: विकलांग व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना' विषय पर।
- इसकी सह-अध्यक्षता आयुक्त, कॉमेलेक (COMELEC),
 फिलीपींस एवं उज्बेकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (चीफ इलेक्शन कमिश्नर/CEC) द्वारा की गई थी।

चुनावी लोकतंत्र के लिए सम्मेलन

- चुनावी लोकतंत्र के लिए सम्मेलन के बारे में: चुनावी लोकतंत्र के लिए सम्मेलन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
- प्रमुख उद्देश्य: विश्व में चुनावी लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु एक बौद्धिक एवं संस्थागत लामबंदी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं निर्वाचन प्राधिकरणों तथा संपूर्ण विश्व के निकायों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना।
- कार्यान्वयन: चुनावी लोकतंत्र के लिए सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य क्षेत्रीय मंचों: अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप एवं अरब राज्यों के देश के संचालन के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
- ये जून से अगस्त के मध्य आयोजित होंगे, जिसकी परिणति ग्लोबल फोरम के रूप में होगी, जो सितंबर में आयोजित होगा।

भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में

- भारत का निर्वाचन आयोग भारत में संघ एवं राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन इस उत्तरदायी एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है।
- यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधान सभाओं तथा देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का संचालन करता है।

संगठनात्मक संरचना

- भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
- सचिवालय: इसका नई दिल्ली में स्थित एक समर्पित सचिवालय है।
- राज्य स्तर पर, भारत के निर्वाचन आयोग को मुख्य चुनाव अधिकारी (चीफ इलेक्शन ऑफिसर/सीईओ) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो आम तौर पर आईएएस रैंक का अधिकारी होता है।
- निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर, भारत का निर्वाचन आयोग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करता है, जैसा भी मामला हो।

<u>ऑ</u>स्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद

हाल ही में, भारतीय केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री ने एक द्विपक्षीय बैठक की एवं ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद (ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल/एआईईसी) की छठी बैठक की सह-अध्यक्षता की।

ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद की 6^{ठी} बैठक

 दोनों देश शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता में सहयोग को और सुदृढ़ करने पर सहमत हुए।

- भारतीय मंत्री ने भारत में अपने परिसरों की स्थापना करने एवं भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों एवं कौशल संस्थानों का स्वागत किया।
- दोनों मंत्रियों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत शिक्षा को एक प्रमुख स्तंभ बनाने की दृष्टि से अधिगम, कौशल एवं शोध में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की।
- भारतीय मंत्री ने अगले वर्ष भारत में एआईईसी की 7वीं बैठक आयोजित करने हेतु ऑस्ट्रेलियाई दल को भी आमंत्रित किया।

एआईईसी की 6⁵¹ बैठक में भारत के प्रस्ताव

- भारतीय मंत्री ने आयुर्वेद, योग, कृषि इत्यादि के क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य अनुसंधान सहयोग पर बल दिया।
- उन्होंने कौशल प्रमाणन एवं खनन, सम्भारिकी प्रबंधन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया।
- उन्होंने आगे कहा कि भारत ने डिजिटल विश्वविद्यालय एवं गित शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की है जिसके लिए दोनों देश पाठ्यक्रम एवं अन्य पहलुओं को विकसित करने हेतु मिलकर कार्य कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद (एआईईसी)

- ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद (एआईईसी) के बारे में: ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद (ऑस्ट्रेलिया-इंडिया एजुकेशन काउंसिल/एआईईसी) शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्रियों की अध्यक्षता में एक द्वि-राष्ट्रीय निकाय है।
 - ्र एआईईसी <mark>की उद्घाटन</mark> बैठक अगस्त 2011 में नई दिल्ली में हुई थी।
- भागीदारी: एआईईसी सरकार, शिक्षा एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की एक 'कार्य परिषद' है।
- महत्व: एआईईसी सदस्यों को आगामी वर्षो के लिए प्रमुख द्विपक्षीय शिक्षा प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में मंत्रियों के साथ सहयोग करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध

- भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध हैं जिनका हाल के वर्षों में परिवर्तनकारी विकास हुआ है, जो एक सकारात्मक मार्ग के साथ एक मैत्रीपूर्ण साझेदारी में विकसित हुआ है।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया नेताओं के आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रारंभ की गई भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है।
- भारत एवं ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

- भारत तथा ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लोचशीलता पहल (सप्लाई चैन रेसिलियंस इनीशिएटिव/एससीआरआई) व्यवस्था में भागीदार हैं, जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाने का प्रयास करता है।
 - इसके अतिरिक्त, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया भी हाल ही में गिठत क्वाड के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका तथा जापान भी सम्मिलित हैं, ताकि सहयोग को और बढ़ाया जा सके तथा साझा चिंता के अनेक मुद्दों पर साझेदारी विकसित की जा सके।


चीन-ताइवान संघर्ष

चीन ने अमेरिकी संसद कांग्रेस की अध्यक्ष (हाउस स्पीकर) नैंसी पेलोसी को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है यदि वह ताइवान दौरे पर आती हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- ताइवान, ताइवान जलडमरूमध्य में एक द्वीप क्षेत्र है, जो मुख्य भूमि चीन के तट पर स्थित है।
- 1949 में गृहयुद्ध के मध्य अलग हुए, चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल/यूएनएससी) में अपनी स्थायी सीट बनाए रखने के लिए आरओसी द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता जारी रखी गई थी।
- शीत युद्ध में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) ने सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (यूएसएसआर) संघ एवं आरओसी को अमेरिका के साथ संबद्ध किया जिसने चीन-ताइवान संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया।
- 1970 के दशक में अमेरिका एवं चीन के मध्य सुलह के पश्चात
 1972 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति पीआरसी गए।
- संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में पीआरसी द्वारा आरओसी को विस्थापित कर दिया गया था एवं "एक-चीन सिद्धांत" अस्तित्व में आया था।
- यह आगे आवश्यक होने पर ताइवान को नियंत्रित करने हेतु सेना का उपयोग करने के लिए अपना रुख स्पष्ट करता है।
- 1980 के दशक में, चीन ने "एक देश, दो प्रणाली" के रूप में जाना जाने वाला एक सूत्र सामने रखा, जिसके तहत ताइवान को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाएगी यदि वह दोनों पक्षों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए चीनी पुनरेकीकरण को स्वीकार करता है।
- हालांकि ताइवान ने इस फार्मूले को खारिज कर दिया किंतु चीन में यात्राओं एवं निवेश से संबंधित नियमों में ढील दी।
- ताइवान की रिपब्लिक ऑफ चाइना (आरओसी) सरकार को वैध मानने से बीजिंग की अस्वीकृति के मध्य, जिसने सरकार से

- सरकार के मध्य संपर्क को रोका, अधिकारियों के बीच अनौपचारिक वार्ता हुई किंतु वह भी सीमित थी।
- जैसे ही चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया,
 विश्व के नेताओं ने इसे इस क्षेत्र में चीन द्वारा अधिक मुखर होने के चीनी प्रयास के रूप में लिया।



यूएस-चीन-ताइवान- बदलते परिदृश्य

- शंघाई कम्युनिक (1972), नॉर्मलाइजेशन कम्युनिक (1979) एवं 1982 कम्युनिक ताइवान पर अमेरिका-चीन आपसी समझ के बारे में बात करते हैं।
- 1979 में ताइवान को, चीन का एक हिस्सा मानते हुए अमेरिका ने 'एक चीन नीति' को स्वीकार किया, हालांकि अमेरिका ने ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध बनाए रखना प्रारंभ कर दिया।
- 1982 में, चीन ने ताइवान संबंध अधिनियम (ताइवान रिलेशंस एक्ट/टीआरए), 1979 के प्रावधानों के अनुसार अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियारों की निरंतर आपूर्ति पर अपनी चिंता व्यक्त की।

ताइवान पर प्रभाव

- डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी चीन से दूर अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करना चाहती है।
- ताइवान जापान एवं दक्षिण चीन सागर के मध्य प्रथम द्वीप शृंखला में केंद्रीय रूप से अवस्थित है एवं इसका उच्च भू-राजनीतिक महत्व है।
- इस क्षेत्र में अमेरिका की विस्तृत सैन्य चौकियां चीन के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है यदि वह ताइवान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है जिससे शांतिपूर्ण पुनरेकीकरण की संभावना अत्यंत विकट हो जाती है।

ताइवान एवं विश्व

- चीन गणराज्य (रिपब्लिक ऑफ चाइना/आरओसी), ताइवान के 15 देशों के साथ राजनियक संबंध हैं एवं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ के देश, जापान, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों के साथ प्रभावशाली संबंध हैं।
- ताइवान की 38 अंतर सरकारी संगठनों एवं उनके सहायक निकायों में पूर्ण सदस्यता है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन, एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशियाई विकास बैंक एवं सेंट्रल अमेरिकन बैंक फॉर इकोनॉमिक सम्मिलित हैं।
- वन चाइना पॉलिसी के अनुसार, मुख्य भूमि चीन के साथ राजनियक संबंध तलाशने के लिए उन्हें ताइवान के साथ आधिकारिक संबंध तोड़ना होगा तथा ताइवान के राजनियक संबंधों ने इस नीति को गंभीरता से चुनौती दी है।

चीन का प्रतिरोध

- ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूएस (AUKUS) के मध्य हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) के लिए एक नवीन त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी
- मालाबार अभ्यास (अमेरिका, जापान, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया)
 भी आर्थिक तथा सैन्य रूप से शक्तिशाली चीन द्वारा उत्पन्न बड़े
 पैमाने पर रणनीतिक असंतुलन का प्रतिरोध करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- युद्धपोत थियोडोर रूजवेल्ट ने समुद्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने एवं समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली साझेदारी निर्मित करने हेतु दक्षिण चीन सागर में प्रवेश किया है।

ताइवान पर भारत का रुख

- भारत एक चीन नीति को मान्यता देता है एवं ताइवान तथा तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करता है।
- कूटनीतिक रूप से भारत को अपेक्षा है कि चीन एक भारत नीति पर विश्वास करेगा।
- भारत एवं ताइवान के मध्य औपचारिक राजनियक संबंध नहीं हैं, किंतु 1995 के पश्चात से, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय बनाए रखा है जो वास्तिवक दूतावासों के रूप में कार्य करते हैं।

क्या किया जा सकता है?

- विश्व शक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ताइवान को बलपूर्वक अधिकार करने के चीनी प्रयास को कुशलता से निपटाया जाना चाहिए।
- भारत को चीन के साथ भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ते आर्थिक संबंधों तथा ताइवान के लिए लोकप्रिय समर्थन पर आधारित होना जारी रखना चाहिए।

चाबहार बंदरगाह का महत्व

ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन/एससीओ) की बैठक के दौरान भारत ने चाबहार बंदरगाह को मध्य एशिया के लिए व्यापार के लिए एक माध्यम बनाने पर बल दिया।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
- शंघाई (चीन) में 15 जून 2001 को एससीओ के गठन की घोषणा की गई थी।
- शंघाई सहयोग संगठन चार्टर पर जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे एवं 19 सितंबर 2003 को प्रवर्तन में आया।
- इसका पूर्ववर्ती संगठन शंघाई फाइव मैकेनिज्म था।
- शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएँ रूसी तथा चीनी हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- सीमाओं पर स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, चार पूर्व सोवियत गणराज्यों ने चीन के साथ वार्ता आयोजित की जिसके फलस्वरूप 1996 में शंघाई फाइव का निर्माण हुआ।
- 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में सिम्मिलित होने के साथ, इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया।
- भारत एवं पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने।

सदस्य देश

- 1. कजाकिस्तान
- 2. चीन
- 3. किर्गिस्तान
- 4. रूस
- 5. ताजिकिस्तान
- 6. उज़्बेकिस्तान
- 7. भारत
- 8. पाकिस्तान

ईरान को संगठन के नौवें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

एससीओ के उद्देश्य


- सदस्य देशों के मध्य पारस्परिक विश्वास में वृद्धि करना।
- राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
- क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करना।
- एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तार्किक नवीन अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की ओर अग्रसर होना।

चाबहार बंदरगाह

- यह ओमान की खाड़ी पर अवस्थित है एवं पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से मात्र 72 किमी दूर है जिसे चीन द्वारा विकसित किया गया है।
- बंदरगाह ईरान के एकमात्र महासागरीय बंदरगाह के रूप में कार्य करता है एवं इसमें शाहिद बेहिश्ती तथा शाहिद कलंतरी नामक दो अलग-अलग बंदरगाह सम्मिलित हैं।

भारत एवं चाबहार-पृष्ठभूमि

- भारत, ईरान एवं अफगानिस्तान के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौते ने समुद्री परिवहन के लिए क्षेत्रीय केंद्रों में से एक के रूप में ईरान में चाबहार बंदरगाह का उपयोग करते हुए उनके मध्य पारगमन एवं परिवहन गलियारा (ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर) की स्थापना को देखा।
- अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में, चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक एक रेल लाइन का निर्माण, अफगानिस्तान के साथ सीमा के साथ प्रस्तावित किया गया था।
- इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (इरकॉन) ने ईरानी रेल मंत्रालय के साथ समस्त सेवाएं, अधिरचना कार्य एवं वित्तपोषण (लगभग 1.6 बिलियन अमरीकी डालर) प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग/एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।



भारत के लिए महत्व

- संपर्क: भविष्य में, चाबहार बंदरगाह एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर/INSTC) रूस एवं यूरेशिया के साथ भारतीय संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
- सुरक्षा: वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) परियोजना के तहत चीन आक्रामक रूप से अपने बेल्ट-रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) को आगे बढ़ा रहा है। यह बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का मुकाबला करने में सहायता कर सकता है, जिसे चीनी निवेश के द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- व्यापार: यह मध्य एशियाई देशों के मध्य व्यापार के लिए एक प्रवेश द्वार है क्योंकि पाकिस्तान भारत में पारगमन पहुंच प्रदान करने से इनकार करता है।

मुद्दे

- जुलाई 2020 में, परियोजना के प्रारंभ में भारतीय पक्ष की ओर से विलंब का हवाला देते हुए एवं परियोजना के वित्तपोषण के लिए ईरान ने स्वयं के दम पर रेल लाइन निर्माण के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया।
- दूसरी तरफ भारत ने कहा कि इरकॉन निरीक्षण पूरा करने के पश्चात ईरानी पक्ष के लिए एक नोडल प्राधिकरण नियुक्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था।

आगे की राह

- भारत को अमेरिका एवं ईरान के मध्य संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है एवं इस क्षेत्र में अपने हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करने की आवश्यकता है।
- एक शांतिपूर्ण विस्तारित पड़ोस (ईरान-अफगानिस्तान) न केवल व्यापार एवं ऊर्जा सुरक्षा के लिए अच्छा है बल्कि एक महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है एवं इसलिए भारत दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं रह सकता है।

भारत-म्यांमार संबंध

1 अगस्त को म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के 18 माह पूरे हुए।
'तख्तापलट' को आम तौर पर सरकार से अकस्मात, हिंसक एवं
अवैध रूप से सत्ता पर नियंत्रण के रूप में वर्णित किया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- फरवरी, 2021 में, सेना ने तख्तापलट में म्यांमार का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया एवं आंग सान सू की तथा उनके नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी) एनएलडी) के अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया।
- 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के पश्चात से देश के इतिहास
 में यह तीसरी बार था जब सेना ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया
 था।
- 2008 के सैन्य- प्रारूप संविधान के अनुसार, म्यांमार की संसद में सेना की कुल सीटों का 25% हिस्सा है।
- नवंबर 2020 के संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद, आंग सान सू की की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) संसद का पहला सत्र आयोजित करने वाली थी, जब सेना ने संसदीय चुनावों में एक साल के अवैध मतदान के लिए आपातकाल की स्थिति लागू कर दी थी।

भारत के लिए महत्व

- भारत-दक्षिण पूर्व एशिया की भौगोलिक अवस्थिति के केंद्र में होने के कारण, म्यांमार भारत के लिए भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है एवं भारत की "पड़ोसी पहले" नीति तथा इसकी "एक्ट ईस्ट" नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
- भारत के सागर विजन के हिस्से के रूप में, भारत ने म्यांमार के रखाइन राज्य में सित्तवे बंदरगाह विकसित किया, जो चीन के सम्मुख वाले क्या कप्यू बंदरगाह के लिए भारत का उत्तर प्रतीत

होता है, जिसका उद्देश्य रखाइन में चीन के भू-रणनीतिक पदचिह्न को मजबूत करना है।



इंटरेस्ट-गेटवे टू द ईस्ट

- भारत म्यांमार को पूर्व एवं आसियान देशों का प्रवेश द्वार मानता है।
- भारत ने म्यांमार के रखाइन में महत्वपूर्ण सितवे बंदरगाह के संचालन हेत् स्वयं को प्रतिबद्ध किया।
- भारत, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग एवं कलादान बहु-विध पारगमन परिवहन परियोजना (मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट) जैसी आधारिक अवसंरचना परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है।
- कोलकाता को सितवे म्यांमार से एवं पुनः म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर-पूर्व में जोड़ने का कार्य भी जारी है।
- 2018 में दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षरित भूमि सीमा पारगमन (लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग) समझौते के अनुसार, वैध दस्तावेजों के साथ वास्तविक यात्रियों को प्रवेश / निकास के दो अंतरराष्ट्रीय बिंदुओं-मोरेह-तामू एवं जोखाव्थर-रिह पर सीमा पार करने की अनुमति है।
- सुरक्षा: भारतीय अपने उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एवं स्थिरता के अनुरक्षण हेतु म्यांमार से समर्थन एवं समन्वय की अपेक्षा करता है, जिसने पूर्वोत्तर क्षेत्र से यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) एवं नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड) NDFB) जैसे कुछ आतंकवादी समूहों की गतिविधियों में वृद्धि देखी है, जिन्होंने म्यांमार में शरण ली है।
- 1.2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के भारतीय निवेश के साथ, म्यांमार दक्षिण एशिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अत्यधिक महत्व रखता है।

• दोनों देश ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भी साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं जिसे श्वे तेल एवं गैस परियोजना में 120 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के निवेश के लिए भारत की स्वीकृति से देखा जा सकता है।

भारत के लिए चुनौतियां

- पूर्वोत्तर के उग्रवाद पर चीन के प्रभाव में वृद्धि हुई है एवं चीन के हित में परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ म्यांमार पर चीन की पकड़ मजबूत हुई है।
- चीन पूर्वोत्तर में समस्या उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है जैसा कि म्यांमार सीमा के समीप असम राइफल्स के काफिले पर हुए घातक हमले से देखा जा सकता है।
- रोहिंग्या मुद्दा: म्यांमार में रोहिंग्या संकट पर आंग सान सू की की चुप्पी ने असहाय रोहिंग्या की दुर्दशा को बढ़ा दिया है जो उत्तर-पूर्व में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।
- 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा, जो आतंकवादियों, अवैध हथियारों एवं मादक द्रव्यों की सीमा पार आवागमन को सरल बनाता है, अत्यधिक खुला हुआ है।
- सीमा पहाड़ी एवं दुर्गम इलाकों के साथ चलती है एवं विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (इंडियन इनसरजेंट्स ग्रुप्स/आईआईजी) की गतिविधियों को कवर प्रदान करती है।

क्या किया जा सकता है?

- भारत को दोनों देशों के लोगों के आपसी विकास की दिशा में म्यांमार में वर्तमान शासन के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखना चाहिए।
- भारत को म्यांमार को संवैधानिकता एवं संघवाद में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करनी चाहिए ताकि वर्तमान गतिरोध का समाधान किया जा सके।

भारत-मॉरीशस सीईसीपीए

भारत एवं मॉरीशस ने नई दिल्ली में भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया।

- भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते (कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरिशप एग्रीमेंट/सीईसीपीए) के अधिदेश के अनुसार भारत-मॉरीशस उच्च-शक्ति युक्त संयुक्त व्यापार समिति का गठन किया गया था। भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति (ज्वाइंट ट्रेड कमिटी/जेटीसी) की स्थापना भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के सामान्य कार्यकरण एवं कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए की गई थी।
- दोनों पक्ष 2023 में भारत-मॉरीशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति बैठक का अगला सत्र आयोजित करने पर सहमत हुए।

भार-मॉरीशस सीईसीपीए

- भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के बारे में: भारत-मॉरीशस सीईसीपीए दोनों देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने एवं सुधारने हेतु एक संस्थागत तंत्र का प्रावधान करता है।
 - भारत-मॉरीशस सीईसीपीए 1 अप्रैल, 2021 को प्रवर्तन में आया।
 - सीईसीपीए अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित प्रथम व्यापार समझौता है।
- समझौते का विस्तार क्षेत्र: भारत-मॉरीशस सीईसीपीए समझौता एक सीमित समझौता है, जिसमें सम्मिलित होंगे-
 - ० वस्तुओं का व्यापार,
 - उत्पत्ति के नियम.
 - सेवाओं में व्यापार.
 - व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं (टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड/टीबीटी),
 - स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (सेनेटरी एंड फाइटोसैनिटरी/एसपीएस) उपाय,
 - विवाद निपटान,
 - प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन,
 - ० दूरसंचार,
 - वित्तीय सेवाएं,
 - सीमा शुल्क प्रक्रियाएं एवं
 - अन्य क्षेत्रों में सहयोग।
- उत्पत्ति का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन/सीओओ):
 भारतीय निर्यातकों को सीईसीपीए के तहत अधिमान्य लाभ
 प्राप्त करने के लिए अधिकृत भारतीय एजेंसियों से उत्पत्ति प्रमाण
 पत्र (सीओओ) प्राप्त करना होगा।
 - भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के लिए सीओओ हेतु ऑनलाइन आवेदन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड/डीजीएफटी) की उत्पत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 01 अप्रैल 2021 से किया जा सकता है।



भारत-मॉरीशस सीईसीपीए- वस्तुओं में व्यापार

- भारत से: भारत एवं मॉरीशस के मध्य सीईसीपीए में भारत के लिए 310 निर्यात मद सम्मिलत हैं, जिनमें शामिल हैं
 - o खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ (80 लाइनें),
 - कृषि उत्पाद (25 लाइनें),
 - वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद (27 लाइनें),
 - आधार धातु एवं उसकी वस्तुएँ (32 पंक्तियाँ),
 - विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (13 लाइनें),
 - प्लास्टिक तथा रसायन (20 लाइनें),
 - काष्ठ एवं उसकी वस्तुएं (15 लाइनें) तथा अन्य।
- **मॉरीशस से:** मॉरीशस को अपने 615 उत्पादों के लिए भारत में तरजीही बाजार पहुंच से लाभ प्राप्त होगा, जिसमें शामिल हैं-
 - हिमशीतित मछली,
 - विशेष चीनी,
 - ० बिस्कुट,
 - ० ताजे फल,
 - रस,
 - ० शुद्ध जल,
 - ० बीयर,
 - मादक पेय,
 - ० साबुन,
 - बैग,
 - 🧿 चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा उपकरण, तथा
 - ० परिधान

भारत-मॉरीशस सीईसीपीए- सेवाओं में जापान

- भारत से निर्यात: सेवाओं में व्यापार के संबंध में, भारतीय सेवा प्रदाताओं की 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों से लगभग 115 उप-क्षेत्रों तक पहुंच होगी यथा-
 - ्र व्यावसायिक सेवाएं,
 - <mark>कंप्यूटर से संबंधित सेवा</mark>एं,
 - अनुसंधान एवं विकास,
 - अन्य व्यावसायिक सेवाएं,
 - ० दूरसंचार,
 - ० निर्माण,
 - ० वितरण,
 - ० शिक्षा,
 - ० पर्यावरण,
 - ० वित्तीय,
 - पर्यटन एवं यात्रा संबंधी,
 - मनोरंजनात्मक,
 - योग,
 - ऑडियो-विजुअल सेवाएं, तथा
 - परिवहन सेवाएं।
- मॉरीशस से निर्यात: भारत ने 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों से लगभग
 95 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है, जिनमें शामिल हैं-
 - व्यावसायिक सेवाएं,
 - अनुसंधान एवं विकास,

- o अन्य व्यावसायिक सेवाएं,
- ० दूरसंचार,
- ० वित्तीय,
- वितरण,
- ० उच्च शिक्षा.
- ० पर्यावरण.
- ० स्वास्थ्य,
- पर्यटन एवं यात्रा संबंधी सेवाएं,
- मनोरंजक सेवाएं तथा
- ० परिवहन सेवाएं।

सब्जियों के लिए भारत-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने चंदौली (उत्तर प्रदेश) में सब्जियों के लिए भारत-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी।

सब्जियों के लिए भारत-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र

- सब्जियों के लिए भारत-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र के बारे में: सब्जियों के लिए भारत-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र एक ऐसे स्थान के रूप में कार्य करेगा जहां उन्नत सब्जियों के बीज एवं पौधों की खेती की जाएगी तथा किसानों को वितरित किया जाएगा।
 - किसान स्वयं के लिए पौधों के विकास को भी प्रायोजित कर सकते हैं।
- इजराइल की भूमिका: केंद्र के लिए प्रौद्योगिकी भारत-इजराइल कार्य योजना (इंडिया इजरायल एक्शन प्लान/आईआईएपी) के तहत इज़राइली विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआईडीएच) से प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए आधारिक अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्त प्रदान किया जाता है।
- स्थान: इजरायल प्रौद्योगिकियों के आधार पर राज्यों में उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस/सीओई) स्थापित किए जा रहे हैं।
- महत्व: ये उत्कृष्टता केंद्र बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के लिए प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।
 - वे संरक्षित कृषि में फलों एवं सब्जियों के लिए रोपण सामग्री के स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं।
- चंदौली क्यों (उत्तर प्रदेश): चंदौली जिले की जलवायु, जिसे उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है, सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त है।
 - राज्य में 9 कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं जो वर्ष भर विभिन्न बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुकूल हैं।
- प्रमुख क्रियाकलाप: सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र में स्थापित होने वाले हाई-टेक जलवायु नियंत्रित हरितगृह में टमाटर, काली मिर्च, बैंगन, मिर्च, ककड़ी, एवं विदेशी सब्जियों का बीज उत्पादन करने का प्रस्ताव है।
 - खुले मैदान में ककड़ी, फूलगोभी, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न एवं विदेशी सब्जियों की खेती प्रस्तावित है।

- खुले में सूक्ष्म सिंचाई के साथ-साथ फर्टिगेशन (उर्वरक उपयोग की एक विधि) एवं केमिगेशन प्रणाली से खेती का अभिप्रयोग (टायल) प्रदर्शन किया जाएगा।
- रिसाव (सीपेज), फुहारा सिंचाई (स्प्रिंकलर इरिगेशन) एवं अन्य प्लास्टिक संवर्धन (कल्चर) अनुप्रयोगों की स्थापना का भी प्रदर्शन किया जाएगा।

सब्जियों के लिए इंडो-इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस- किसानों को लाभ

- सब्जियों का उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा।
 - खेती की नवीनतम पद्धितयों का उपयोग करने से किसान बेहतर उपज प्राप्त कर सकेंगे तथा सिंक्जियों का निर्यात भी कर सकेंगे।
- वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु इस उत्कृष्टता केंद्र में सब्जियों सहित अन्य कृषि उत्पादों की नर्सरी तैयार की जाएगी।
 - इससे न केवल यहां के किसानों को लाभ प्राप्त होगा, बल्कि सब्जियों एवं कृषि के क्षेत्र में जिले को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में सहायता प्राप्त होगी।

कृषि क्षेत्र में भारत-इजरायल सहयोग- प्रमुख बिंदु

- भारत-इजरायल कृषि परियोजना: यह उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की अवधारणा पर आधारित है जो उत्पादकता में वृद्धि करने एवं उपज की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से किसानों को प्रौद्योगिकी के तीव्र हस्तांतरण के लिए एक मंच प्रदान करता है।
 - भारत-इजरायल कृषि सहयोग परियोजना का प्रथम चरण
 2008 में तीन वर्ष की कार्य योजना पर हस्ताक्षर के पश्चात
 प्रारंभ हआ था।
 - 2012-2015 की अवधि को सम्मिलित करने हेतु योजना को बाद में विस्तारित कर दिया गया था।
 - इस ढांचे के भीतर, इजरायल राज्य से सर्वोत्तम पद्धितयों एवं सूचनाओं को साझा करने तथा इजराइल एवं भारत दोनों में आयोजित किए जाने वाले पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।
- इंडो-इजराइल उत्कृष्टता केंद्र: वे भारतीय कृषि मंत्रालय एवं एमएएसएचएवी - अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग के लिए इजरायल की एजेंसी के मध्य सहयोग से भारत-इजरायल कृषि परियोजना के तहत स्थापित किए गए हैं।
- भारत-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र के बारे में: भारत-इजरायल उत्कृष्टता केंद्र उत्पादकता मैं वृद्धि करने एवं उपज की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से किसानों को प्रौद्योगिकी के त्वरित हस्तांतरण हेतु एक मंच प्रदान करते हैं।
- महत्व: उत्कृष्टता केंद्र ज्ञान उत्पन्न करते हैं, सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रदर्शन करते हैं एवं किसानों को प्रशिक्षित करते हैं।
 - प्रदर्शन: कृषि मंत्री ने बताया कि 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र कार्यरत हैं। उत्कृष्टता के ये केंद्र हैं-

- 25 मिलियन से अधिक वनस्पति पौधों एवं 387 हजार से अधिक गुणवत्ता युक्त फलदार पौधे का उत्पादन तथा
- प्रति वर्ष 1.2 लाख से अधिक किसानों को प्रशिक्षित कर सकते हैं।
- भारत इजराइल उत्कृष्टता ग्राम/इंडो-इजराइल विलेज ऑफ़ एक्सीलेंस: यह एक नवीन अवधारणा है जिसका उद्देश्य आठ राज्यों में कृषि में एक आदर्श पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है, जिसमें 75 गांवों के भीतर 13 उत्कृष्टता केंद्र हैं।
 - इंडो-इजरायल विलेज ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम निवल आय
 में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा एवं व्यक्तिगत रूप से किसान
 की आजीविका को बेहतर करेगा, पारंपरिक खेतों को
 आईआईएपी मानकों के आधार पर आधुनिक-गहन खेतों में
 रूपांतरित कर देगा।
 - आर्थिक स्थिरता के साथ एक व्यापक स्तर पर एवं पूर्ण मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण, इजरायल की नवीन प्रौद्योगिकियों एवं कार्यप्रणाली के साथ अंतः स्थापित (एम्बेडेड) स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होगा।
 - फोकस क्षेत्र: इंडो-इजरायल विलेज ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा-
 - आधुनिक कृषि अवसंरचना,
 - ० क्षमता निर्माण,
 - बाजार संबद्धता।

इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम (आईटीएफ)

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम/आईटीएफ) एवं प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन परिषद (टेक्नोलॉजी, इनफॉरमेशन, फॉर एंड असेसमेंट काउंसिल/टीआईएफएसी), भारत की ओर से आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनामिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट/ओईसीडी), फ्रांस के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से अवगत कराया गया था।

भारत के बारे में- आईटीएफ परिवहन अनुबंध

- भारतीय परिवहन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) के बारे में: भारतीय परिवहन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 6 जुलाई 2022 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- महत्व: इस अनुबंध के तहत संपादित की जाने वाली गतिविधियां निम्नलिखित को प्रेरित करेंगी:
 - नवीन वैज्ञानिक परिणाम;
 - नई नीति अंतर्दृष्टि;
 - वैज्ञानिक संपर्क में वृद्धि के माध्यम से क्षमता निर्माण;
 - भारत में परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण (डीकार्बोनाइजेशन) के लिए प्रौद्योगिकी विकल्पों की पहचान।

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ)

- अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के बारे में: ओईसीडी में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच एक अंतर सरकारी संगठन है जो परिवहन नीति के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है एवं परिवहन मंत्रियों के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है।
 - अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच एकमात्र वैश्विक निकाय है जो सभी परिवहन साधनों को कवर करता है। आईटीएफ प्रशासनिक रूप से ओईसीडी के साथ एकीकृत है, फिर भी राजनीतिक रूप से स्वायत्त है।
- सचिवालय: अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच का सचिवालय ओईसीडी, पेरिस (फ्रांस) में अवस्थित है।
- सदस्य: ओईसीडी में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) 64 सदस्य देशों के साथ एक अंतर सरकारी संगठन है।
- अधिदेश: अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) का उद्देश्य आर्थिक विकास, पर्यावरणीय धारणीयता एवं सामाजिक समावेशन में परिवहन की भूमिका की गहन समझ को बढ़ावा देना एवं परिवहन नीति की सार्वजनिक रूपरेखा में वृद्धि करना है।
- प्रशासनिक संरचना: फोरम प्रशासनिक रूप से आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनामिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट/ओईसीडी) में एकीकृत है, किंतु यह राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है एवं इसके अनेक सदस्य देश ओईसीडी सदस्य नहीं हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) - प्रमुख भूमिका

- अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) बेहतर परिवहन के लिए वैश्विक संवाद आयोजित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) सभी परिवहन साधनों में नीतिगत मुद्दों पर चर्चा एवं पूर्व-समझौतों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम (आईटीएफ) रुझानों का विश्लेषण करता है, ज्ञान साझा करता है तथा परिवहन निर्णय निर्माताओं एवं नागरिक समाज के मध्य आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच का वार्षिक शिखर सम्मेलन विश्व में परिवहन मंत्रियों का सबसे बड़ी सभा है एवं परिवहन नीति पर संवाद हेतु एक अग्रणी वैश्विक मंच है।

भारत-आईटीएफ अन्य सहयोग- डीटीईई परियोजना

- डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट (डीटीईई) परियोजना के बारे में: उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट (डीटीईई) परियोजना को संयुक्त रूप से 2020 में नीति आयोग एवं ओईसीडी के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (आईटीएफ) द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया था।
- महत्व: महत्वाकांक्षी पांच वर्षीय परियोजना प्रतिरूपण उपकरणों (मॉडलिंग टूल्स) एवं नीति परिदृश्यों के विकास के

माध्यम से भारत को निम्न-कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करने में सहायता करेगी।

- परिवहन क्षेत्र के विकार्बनीकरण (डीकार्बोनाइजेशन) से सभी के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं अधिक किफायती भविष्य का निर्माण होगा।
- डीटीईई परियोजना भारत को अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाओं को कार्यों में रूपांतरित करने में सहायता करेगी।

नेपाल नागरिकता कानून

नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2006 को प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स), नेपाल संसद के निम्न सदन में वापस भेज दिया, सदस्यों से अधिनियम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

नेपाल में नागरिकता का मुद्दा क्या है?

- नेपाल 2006 में राजशाही के पतन एवं 2008 में माओवादी सरकार के पश्चात के चुनाव के साथ एक लोकतंत्र में परिवर्तित हुआ।
- 20 सितंबर, 2015 को एक संविधान को अंगीकृत करने के पश्चात बहुदलीय प्रणाली का उदय हुआ।
- इस तिथि से पूर्व जन्म लेने वाले सभी नेपाली नागरिकों को प्राकृतिक नागरिकता मिल गई, किंतु उनके बच्चे नागरिकता के बिना रह गए क्योंकि उन्हें एक संघीय कानून द्वारा निर्देशित किया जाना था जिसे अभी तक तैयार नहीं किया गया है।
- इस संशोधन अधिनियम से ऐसे अनेक राज्य विहीन युवाओं के साथ-साथ उनके माता-पिता के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है।

अधिनियम के साथ क्या समस्याएं हैं?

- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2006 के विरुद्ध मुख्य आलोचना यह है कि यह लैंगिक न्याय के स्थापित मानकों के विरोध में जाता है।
- सरसरी तौर पर अध्ययन से कानून के विभिन्न वर्गों के मध्य अंतर्विरोधों का भी पता चलता है।
- अनुच्छेद 11(2बी) के अनुसार, नेपाली नागरिकता वाले पिता या माता से जन्म लेने वाला व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
- संविधान का अनुच्छेद 11(5) कहता है कि एक व्यक्ति जो एक नेपाली मां (जो देश में निवास कर चुकी है) एवं एक अज्ञात पिता से पैदा हुआ है, उसे भी वंश आधारित नागरिकता प्राप्त हो जाएगी किंतु यह धारा एक मां के लिए अपमानजनक प्रतीत होती है क्योंकि उसे यह घोषित करना होता है कि बच्चे के नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए उसके पित की पहचान नहीं है।
- नेपाली पिता के मामले में, ऐसी घोषणाओं की आवश्यकता नहीं है।

- अनुच्छेद 11 (7) जो कहता है कि एक नेपाली मां एवं एक विदेशी नागरिकता वाले पिता से पैदा हुए बच्चे को नेपाल के कानूनों के अनुसार "प्राकृतिक नागरिकता" प्राप्त हो सकती है, जो अनुच्छेद 11(2बी) का खंडन करता है।
- यह माँ (एवं बच्चे) पर स्थायी निवास की शर्त आरोपित करता है जो बच्चे के लिए नागरिकता प्रदान करने का निर्धारण करेगा।

संशोधन क्यों तैयार किया गया है?

- देश के रूढ़िवादी वर्गों में एक स्पष्ट चिंता है कि नेपाली पुरुष, विशेष रूप से तराई क्षेत्र से, उत्तरी भारत की महिलाओं से विवाह करना जारी रखते हैं, इस "बेटी-रोटी" (भारतीय महिलाओं से विवाह करने वाले नेपाली पुरुष) के कारण नेपाली पहचान कम हो जाएगी।) मुद्दा, अनेक महिलाएं नेपाल की नागरिक नहीं बन सकीं क्योंकि नेपाल में नागरिकता के लिए आवेदन करने से पूर्व उन्हें कुख्यात सात वर्ष की उपशमन अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) के अधीन किया गया था।
- चूंकि ऐसी महिलाएं राज्य विहीन थीं, ऐसे परिवारों के बच्चे भी प्रायः नेपाली नागरिकता के बिना पाए जाते थे।
- नवीन संशोधनों ने इन राज्य विहीन महिलाओं के लिए उपशमन अविध को समाप्त कर दिया है। इससे ऐसे परिवारों के बच्चों को लव होगा जहां मां एवं बच्चे वर्षों तक राज्य विहीन रहे।

अधिनियम के लिए आगे की राह क्या है?

नेपाल नागरिकता संघर्ष समिति ने काठमांडू में विरोध प्रदर्शन किया एवं मांग की कि राष्ट्रपति भंडारी को उस अधिनियम का अनुसमर्थन करना चाहिए जिसे प्रतिनिधि सभा द्वारा दूसरी बार पारित किया गया था। उनका तर्क है कि भारतीय मूल की महिलाएं, जो उपशमन अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) एवं नौकरशाही शिथिलता के कारण अधिकारों से वंचित थीं एवं उनके बच्चे राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा अधिनियम को मान्यता नहीं प्रदान करने पर राज्य विहीन स्थिति में फंस जाएंगे।

शरणार्थी नीति

हाल ही में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने घोषणा की कि रोहिंग्या अवैध विदेशी हैं।

कौन हैं रोहिंग्या?

- रोहिंग्या एक नृजातीय समूह है जिसमें अधिकांशतः पश्चिम म्यांमार के रखाइन प्रांत के मुसलमान सम्मिलित हैं एवं एक बंगाली बोली बोलते हैं।
- म्यांमार ने उन्हें "निवासी विदेशी" या "उप नागरिक" के रूप में वर्गीकृत किया है एवं 2012 में प्रथम बार प्रारंभ हुई हिंसा के पश्चात बड़ी संख्या में म्यांमार छोड़ने हेतु बाध्य किया गया था।
- म्यांमार सेना ने 2017 में हमलों को पुनः प्रारंभ किया एवं लाखों लोगों ने बांग्लादेश में शरण ली।

भारत की शरणार्थी नीति

- भारत में शरणार्थियों की बढ़ती संख्या के बावजूद उनकी समस्या का समाधान करने के लिए विशिष्ट कानून का अभाव है।
- विदेशी अधिनियम, 1946, एक वर्ग के रूप में शरणार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में विफल रहा है तथा किसी भी विदेशी नागरिक को निर्वासित करने के लिए केंद्र सरकार को असीमित शक्तियां प्रदान करता है।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (द सिटीजनिशप अमेंडमेंट एक्ट/CAA) मुस्लिमों को इसके दायरे से बाहर करता है एवं मात्र बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में प्रताड़ित किए गए हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख एवं बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रयास करता है।
- भारत 1951 के शरणार्थी अभिसमय एवं इसके 1967 के प्रोटोकॉल का एक पक्षकार नहीं है, जो शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं, फिर भी भारत में विदेशी व्यक्तियों एवं संस्कृति को आत्मसात करने की नैतिक परंपरा है।
- भारत का संविधान भी मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता एवं गरिमा का सम्मान करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1996) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "जबिक सभी अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशी नागरिकों सहित अन्य सभी व्यक्ति समानता के अधिकार एवं जीवन के अधिकार के हकदार हैं।"

1951 के शरणार्थी अभिसमय के साथ समस्याएं

 1951 के अभिसमय में शरणार्थियों की परिभाषा केवल नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है, किंतु व्यक्तियों के आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित नहीं है तथा यदि आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन को शरणार्थी की परिभाषा में शामिल किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से विकसित दुनिया पर एक बड़ा बोझ डालेगा।

शरणार्थियों पर एक कानून की आवश्यकता

- भारत प्रायः शरणार्थियों के एक व्यापक प्रवाह का अनुभव करता है जिसके लिए एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून निर्मित कर भारत के धर्मार्थ दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में बदलाव करने के लिए दीर्घकालिक व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता है।
- एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून सभी प्रकार के शरणार्थियों के लिए शरणार्थी-स्थिति निर्धारण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा एवं उन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत उनके अधिकारों की प्रत्याभूति प्रदान करेगा।
- यह भारत की सुरक्षा चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित कर सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय-सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कोई गैरकानूनी हिरासत या निर्वासन नहीं किया गया है।
- भारत में शरणार्थी आबादी का बड़ा हिस्सा श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार एवं अफगानिस्तान से आता है, हालांकि सरकार द्वारा मात्र तिब्बती एवं श्रीलंकाई शरणार्थियों को ही मान्यता दी जाती है।

• उन्हें सरकार द्वारा तैयार की गई विशिष्ट नीतियों एवं नियमों के माध्यम से प्रत्यक्ष सुरक्षा एवं सहायता प्रदान की जाती है।

आगे की राह

- शरण की मांग करने वाले लोग एक संवेदनशील स्थिति में हैं एवं एक समावेशी तथा सिहष्णु देश में आशा की आखिरी किरण देखते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, शरणार्थियों को समाहित करना चाहिए, किंतु मूल आबादी की कीमत पर नहीं।
- अतः, भारत के लिए एक स्पष्ट शरणार्थी कानून एवं नीति को परिभाषित करने का उचित समय आ गया है।

रूस-तुर्की आर्थिक सहयोग

हाल ही में रूस एवं टर्की, रूस के सोची शहर में आयोजित एक बैठक में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

- अमेरिका ने 2020 में मास्को से एस-400 वायु रक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का क्रय करने हेतु अपने काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज श्रू सेंक्शंस एक्ट (CAATSA) के तहत तुर्की को स्वीकृति प्रदान की।
- भारत ने भी इस प्रणाली का क्रय किया है किंतु अमेरिकी सरकार द्वारा सीएएटीएसए लागू करने से एक अपवाद प्राप्त हुआ है।

रूस-तुर्की आर्थिक सहयोग समझौता

- रूस-तुर्की ने तुर्की को गैस के निर्यात पर पर चर्चा की थी। तुर्की भी गैस के निर्यात के लिए आंशिक रूप से रूसी मुद्रा, रूबल में भुगतान करने पर सहमत हुआ।
- ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, पांच तुर्की बैंकों ने रूबल में भुगतान के लिए रूस की मीर भुगतान प्रणाली को अपनाया है।
- वे "अर्थव्यवस्था एवं ऊर्जा पर एक दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने" के लिए भी सहमत हुए।
- बाद में जारी एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में उल्लेखित सहयोग के अन्य क्षेत्रों में परिवहन, वाणिज्य, कृषि, उद्योग, वित्त, पर्यटन एवं निर्माण सम्मिलित थे।

Russia-Turkey gas pipeline plans Moscow and Ankara seek to develop Turkey as a transit route for Russian gas to Europe, avoiding Ukraine Gas pipelines existing planned TurkStream Blue Stream Southern Gas Corridor RUSSIA Krasnodar Frasnodar GEORGIA AZER TURKEY Sources: BR Entog, GIE

यूरोपीय देशों की संबद्ध चिंताएं

- रूस-यूक्रेन युद्ध: यह यूरोप के लिए चिंता का विषय है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर रूस के साथ अपने आर्थिक संबंधों के दायरे को कम करने की मांग की है।
- वित्तीय प्रणाली: चिंता का एक अन्य स्रोत रूस की मीर भुगतान प्रणाली हो सकती है जिसे 5 तुर्की बैंकों द्वारा अपनाया गया है।
 - यूक्रेन पर आक्रमण के पश्चात से वीजा एवं मास्टरकार्ड ने रूस में अपने संचालन को निलंबित कर दिया है, तुर्की में रूसी पर्यटक अब अपने मीर कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, कुछ पश्चिमी प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से दरकिनार कर सकते हैं।
- नाटो के सदस्य: रूस एवं तुर्की के मध्य घनिष्ठता नाटो देशों के लिए चिंता का विषय है, जिनमें से एक सदस्य तुर्की भी है।
 - यह एक गंभीर चिंता का विषय है, विशेष रूप से जब रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी एवं यूरोपीय देशों के साथ रूस के संबंध अपने निम्न स्तर से गुजर रहे हैं।

- यह स्वीडन एवं फ़िनलैंड को नाटो में प्रवेश की अनुमित देने
 की कुंजी भी रखता है, जो गठबंधन यूक्रेन में होने वाली घटनाओं को देखते हुए करने के लिए उत्सुक हो सकता है।
- यूरोप के लिए तुर्की का महत्व: कुल मिलाकर, तुर्की पश्चिमी देशों के साथ एक महत्वपूर्ण भागीदार है एवं इसके विरुद्ध कार्रवाई करने से पश्चिम के लिए मुद्दों की एक नवीन श्रृंखला का उदय हो सकता है। उदाहरण के लिए-
 - सीरियाई शरणार्थी संकट से निपटने में तुर्की की महत्वपूर्ण भूमिका।
 - तुर्की ने यूरोपीय संघ के साथ एक समझौते के एक भाग के रूप में लगभग 3.7 मिलियन सीरियाई लोगों की मेजबानी की एवं "यूरोप में प्रवासियों के प्रवाह को रोकने में सहायता" की।



अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास

बेनामी कानून

उच्चतम न्यायालय ने 2016 में बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 में प्रस्तुत किए गए संशोधनों को "असंवैधानिक तथा स्पष्ट रूप से मनमाना" घोषित किया है, जो भूतलक्षी रूप से लागू होते हैं एवं किसी व्यक्ति को तीन वर्ष के लिए जेल भेज सकते हैं, भले ही यह केंद्र को बेनामी लेनदेन के अधीन "किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार प्रदान करता है"।

बेनामी संपत्ति क्या है?

- बेनामी शब्द का हिंदी में अर्थ होता है बिना नाम के।
- अतः, िकसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई संपत्ति, जो उसके नाम से नहीं है, बेनामी संपत्ति है जिसमें पित या पत्नी अथवा बच्चे के नाम पर रखी गई संपत्ति शामिल हो सकती है, जिसके लिए राशि का भगतान आय के ज्ञात स्रोतों से किया जाता है।
- भाई, बहन या अन्य रिश्तेदारों के साथ एक संयुक्त संपत्ति जिसके लिए राशि का भुगतान आय के ज्ञात स्रोतों से किया जाता है, वह भी बेनामी संपत्ति के अंतर्गत आता है।
- ऐसी खरीद में शामिल लेनदेन को बेनामी लेनदेन कहा जाता है।
- बेनामी लेनदेन में निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदना शामिल है चल, अचल, मूर्त, अमूर्त, कोई अधिकार या ब्याज अथवा कानूनी दस्तावेज।

बेनामी कानून क्या है?

- बेनामी संपत्तियों के विरुद्ध पहला अधिनियम 1988 में बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के रूप में पारित किया गया था।
- सभी खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने जुलाई 2016
 में मूल अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया।
- अतः, आगे संशोधन के बाद, 1 नवंबर 2016 को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 प्रवर्तन में आया।
- पीबीपीटी अधिनियम बेनामी लेनदेन को परिभाषित करता है, उन्हें प्रतिबंधित करता है एवं आगे प्रावधान करता है कि पीबीपीटी अधिनियम का उल्लंघन कारावास एवं आर्थिक दंड (जुर्माना) के साथ दंडनीय है।
- पीबीपीटी अधिनियम वास्तविक स्वामित्वधारी द्वारा बेनामीदार से बेनामी संपत्ति की वसूली पर रोक लगाता है। ऐसी संपत्तियां सरकार द्वारा मुआवजे के भुगतान के बिना जब्त करने के लिए दायी हैं।

संशोधन

- 2016 के कानून ने 1988 के मूल बेनामी अधिनियम में संशोधन किया, इसे मात्र नौ धाराओं से 72 धाराओं तक विस्तारित किया।
- धारा 3(2) एवं 5 को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से समाविष्ट किया गया था।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अगुवाई वाली एक खंडपीठ (बेंच) ने इस संशोधन के माध्यम से समाविष्ट की गई धारा 3 (2) तथा 5 को असंवैधानिक घोषित किया।

धारा 3(2)

- इसके अनुसार, धारा के अस्तित्व में आने से पहले 28 वर्ष पूर्व दर्ज किए गए बेनामी लेनदेन के लिए किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया/CJI)
 श्री रमना ने माना कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद
 20(1) का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद
 20(1) में कहा गया
 है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं
 ठहराया जाना चाहिए, जो "अपराध के रूप में कृत्य के कारित किए जाने के समय" लागू नहीं था।

धारा 5

- इसने कहा कि "िकसी भी बेनामी संपत्ति को केंद्र सरकार द्वारा
 जब्त किया जा सकता है"। न्यायालय ने माना कि इस जब्ती
 प्रावधान को भूतलक्षी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीशा ने सरकार के इस संस्करण को अस्वीकृत कर दिया कि 2016 के अधिनियम के तहत संपत्ति के समपहरण, अधिग्रहण एवं जब्ती अभियोजन की प्रकृति में नहीं थी तथा इसे अनुच्छेद 20 के तहत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

बेनामी लेनदेन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है

- काले धन को नकदी के रूप में जमा करने के स्थान पर, कर अपवंचक अपने संचित अवैध धन को बेनामी संपत्ति खरीदने में निवेश करते हैं।
- पूरी प्रक्रिया राज्य की वृद्धि एवं विकास में बाधा डालने वाली सरकार के राजस्व सृजन को प्रभावित करती है।
- चूंकि देश में करदाताओं का प्रतिशत अत्यंत कम है, अतः सरकार संसाधनों की कमी के कारण अपनी नीतियों एवं योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में विफल रहती है।
- बेनामी लेनदेन भी धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के अवैध उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।

आगे की राह

 बेनामी संपत्तियों के विरुद्ध कठोर कानून बनाने के लिए कानून की सम्यक प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए, जो भ्रष्टाचार की जांच के लिए समय की आवश्यकता है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)

भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/आरबीआई) का डिजिटल रुपया - सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) - चालू वित्त वर्ष में थोक व्यवसायों के साथ प्रारंभ होने वाले चरणों में पेश किया जा सकता है।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) क्या है?

- सीबीडीसी एक डिजिटल रूप में एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई विधिक मुद्रा है एवं यह एक फिएट मुद्रा के समान है एवं अधिदिष्ट मुद्रा के साथ एकल रूप से विनिमय योग्य है।
- ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल अधिदिष्ट (फिएट) मुद्रा या सीबीडीसी का लेन-देन किया जा सकता है।
- हालांकि सीबीडीसी की अवधारणा प्रत्यक्ष रुप से बिटकॉइन से प्रेरित थी, यह विकेन्द्रीकृत आभासी मुद्राओं एवं क्रिप्टो परिसंपत्तियों से पृथक है, जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती हैं एवं 'विधिक मुद्रा' स्थिति का अभाव है।
- सीबीडीसी उपयोगकर्ता को घरेलू एवं सीमा पार दोनों तरह के लेनदेन करने में सक्षम बनाता है जिसके लिए किसी तीसरे पक्ष या बैंक की आवश्यकता नहीं होती है।

सीबीडीसी के लाभ

- सीबीडीसी एक उच्च सुरक्षा वाला डिजिटल युक्ति है एवं इसका उपयोग भुगतान, खाते की एक इकाई तथा मूल्य के भंडार के लिए किया जा सकता है।
- कागजी मुद्रा की भांति, जाली मुद्रा को रोकने के लिए प्रत्येक इकाई विशिष्ट रूप से पहचान योग्य है।
- यह भौतिक मुद्रा की भांति ही केंद्रीय बैंक का दायित्व है।
- यह एक डिजिटल भुगतान साधन है जिसे सभी प्रकार की डिजिटल भुगतान प्रणालियों एवं सेवाओं द्वारा संग्रहित, स्थानांतरित तथा प्रसारित किया जा सकता है।
- यह छपाई की तुलना में अधिक कुशल है।
- यह लेनदेन के जोखिम को कम करता है।
- यह कर संग्रह को पारदर्शी बनाता है।
- धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) को रोकता है।

सीबीडीसी किस प्रकार सहायता करेगा?

सीबीडीसी का प्रारंभ महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने की क्षमता है,
 जैसे कि नकदी पर कम निर्भरता, निम्न लेन-देन लागत के कारण
 उच्च सिक्का ढलाई मुनाफा एवं कम निपटान जोखिम।

- सीबीडीसी की शुरुआत से संभवत: अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित एवं विधिक मुद्रा-आधारित भुगतान विकल्प का मार्ग प्रशस्त होगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
 में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जो इसे सीबीडीसी का प्रारंभ करने करने में सक्षम करेगा।
- सरकार उस समय संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने की योजना बना रही थी जो "कुछ अपवादों" के साथ "भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी" को प्रतिबंधित करेगा।
- डिजिटल रूप में मुद्रा को सम्मिलित करने हेतु 'बैंक नोट' की परिभाषा के दायरे में वृद्धि करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन हेतु सरकार को अक्टूबर 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

सीबीडीसी को क्रिप्टोकुरेंसी पर प्राथमिकता- कारण

- क्रिप्टोकरेंसी उपभोक्ताओं के लिए जोखिम उत्पन्न करती है एवं इसकी कोई संप्रभु प्रत्याभूति (सॉवरेन गारंटी) नहीं होती है एवं इसलिए ये विधिक मुद्रा नहीं हैं।
- 🔸 उनका सट्टा स्वभाव भी उन्हें अत्यधिक अस्थिर बनाता है।
- यदि उपयोगकर्ता अपना निजी खो देता है तो उपयोगकर्ता अपनी क्रिप्टोकरेंसी तक पहुंच खो देता है।
- कुछ मामलों में, इन निजी कुंजियों को तकनीकी सेवा प्रदाताओं (क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज या वॉलेट) द्वारा संग्रहित किया जाता है, जो मैलवेयर या हैकिंग के लिए प्रवण होते हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी आपराधिक गतिविधि एवं मनी लॉन्ड्रिंग के प्रति अधिक संवेदनशील हैं क्योंिक वे अन्य भुगतान विधियों की तुलना में अधिक अनामता प्रदान करते हैं क्योंिक लेन-देन में संलग्न सार्वजनिक कुंजी को प्रत्यक्ष रुप से किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ा जा सकता है।
- एक केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में क्रिप्टोकरेंसी की आपूर्ति को विनियमित नहीं कर सकता है जो देश की वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है यदि उनका उपयोग व्यापक हो जाता है।
- चूंकि लेन-देन को मान्य करना ऊर्जा-गहन है, अतः देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, 2018 में बिटकॉइन माइनिंग का कुल विद्युत उपयोग स्विट्जरलैंड जैसे मध्यम आकार की अर्थव्यवस्थाओं के समतुल्य था।

भारत में आवश्यकता

- भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी है, किंतु छोटे मूल्य के लेन-देन के लिए नकदी प्रमुख बनी हुई है जिसे कुछ हद तक सीबीडीसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- भारत में मुद्रा-से-जीडीपी अनुपात काफी अधिक है।
- एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा बिना किसी अंतर-बैंक निपटान के वास्तविक समय के भुगतान को सक्षम करते हुए मुद्रा प्रबंधन की लागत को कम करेगी।

कृषि में डिजिटल प्रौद्योगिकी

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में देश में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न पहलों की जानकारी दी।

- डिजिटल प्रौद्योगिकियों का कृषि मूल्य प्रणाली में अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है एवं किसान अधिक तेजी से अधिक संसूचित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रौद्योगिकी एवं सूचना हेतु तत्पर अभिगम अंतक प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।
- कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल पहलों का उल्लेख नीचे किया गया है-

इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ़ एग्रीकल्चर (IDEA) फ्रेमवर्क

- भारतीय कृषि का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ़ एग्रीकल्चर/IDEA) संघबद्ध (फ़ेडरेटेड) किसानों के डेटाबेस के लिए आर्किटेक्चर तैयार करेगा।
 - इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा शासित योजनाओं से संबंधित डेटाबेस को एकीकृत किया गया है।
- यह विचार भारत में कृषि के लिए एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में प्रभावी रूप से योगदान करने हेतु उदीयमान प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए नवीन कृषि-केंद्रित समाधान निर्मित करने हेतु एक नींव के रूप में कार्य करेगा।
- यह पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से किसानों की आय में वृद्धि करने एवं समग्र रूप से कृषि क्षेत्र की दक्षता में सुधार करने की दिशा में प्रभावी योजना निर्मित करने में सरकार की सहायता करेगा।

कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी-ए)

- योजना की व्यवस्था के तहत, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने वाली परियोजना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं जैसे-
 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/एआई),
 - यांत्रिक अधिगम (मशीन लर्निंग/एमएल),
 - ० रोबोटिक्स,
 - ० डोन.
 - आंकड़ा वैश्लेषिकी (डेटा एनालिटिक्स),
 - ब्लॉक चेन इत्यादि।

कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम)

 कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन/एसएमएएम) अप्रैल, 2014 से लागू किया जा रहा है।

- कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से 'रिचिंग द अनरीच्ड' को प्राप्त करना है-
 - लघु एवं सीमांत किसानों को केंद्र में लाना तथा कृषि यंत्रीकरण का लाभ प्रदान करना,
 - 'कस्टम हायरिंग सेंटर' को प्रोत्साहित करना,
 - उच्च तकनीक एवं उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र निर्मित करना,
 - विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण,
 - प्रदर्शन एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना, एवं
 - संपूर्ण देश में स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन-परीक्षण तथा प्रमाणन सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM)

- ईनाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्मित करने हेतु वर्तमान कृषि उत्पाद बाजार समिति (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी/एपीएमसी) मंडियों को नेटवर्क करता है।
- व्यापारियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन/एफपीओ), मंडियों को ईएनएएम प्लेटफॉर्म के विभिन्न मॉड्यूल जैसे एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल, वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल के माध्यम से डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

पीएम किसान योजना

- पीएम किसान योजना निधि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है।
 - किसान पोर्टल में किसान कॉर्नर के माध्यम से अपना स्वयं का पंजीकरण कर सकते हैं।
- योजना की पहुंच को व्यापक बनाने हेतु पीएम किसान मोबाइल ऐप का विमोचन किया गया जहां किसान निम्नलिखित कार्यों को संपादित कर सकते हैं-
 - अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं,
 - अपने आधार कार्ड के आधार पर नाम में सुधार या अद्यतन कर सकते हैं एवं
 - अपने बैंक खातों में क्रेडिट के इतिहास की भी जांच कर सकते हैं।

कृषि विपणन योजनाओं के लिए एकीकृत योजना (AGMARKNET)

 एगमार्कनेट का उद्देश्य राज्य, सहकारी एवं निजी क्षेत्र के निवेश सेवाओं को पश्च सिरा सहायिकी (बैकएंड सब्सिडी) सहायता प्रदान करके कृषि विपणन आधारिक संरचना के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जो (एगमार्कनेट) पोर्टल के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

- एगमार्कनेट पोर्टल एक जी 2 सी ई-गवर्नेंस पोर्टल है जो एकल स्थान से कृषि विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करके किसानों, उद्योग, नीति निर्माताओं एवं शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
 - यह संपूर्ण देश में विस्तृत कृषि उपज बाजारों में दैनिक आवक एवं वस्तुओं की कीमतों की वेब-आधारित सूचना प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है।

कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

- देश में कृषि की आधारिक संरचना में सुधार के लिए प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोत्तर प्रबंधन बुनियादी ढांचे तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा अभिनियोजित करने हेतु।
- निम्नलिखित लाभार्थियों को फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना की स्थापना के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता (सबवेंशन) एवं साख प्रत्याभूति (क्रेडिट गारंटी) के रूप में डिजिटल रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जैसे-
 - ० किसान,
 - प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटीज/PACS),
 - किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ),
 - स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स/एसएचजी),
 - ० राज्य एजेंसियां/एपीएमसी।

बागवानी पर राष्ट्रीय मिशन- हॉर्टनेट परियोजना

- यह बागवानी क्षेत्र (बांस एवं नारियल सहित) के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।
- हॉर्टनेट परियोजना एमआईडीएच के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक वेब सक्षम कार्य प्रवाह-आधारित प्रणाली है।
- एनएचएम में ई-गवर्नेंस को कार्यान्वित करने हेतु यह एक विशिष्ट हस्तक्षेप है, जहां-कार्यप्रवाह की समस्त प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है अर्थात-
 - ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना,
 - प्रमाणीकरण,
 - प्रक्रमण एवं
 - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर/डीबीटी)
 के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान।

मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना- मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल

- देश के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरक पद्धतियों में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने हेतु एक आधार प्रदान किया जा सके।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल उपलब्ध है जहां किसान मिट्टी के नमूनों को टैक कर सकते हैं।

किसान स्विधा मोबाइल अनुप्रयोग का विकास

- महत्वपूर्ण मापदंडों पर किसानों को सूचना के प्रसार की सुविधा प्रदान करने हेत् अर्थात;
 - मौसम;
 - बाजार मूल्य;
 - पौधों का संरक्षण;
 - आगत व्यवहार कर्ता अथवा इनपुट डीलर (बीज, कीटनाशक, उर्वरक) कृषि संयंत्र अथवा फार्म मशीनरी;
 - मृदा स्वास्थ्य कार्ड;
 - शीत भंडारण केंद्र (कोल्ड स्टोरेज) एवं गोदाम, पशु चिकित्सा केंद्र तथा नैदानिक प्रयोगशाला (डायग्नोस्टिक लैब)।
- बाजार की सूचना के साथ, किसानों को उत्पाद का विक्रय करने हेतु बाजारों, प्रचलित बाजार कीमतों एवं बाजार में मांग की मात्रा के बारे में बेहतर संसूचित किया जाता है।
- इस प्रकार, वे उपज का उचित मूल्य एवं सही समय पर विक्रय करने हेतु संसूचित निर्णय ले सकते हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम

जुलाई के मध्य से अरहर दाल की कीमतों में उछाल एवं कुछ व्यापारियों द्वारा बिक्री को प्रतिबंधित करके कृत्रिम आपूर्ति को दबाने की रिपोर्ट आने के साथ, केंद्र ने राज्यों को ऐसे व्यापारियों के पास उपलब्ध स्टॉक की निगरानी एवं सत्यापन करने हेतु कहने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट/ईसीए) 1955 लागू किया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- आवश्यक वस्तु अधिनियम ऐसे समय में निर्मित किया गया था जब देश खाद्यान्न उत्पादन के निरंतर खराब स्तर के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था।
- देश आबादी को आहार उपलब्ध कराने के लिए आयात एवं सहायता (जैसे पीएल-480 के तहत अमेरिका से गेहूं का आयात) पर निर्भर था।
- खाद्य पदार्थों की जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम निर्मित किया गया था।

विशेषताएं

- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उपयोग केंद्र को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार के राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण को सक्षम करने की अनुमित प्रदान कर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु किया जाता है।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इस अधिनियम को लागू करता है।
- किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके, सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण को नियंत्रित कर सकती है एवं भंडारण की सीमा निर्धारित कर सकती है।

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। धारा 2 (ए) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु है। 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, यदि केंद्र सरकार को प्रतीत होता है कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखना या उसमें वृद्धि करना अथवा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना आवश्यक है, तो वह उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण एवं बिक्री को नियंत्रित अथवा प्रतिबंधित कर सकती है।
- इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ आवश्यक वस्तुएं खाद्य पदार्थ हैं जिनमें खाद्य तेल एवं तिलहन, दवाएं, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद सम्मिलित हैं।
- केंद्र के पास जनिहत में किसी भी वस्तु को इस सूची से जोड़ने या हटाने की शक्ति है एवं यही उसने मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर के साथ किया है।
- जब किसी आवश्यक वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती हैं, तो सरकार जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक-होल्डिंग की सीमा निर्धारित करती है, उल्लंघन करने वालों के स्टॉक को जब्त करती है एवं दंडित करती है।

मुद्दे

- हाल के वर्षों में, एक तर्क दिया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कठोर था एवं ऐसे समय के लिए उपयुक्त नहीं था जब किसानों को कमी के स्थान पर बहुतायत का सामना करना पड़ता था।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 ने तर्क दिया कि इसने किसानों के लिए लाभकारी कीमतों में बाधा उत्पन्न की एवं भंडारण संबंधी बुनियादी ढांचे में निवेश को हतोत्साहित किया।
- व्यापारी आम तौर पर अपनी सामान्य क्षमता से कम क्रय करते हैं, जो शीघ्र खराब होने वाली फसलों की अधिशेष फसल के दौरान किसानों को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण शीत भंडार गृह (कोल्ड स्टोरेज), गोदामों, प्रसंस्करण एवं निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर मुल्य नहीं प्राप्त हो पाता है।
- इन मुद्दों के कारण, संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन)
 विधेयक, 2020 पारित किया, किंतु किसानों के विरोध के कारण सरकार को इस कानून को निरस्त करना पड़ा।

आगे की राह

- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तब लाया गया था जब भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मिनर्भर नहीं था, किंतु अब भारत अधिकांश कृषि-वस्तुओं के उत्पादन में अधिशेष हो गया है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने साथ ही व्यापारिक सुगमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था।
- यद्यपि विरोध के कारण इसे निरस्त कर दिया गया है, सरकार को किसानों एवं किसान संघों के साथ मिलकर कार्य करना

चाहिए ताकि किसानों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम में सामूहिक रूप से संशोधन किया जा सके तथा वर्तमान परिदृश्य के लिए उपयुक्त परिवर्तन लाया जा सके।

एक देश एक उर्वरक योजना

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय "प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना" (पीएमबीजेपी) नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरकों एवं लोगों के लिए एकल ब्रांड की शुरुआत करके वन नेशन वन फर्टिलाइजर (ओएनओएफ) को लागू करेगा।

वन नेशन वन फर्टिलाइजर (ONOF)

- यूरिया, डीएपी, एमओपी एवं एनपीके इत्यादि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी एवं भारत एनपीके इत्यादि सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं (स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज/एसटीई) एवं उर्वरक विपणन संस्थाओं (फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज/एफएमई) के लिए होंगे।
- साथ ही, उर्वरक सब्सिडी योजना को प्रदर्शित करने वाला एक लोगो, जिसका नाम प्रधानमंत्री भारतीय जनुर्वरक परियोजना है, का उपयोग उर्वरक की बोरियों पर किया जाएगा।
- इस योजना के तहत, कंपनियों को अपने बैग के एक तिहाई स्थान पर ही अपना नाम, ब्रांड, लोगो एवं उत्पाद से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति है।
- शेष दो-तिहाई स्थान पर "भारत" ब्रांड तथा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लोगो प्रदर्शित करना होगा।

इस योजना को प्रारंभ करने के लिए सरकार का क्या तर्क है? कंपनियों द्वारा विपणन किए जा रहे सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों के लिए एकल 'भारत' ब्रांड पेश करने के लिए सरकार के तर्क इस प्रकार हैं:

- यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य वर्तमान में सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो कंपनियों को उनके द्वारा वहन किए गए विनिर्माण अथवा आयात की उच्च लागत के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।
- गैर-यूरिया उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (मैक्सिमम रिटेल प्राइस/एमआरपी) वास्तविक रुप से नियंत्रण मुक्त कर दी गई है।
- किंतु कंपनियां सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकती हैं यदि वे सरकार द्वारा अनौपचारिक रूप से इंगित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर विक्रय करते हैं।
- सीधे शब्दों में कहें, कुछ 26 उर्वरक (यूरिया सहित) हैं, जिन पर सरकार सब्सिडी वहन करती है तथा एमआरपी भी प्रभावी ढंग से निर्धारित करती है।
- कंपनियां किस कीमत पर बेच सकती हैं, सब्सिडी देने तथा निर्धारित करने के अतिरिक्त, सरकार यह भी निर्धारित करती है कि वे कहां बेच सकती हैं।
- यह उर्वरक (संचलन) नियंत्रण आदेश, 1973 के माध्यम से किया जाता है।

- इसके तहत उर्वरक विभाग निर्माताओं तथा आयातकों के परामर्श से सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों पर एक सहमत मासिक आपूर्ति योजना तैयार करता है।
- यह आपूर्ति योजना आगामी माह के लिए प्रत्येक माह की 25 तारीख से पहले जारी की जाती है, साथ ही विभाग दूरस्थ क्षेत्रों सहित आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से संचलन का अनुश्रवण भी करता है।
- सरकार उर्वरक सब्सिडी पर भारी रकम खर्च कर रही है (2022-23 में बिल 200,000 करोड़ रुपये को पार कर सकता है)।
- यह निर्धारित करके कि कंपनियां कहां एवं किस कीमत पर बेच सकती हैं, स्वाभाविक तौर पर वह क्रेडिट लेना चाहती है एवं उस संदेश को किसानों तक पहुंचाना चाहती है।

योजना की संभावित कमियां

- यह उर्वरक कंपनियों को विपणन एवं ब्रांड प्रचार गतिविधियों को प्रारंभ करने से हतोत्साहित कर सकता है।
- उन्हें अब सरकार के लिए अनुबंध निर्माताओं एवं आयातकों तक सीमित कर दिया जाएगा। किसी भी कंपनी की क्षमता अंतत:
 दशकों से निर्मित उसके ब्रांड एवं किसानों का विश्वास है।
- वर्तमान में, उर्वरकों के किसी भी बैग या बैच के आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करने की स्थिति में, दोष कंपनी पर डाला जाता है। किंतु अब, यह दोष पूर्ण रूप से सरकार को दिया जा सकता है।
- राजनीतिक रूप से, यह योजना सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाने के स्थान पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है।

विदेशी निवेश नियम

वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेश एवं भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण तथा हस्तांतरण विनियम, 2015 के लिए वर्तमान नियमों को समाविष्ट करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश नियम), 2022 के लिए नियम जारी किए हैं।

विदेशी निवेश नियम समाचारों में

- स्वेच्छाचारी बकायेदार (विलफुल डिफॉल्टर्स) पर नजर रखते हुए, नए नियम कहते हैं कि -िकसी भी भारतीय निवासी को कोई भी विदेशी वित्तीय प्रतिबद्धता करने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा:
 - जिसके पास एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में प्रतीत होने वाला खाता है अथवा
 - II. किसी बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा
 - III. भारत में किसी वित्तीय सेवा नियामक या जांच एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है।

विदेशी निवेश मानदंडों में परिवर्तन

 भारत में कोई भी निवासी विदेशी इकाई या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट/ODI) में इक्किटी पूंजी अधिग्रहित कर रहा है, उसे प्रत्येक विदेशी इकाई के लिए प्रत्येक

- वर्ष 31 दिसंबर तक वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट/APR) प्रस्तुत करनी होगी।
- ऐसी किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी जहां भारत में निवासी व्यक्ति विदेशी संस्था में नियंत्रण के बिना इक्विटी पूंजी का 10% से कम धारण कर रहा हो।
- इक्विटी पूंजी या विदेशी संस्था के अलावा कोई अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता परिसमापन के अधीन नहीं है।

निवेश की सीमा

- कोई भी निवासी व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम/एलआरएस) के तहत समग्र सीमा के अधीन इक्विटी पूंजी या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट/ओपीआई) में निवेश के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट/ओडीआई) कर सकता है।
- वर्तमान में, उदारीकृत प्रेषण योजना एक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में
 2,50,000 डॉलर के बाहरी निवेश की अनुमित प्रदान करता है।
- ये मानदंड घरेलू निगमों के लिए विदेशों में निवेश करना सुगम बनाते हैं।

निषेध

- कोई भी भारतीय निवासी, जिसे स्वेच्छाचारी बकायेदार (विलफुल डिफॉल्टर) के रूप में वर्गीकृत किया गया है या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन/सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट/ईडी) या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस/एसएफआईओ) द्वारा जांच की जा रही है, को अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट/एनओसी) प्राप्त करना होगा।
- किसी भी विदेशी "वित्तीय प्रतिबद्धता" या विदेशी संपत्तियों का विनिवेश करने से पूर्व उसके बैंक, नियामक निकाय अथवा जांच एजेंसी से एनओसी प्राप्त की जा सकती है।
- नियम यह भी प्रावधान करते हैं कि यदि ऋणदाता, संबंधित नियामक संस्था या जांच एजेंसी आवेदन प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो यह माना जा सकता है कि उन्हें प्रस्तावित लेनदेन पर कोई आपत्ति नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, नए नियम भारतीय निवासियों को उन विदेशी संस्थाओं में निवेश करने से भी निवारित करते हैं जो स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) गतिविधि, किसी भी रूप में जुआ एवं भारतीय रुपये से जुड़े वित्तीय उत्पादों से संबंधित कार्यों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की विशिष्ट स्वीकृति के बिना हैं।

तंग मौद्रिक नीति

महंगाई पर दृष्टि, भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष तीसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने जा रहा है।

मौद्रिक नीति क्या है?

- मौद्रिक नीति आरबीआई अधिनियम, 1934 में निर्दिष्ट लक्ष्यों
 को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक साधनों का उपयोग करने में
 केंद्रीय बैंक की नीति को संदर्भित करती है।
- आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है जो सतत विकास के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है।
- संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य (4% + -2%) निर्धारित करता है।

मौद्रिक नीति के उपकरण

- चलनिधि समायोजन सुविधा (लिक्किडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी/एलएएफ)- एलएएफ में ओवरनाइट एवं आविधक रेपो नीलामियां शामिल हैं।
- बैंक दर- वह दर जिस पर आरबीआई विनिमय के बिल या अन्य वाणिज्यिक पत्र का क्रय करने के लिए तैयार है। बैंक दर आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की जाती है।
- रेपो दर-वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों को तरलता प्रदान करता है।
- रिवर्स रेपो दर- वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों से ओवरनाइट आधार पर तरलता को अवशोषित करता है।
- सांविधिक चलनिधि अनुपात (स्टेट्यूटरी लिक्किडिटी रेशियो/एसएलआर) एनडीटीएल का वह हिस्सा जिसे बैंक को सुरक्षित एवं तरल संपत्तियों में बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि बिना भार वाली सरकारी प्रतिभूतियां, नकद एवं स्वर्ण में परिवर्तन जो प्रायः निजी क्षेत्र को उधार देने हेतु बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं।
- नकद आरक्षित अनुपात (कैश रिजर्व रेश्यो/सीआरआर) औसत दैनिक शेष जो एक बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपनी शुद्ध मांग एवं समय देनदारियों (नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी/एनडीटीएल) के ऐसे प्रतिशत के हिस्से के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है जिसे रिजर्व बैंक समयसमय पर भारत के राजपत्र में अधिसुचित कर सकता है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी/MSF) एक ऐसी सुविधा जिसके तहत अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने
 सांविधिक तरलता अनुपात (स्टेटयूरी लिक्किडिटी रेश्यो/SLR)
 पोर्टफोलियो में एक सीमा तक ब्याज की दंडात्मक दर पर पैसा
 निकाल कर रिज़र्व बैंक से अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं।
- मुक्त बाजार संक्रियाएं (ओपन मार्केट ऑपरेशंस/ओएमओ) इनमें क्रमशः स्थाई तरलता के अंतःक्षेपण एवं अवशोषण के लिए

सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद एवं बिक्री दोनों सम्मिलित होते हैं।

तंग मौद्रिक नीति क्या है?

- केंद्रीय बैंक तंग मौद्रिक नीति में तब संलग्न होती है जब एक अर्थव्यवस्था बहुत तीव्र गित से वृद्धि कर रही है अथवा मुद्रास्फीति-कुल मूल्य-बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
- केंद्रीय बैंक अल्पकालिक ब्याज दरों को बढ़ाकर नीति को सख्त करता है या पैसे को तंग करता है जिससे उधार लेने की लागत बढ़ जाती है एवं प्रभावी रूप से इसका आकर्षण कम हो जाता है।

भारत में मौद्रिक नीति

- भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति के माध्यम से देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,
 1934 के तहत अनिवार्य मौद्रिक नीति के संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है एवं इसके लिए भारत सरकार प्रत्येक पांच वर्ष के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है जिसमें मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के संबंध में परामर्श प्रक्रिया में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- भारत में वर्तमान मुद्रास्फीति-लक्षित ढांचा प्रकृति में लचीला है।
- भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य कौन निर्धारित करता है: संशोधित आरबीआई अधिनियम में रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के मौद्रिक नीति ढांचे का संचालन करता है।
- संशोधित आरबीआई अधिनियम देश के मौद्रिक नीति ढांचे को संचालित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को विधायी अधिदेश प्रदान करता है जिसका उद्देश्य वर्तमान एवं विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीति (रेपो) दर निर्धारित करना तथा रेपो दर पर या उसके आसपास मुद्रा बाजार दर को सहारा देने हेतु तरलता की स्थिति में सुधार (मॉड्यूलेशन) करना है।
- रेपो दर में परिवर्तन मुद्रास्फीति एवं विकास का एक प्रमुख निर्धारक, संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करता है, जो बदले में, समग्र मांग को प्रभावित करता है।
- एक बार रेपो दर घोषित किए जाने के पश्चात, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिज़ाइन किया गया परिचालन ढांचा उपयुक्त कार्रवाई के माध्यम से दैनिक (दिन-प्रतिदिन के) आधार पर चलनिधि प्रबंधन की परिकल्पना करता है।

भारत में मुद्रास्फीति

- अंतिम तिमाही में 2021-22 में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग 75.3 प्रतिशत हो गया, जबिक इसके दीर्घकालिक औसत 73.7 प्रतिशत था।
- आरबीआई ने भी वर्ष 2022-23 के लिए महंगाई दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।
- जबिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल में अपने उछाल से कम हुई है, आरबीआई ने कहा कि यह असुविधाजनक रूप से उच्च एवं लक्ष्य की ऊपरी सीमा से ऊपर है।
- जबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरी तिमाही के लिए 7.1
 प्रतिशत की मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया था, यह अपेक्षा

करता है कि यह तीसरी तिमाही में घटकर 6.4 प्रतिशत; एवं चौथी तिमाही में घटकर 5.8 प्रतिशत हो जाएगा। इसने 2023-24 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति के 5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है।

सारांश

मौद्रिक नीति से तात्पर्य आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक साधनों जैसे कि ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति एवं ऋण की उपलब्धता को विनियमित करने हेतु मौद्रिक साधनों के उपयोग से है।



सामाजि<u>क समस्याए</u>ँ

नमस्ते योजना

हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट/MoSJE) द्वारा मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम/नमस्ते) योजना प्रारंभ की गई थी।

नमस्ते योजना

- नमस्ते योजना के बारे में: नमस्ते एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित कर शहरी भारत में स्वच्छता श्रमिकों की सुरक्षा एवं सम्मान की परिकल्पना करता है जो स्वच्छता संबंधी आधारिक संरचना के संचालन एवं रखरखाव में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में स्वच्छता श्रमिकों को मान्यता प्रदान करता है।
- अधिदेश: शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना तथा स्थायी आजीविका प्रदान करना एवं क्षमता निर्माण तथा सुरक्षा उपकरण एवं मशीनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से उनकी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ाना।
- मूल मंत्रालय: नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट/MoSJE) की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
 - इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स/MoHUA) द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है।
- कवरेज: नमस्ते योजना के इस चरण के तहत पांच सौ शहरों (अमृत शहरों के साथ अभिसरण) को लिया जाएगा। अई होने वाले पात्र शहरों की श्रेणी नीचे दी गई है:
 - छावनी बोर्डों (नागरिक क्षेत्रों) सहित अधिसूचित नगर पालिकाओं वाले एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर एवं कस्बे
 - सभी राजधानी शहर/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (अर्बन टेरिटरीज/यूटी) के शहर, जो 4(i) में सम्मिलित नहीं हैं,
 - पहाड़ी राज्यों, द्वीपों एवं पर्यटन स्थलों के दस शहर (प्रत्येक राज्य से एक से अधिक नहीं)।
- वित्त पोषण: NAMASTE योजना को 2022-23 से 2025-26 तक चार वर्षों के लिए 360 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।

नमस्ते योजना के प्रमुख उद्देश्य

- नमस्ते योजना का लक्ष्य होगा-
 - स्वच्छता कार्यकर्ताओं की संवेदनशीलताओं को कम करने हेतु
 वैकल्पिक आजीविका सहायता एवं पात्रता तक पहुंच प्रदान करना एवं

- उन्हें स्व-रोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच स्थापित करने एवं स्वच्छता कार्य में अंतर-पीढ़ी को तोड़ने में सक्षम बनाना।
- इसके अतिरिक्त, नमस्ते योजना स्वच्छता कार्यकर्ताओं के प्रति नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन लाएगा एवं सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं की मांग में वृद्धि करेगा।

नमस्ते योजना- अपेक्षित परिणाम

नमस्ते योजना का उद्देश्य निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करना है:

- भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु
- समस्त स्वच्छता कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किए जाएं
- कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आए
- स्वच्छता कार्यकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित किया जाता है एवं उन्हें स्वच्छता प्रतिष्ठानों को संचालित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है
- सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों (एसएसडब्ल्यू)
 के पास वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच उपलब्ध है
- सुरक्षित स्वच्छता कार्य के प्रवर्तन एवं अनुश्रवण को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय, राज्य तथा शहरी स्थानीय निकायों (अर्बन लोकल बॉडीज/यूएलबी) स्तरों पर दृढ़ पर्यवेक्षी एवं अनुश्रवण प्रणाली
- पंजीकृत एवं कुशल स्वच्छता कर्मकारों से सेवाएं लेने के लिए स्वच्छता सेवा चाहने वालों (व्यक्तियों तथा संस्थानों) के मध्य जागरूकता में वृद्धि करना।

नमस्ते योजना का क्रियान्वयन

- राष्ट्रीय नमस्ते प्रबंधन इकाई: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम (नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन/एनएसकेएफडीसी) नमस्ते के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
 - संरचना के शीर्ष पर एनएसकेएफडीसी के प्रबंध निदेशक के अधीन राष्ट्रीय नमस्ते अनुश्रवण इकाई (नेशनल नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट/एनएनएमयू) होगी, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) में संबंधित डिवीजन प्रमुख को रिपोर्ट करेगी।
 - मोबाइल ऐप एवं समर्पित वेबसाइटों के माध्यम से अधिकतम अनुश्रवण तथा रिपोर्टिंग वास्तविक समय के आधार पर होगी।
- राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई: राज्य सरकार, राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई (एसएनएमयू) के प्रमुख के रूप में राज्य नमस्ते निदेशक के रूप में नामित होने के लिए एक उपयुक्त अधिकारी का निर्णय करेगी।

- अधिकारी एसबीएम, एनयूएलएम, अमृत अथवा शहरी स्थानीय निकायों या राज्य के किसी अन्य संबंधित विभाग से हो सकता है।
- उन्हें आवश्यकता के अनुसार योजना के तहत तैनात किए जाने वाले पीएमयू संसाधन (राज्य नमस्ते प्रबंधक) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- शहर के स्तर पर, सिटी नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट (सीएनएमयू) में संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नामित शहर का एक नमस्ते नोडल अधिकारी शामिल होगा, जिसे योजना के तहत तैनात पीएमयू संसाधन (सिटी नमस्ते प्रबंधक) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- सिटी नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट: पीएमयू का आयोजन नगर पालिकाओं के समूहों में किया जाएगा ताकि सिटी नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट (सीएनएमयू) के रूप में कार्य किया जा सके ताकि एसबीएम संकुल (क्लस्टर्स) के साथ अनुरूप किया जा सके।
 - सिटी नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट (CNMU) शहर में सीवरेज संचालन से संबंधित किसी भी अन्य शहरी निकाय जैसे सीवरेज बोर्ड / जल बोर्ड, छावनी बोर्ड इत्यादि को सम्मिलित करना सुनिश्चित करेगी।
- आईईसी अभियान: शहरी स्थानीय निकायों एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा ताकि लक्षित स्वच्छता कार्यकर्ताओं की गणना एवं नमस्ते के अन्य अंतःक्षेपों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जा सके।
 - अभियान के लिए प्रमुख स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया तथा होर्डिंग्स का प्रयोग स्थानीय भाषा एवं अंग्रेजी/हिंदी में किया जाएगा।

भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात पर प्यू रिपोर्ट

प्यू रिसर्च सेंटर के नवीनतम अध्ययन में बताया गया है कि भारत में "पुत्र पूर्वाग्रह" में गिरावट आ रही है क्योंकि यह पाया गया कि जन्म के समय लिंग अनुपात थोड़ा सामान्य हो जाता है।

जन्म के समय लिंग अनुपात पर प्यू रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- लापता लड़िकयों की संख्या में कमी: देश में "लापता" बच्चियों की औसत वार्षिक संख्या 2010 में 480,000 (4.8 लाख) से गिरकर 2019 में 410,000 (4.1 लाख) हो गई।
- "लापता" का अर्थ है कि इस अविध के दौरान कितने और महिला जन्म हुए होंगे यदि कोई महिला-चयनात्मक गर्भपात नहीं हुआ होता।
- जन्म के अंतराल में लिंग अनुपात को पाटना: भारत की 2011 की जनगणना में प्रति 100 बालिकाओं पर लगभग 111 बालकों के बृहद असंतुलन से, जन्म के समय लिंग अनुपात विगत एक दशक में थोड़ा सामान्य हुआ प्रतीत होता है।

- भारत में जन्म के समय लिंगानुपात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे/एनएफएचएस) की 2015-16 के दौर में लगभग 109 तथा 2019-21 से आयोजित एनएफएचएस की नवीनतम दौर में 108 बालकों तक सीमित है।
- लिंग-चयनात्मक गर्भपात: प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट गीत करती है कि 2000 एवं 2019 के मध्य, महिला-चयनात्मक गर्भपात के कारण नौ करोड़ महिला जन्म "लुप्त" हो गए।

धर्म-वार लिंग चयनात्मक गर्भपात

- सिखों में: रिपोर्ट में धर्म-वार लिंग चयन का भी विश्लेषण किया गया है, जो यह इंगित करता है कि सिखों के लिए यह अंतर सर्वाधिक था।
 - अध्ययन बताता है कि जहां सिख भारतीय आबादी के 2% से कम हैं, वहीं 2000 एवं 2019 के मध्य भारत में "लापता" होने वाली नौ करोड़ बालिकाओं में से अनुमानित 5% या लगभग 440,000 (4.4 लाख) के लिए उत्तरदायी हैं।
 - 2001 की जनगणना में, सिखों का लिंगानुपात प्रति 100 महिलाओं पर 130 पुरुषों का था, जो उस वर्ष के राष्ट्रीय औसत 110 से कहीं अधिक था।
 - 2011 की जनगणना तक, सिख अनुपात प्रति 100 बालिकाओं पर 121 बालकों तक सीमित हो गया था।
 - यह अब 110 के आसपास है, जो देश के हिंदू बहुसंख्यक (109) में जन्म के समय पुरुषों एवं महिलाओं के अनुपात के समान है।
- अन्य धर्मों में: ईसाई (105 बालकों पर 100 बालिकाएं) एवं मुस्लिम (106 बालकों पर 100 बालिकाएं) दोनों में लिंगानुपात प्राकृतिक मानदंड के करीब है एवं यह प्रवृत्ति कायम है।
 - ् हिंदुओं में "लापता" बालिकाओं का अंश उनकी संबंधित जनसंख्या अंश से ऊपर है।

भारत में लिंग चयनात्मक गर्भपात का पता लगाना

- लिंग-चयनात्मक गर्भपात की समस्या 1970 के दशक में उपलब्ध जन्मपूर्व निदान तकनीक की उपलब्धता के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें लिंग चयनात्मक गर्भपात की अनुमित प्रदान की गई थी।
- प्रमुख धर्मों के मध्य, लिंग चयन में सर्वाधिक कमी उन समूहों में प्रतीत होती है, जिनमें पहले सर्वाधिक लिंग असंतुलन था, विशेष रुप से सिखों में।
- संपूर्ण विश्व में, जन्म के समय बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से मामूली अधिक, प्रत्येक 100 महिला शिशुओं के लिए लगभग 105 पुरुष शिशुओं के अनुपात में है।
- 1950 तथा 1960 के दशक में भारत में यह अनुपात संपूर्ण देश में प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण उपलब्ध होने से पहले था।
- भारत ने 1971 में गर्भपात को वैध कर दिया, किंतु अल्ट्रासाउंड स्कैन तकनीक के प्रारंभ के कारण 1980 के दशक में लिंग चयन का चलन प्रारंभ हो गया।

• 1970 के दशक में, भारत का लिंगानुपात 105-100 के वैश्विक औसत के समान था, किंतु 1980 के दशक के प्रारंभ में यह बढ़कर प्रति 100 बालिकाओं पर 108 बालकों तक पहुंच गया एवं 1990 के दशक में प्रति 100 बालिकाओं पर 110 बालकों तक पहुंच गया।

एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति के तहत एनीमिया को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न अंतःक्षेपों के बारे में राज्यसभा को सुचित किया।

एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति

- एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति के बारे में: भारत सरकार भारतीय लोगों में एनीमिया को समाप्त करने के लक्ष्य के साथ पोषण अभियान के तहत एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति लागु करती है।
- अधिदेश: एनीमिया मुक्त भारत रणनीति को वर्ष 2018 एवं 2022 के मध्य प्रजनन आयु वर्ग (15-49 वर्ष) में बच्चों, किशोरों एवं महिलाओं में प्रति वर्ष 3% अंक तक एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- 6X6X6 रणनीति: सरकार का लक्ष्य 6X6X6 रणनीति के माध्यम से निवारक एवं उपचारात्मक तंत्र प्रदान करना है जिसमें रणनीति को लागू करने हेतु समस्त हितधारकों के लिए छह लक्षित लाभार्थियों, छह अंतःक्षेप एवं छह संस्थागत तंत्र सम्मिलित हैं।
- लक्ष्य समूह: एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति का उद्देश्य छह जनसंख्या समूहों में एनीमिया को कम करना है
 - o बच्चे (6-59 माह),
 - बच्चे (5-9 वर्ष),
 - o किशोर बालिकाएं एवं बालक (10-19 वर्ष),
 - गर्भवती महिलाएं,
 - स्तनपान कराने वाली महिलाएं तथा
 - जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन आयु (डब्ल्यूआरए) समूह (15-49 वर्ष) की महिलाएं।
- कार्यान्वयन मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति को क्रियान्वित कर रहा है।
- क्रियान्वयन के क्षेत्र: एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति भारत के समस्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों, प्रखंडों एवं जिलों में लागू की जाएगी।
 - राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल (नेशनल आयरन प्लस इनीशिएटिव/एनआईपीआई) एवं साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड पूरकता (वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन/डब्ल्यूआईएफएस) कार्यक्रम में परिकल्पित मौजूदा वितरण प्लेटफार्मों के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाएगा।

भारत में एनीमिया की स्थिति

- वर्ष 2019-21 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर/MoHFW) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे/NFHS) के पांचवें दौर के अनुसार, एनीमिया की व्यापकता है -
 - पुरुषों में 0 प्रतिशत (15-49 वर्ष)
 - o महिलाओं में 0 प्रतिशत (15-49 वर्ष)
 - o किशोर बालकों में 1 प्रतिशत (15-19 वर्ष),
 - किशोरियों में 1 प्रतिशत,
 - गर्भवती महिलाओं में 2 प्रतिशत (15-49 वर्ष) एवं
 - बच्चों में 1 प्रतिशत (6-59 माह)।
- 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एनएफएचएस-4 की तुलना में एनएफएचएस-5 में 15-49 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया के प्रसार में गिरावट दर्ज की है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम हैं-
 - आंध्र प्रदेश,
 - अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,
 - अरुणाचल प्रदेश,
 - ० चंडीगढ़,
 - दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव,
 - हरियाणा,
 - हिमाचल प्रदेश,
 - ० लक्षद्वीप,
 - मेघालय,
 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
 - ० तमिलनाडु,
 - उत्तर प्रदेश एवं
 - उत्तराखंड

एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति के तहत सरकार द्वारा प्रमुख अंतः क्षेप

- रोगिनरोधी आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरक।
- साल भर का गहन व्यवहार परिवर्तन संचार (बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन/बीसीसी) अभियान एवं विलंबित कॉर्ड क्लैम्पिंग।
- डिजिटल पद्धतियों एवं देखभाल उपचार के बिंदु का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण।
- मलेरिया, हीमोग्लोबिन विकृति (हीमोग्लोबिनोपैथी) एवं फ्लुओरीनमयता (फ्लोरोसिस) पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर-पोषकीय कारणों को संबोधित करना।
- संबंधित विभागों एवं अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण तथा समन्वय।
- स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के लिए एनीमिया नियंत्रण पर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र तथा उन्नत अनुसंधान को सम्मिलित करना।
- एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड का उपयोग कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रगति का अनुश्रवण करना।

'मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था।

मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा

- मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में: मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार एवं इसके प्रभाव, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
- अध्यक्ष: केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में 'मादक द्रव्यों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा' पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
- नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) पुरस्कार: यह केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ तीन प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया था
 - एनएमबीए राज्य अर्थात मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर एवं गुजरात तीसरे स्थान पर तथा
 - एनएमबीए जिले प्रथम स्थान पर दितया, थौबल द्वितीय एवं चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर हैं।

नवचेतना मॉड्यूल विमोचित

- नवचेतना (विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए जीवन कौशल एवं मादक द्रव्यों की शिक्षा पर एक नवीन चेतना) के कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 9 से 11 तक के दो मॉड्यूल विमोचित किए गए।
 - नवचेतना मूल रूप से एक शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल है एवं भारत में विद्यालयों में छात्रों के मध्य जीवन कौशल तथा मादक द्रव्यों पर जागरूकता एवं शिक्षा में वृद्धि करेगा।
- नवचेतना की पहुंच एवं प्रभाव को और सुदृढ़ करते हुए, प्रशिक्षण सामग्री का भारत की 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।
- शिक्षक सहायता सहायता के रूप में, प्रत्येक मॉड्यूल दीक्षा (DIKSHA) पोर्टल (शिक्षा मंत्रालय का डिजिटल शैक्षिक मंच) पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो के रूप में उपलब्ध होगा।
- मंत्रालय ने एक वर्ष में नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से 10 लाख शिक्षकों एवं 2.4 करोड़ छात्रों के मध्य जागरूकता के सृजन का लक्ष्य रखा है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)- प्रमुख बिंदु

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में: एनसीबी का गठन सरकार द्वारा 1986 में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट), 1985 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था।
 - मुख्यालय: नई दिल्ली।
- मूल मंत्रालय: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अधिदेश: केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत ऐसे मामलों के संबंध में आवश्यक कदम उठाने हेतु गठित।
- संवैधानिक आधार: स्वापक औषि एवं मन:प्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है।
 - अनुच्छेद 47: यह राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय दायित्व: भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों एवं प्रोटोकॉल का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो विभिन्न मादक द्रव्यों से संबंधित मुद्दों के प्रभावी कार्यान्वयन को अधिदेशित करता है। वे हैं-
 - स्वापक औषधियों (नारकोटिक ड्रग्स) पर अभिसमय
 1961, 1972 के प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित,
 - o मन:प्रभावी पदार्थों पर अभिसमय, 1971 एवं
 - स्वापक औषधियों तथा मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1988।

पालन 1000

हाल ही में, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने मुंबई में आरंभिक बाल्यावस्था विकास सम्मेलन, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान एवं पेरेंटिंग ऐप को आभासी रूप से विमोचित किया।

 पालन 1000 को विमोचित करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत ने 2014 से बाल मृत्यु दर को 45 प्रति 1000 जीवित जन्मों से कम करके 2019 में 35 प्रति 1000 जीवित जन्मों तक कम करने में तेजी से कदम उठाए हैं।

पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान एवं पेरेंटिंग ऐप

- पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान एवं पेरेंटिंग ऐप के बारे में:
 'पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान- प्रथम 1000 दिनों की यात्रा',
 अपने जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है।
- अधिदेश: 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास इस पालन 1000 का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है।
- प्रमुख विशेषताएं: पालन 1000 माता-पिता, परिवारों एवं अन्य देखभाल करने वालों के लिए आरंभिक वर्षों के अनुशिक्षण (कोचिंग) को परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई सेवाओं के साथ जोड़ती है।
 - शिशुओं एवं बच्चों को उनके अनुभवों से आकार दिया जाता है - तथा उन अनुभवों को उनके देखभाल करने वालों द्वारा आकार दिया जाता है।
 - जीवन के प्रथम वर्षों में एक मजबूत शुरुआत के लिए देखभाल करने वाले महत्वपूर्ण हैं।

- कार्यक्रम को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)
 के मिशन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें पहले 1000 दिनों
 में उत्तरदायी देखभाल तथा अंतः क्षेप पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- पालन 1000 पेरेंटिंग ऐप: यह देखभाल करने वालों को व्यावहारिक परामर्श प्रदान करेगा कि वे अपनी दिनचर्या में क्या कर सकते हैं एवं माता-पिता की विभिन्न शंकाओं को हल करने में सहायता करेगा तथा एक बच्चे के विकास में हमारे प्रयासों को निर्देशित करेगा।
- **मार्गदर्शक सिद्धांत:** पालन 1000 ने निम्नलिखित 6 सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया है-
 - प्यार को अधिकतम करना,
 - बात करें एवं जुड़े रहें,
 - गतिविधियों एवं खेल के माध्यम से अन्वेषण करें,
 - कहानियां पढ़ें तथा चर्चा करें,
 - स्तनपान के दौरान बच्चे के साथ माँ का जुड़ाव एवं
 - तनाव प्रबंधन तथा शांत रहना।
- 'निरंतर देखभाल' अवधारणा: यह अवधारणा बच्चे के अस्तित्व में सुधार के लिए महत्वपूर्ण जीवन चरणों के दौरान देखभाल पर

बल देती है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत इसका पालन किया जा रहा है।

पहले 1000 दिनों में आरंभिक बाल्यावस्था के विकास का महत्व

- प्रथम एक हजार दिनों में गर्भाधान के साथ-साथ बच्चे के जीवन के प्रथम 2 वर्ष सम्मिलित होते हैं एवं इस अविध के दौरान बढ़ते बच्चे को उचित पोषण, उद्दीपन, प्यार एवं समर्थन की आवश्यकता होती है।
- पहले 1000 दिन बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक ठोस मंच स्थापित करते हैं।
- बच्चे के मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था के दौरान प्रारंभ होती है तथा गर्भवती महिला के स्वास्थ्य, पोषण एवं वातावरण से प्रभावित होती है।
- जन्म के पश्चात,शारीरिक विकास के अतिरिक्त, एक मानव शिशु के मस्तिष्क का विकास उसके भविष्य के स्तर की बुद्धि एवं जीवन की गुणवत्ता का मार्ग प्रशस्त करता है।
- इस यात्रा का प्रत्येक दिन विशेष है एवं बच्चे के विकास, बढ़ने तथा सीखने के तरीके को - न केवल वर्तमान में, बल्कि उसके पूरे जीवन काल के लिए प्रभावित करता है।



पर्यावरण और पारिस्थितिकी

<u>हरित वित्त</u>

एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जलवायु परिवर्तन एवं हरित वित्त को नीति में शामिल करना महत्वपूर्ण है।

ग्रीन फाइनेंस क्या है?

- हरित वित्त एक ऐसी परिघटना है जो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार के साथ वित्त एवं व्यापार की दुनिया को जोड़ती है।
- इसका नेतृत्व वित्तीय प्रोत्साहन, ग्रह को संरक्षित करने की इच्छा अथवा दोनों के संयोजन से हो सकता है।
- अग्रसिक्रय, पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार का प्रदर्शन करने के अतिरिक्त, जैसे किसी भी व्यवसाय या गतिविधि को बढ़ावा देना जो अभी या आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है।

हरित वित्त के साधन/ग्रीन फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स

- अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू पूंजी को एक साथ जोड़कर हरित निवेश को प्रेरण देकर बढ़ाने हेतु एक "ग्रीन सुपर फंड" की स्थापना की जा सकती है।
- सार्वभौम हरित ऋण पत्र (सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड/SGB): सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एक नवीन विचार है। यह सरकार के ऋण कार्यक्रम का एक हिस्सा होगा। सरकार का सकल ऋण कार्यक्रम 14.95 लाख करोड़ रुपये आकलित किया गया है। बढ़ाया गया SGB (सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड) कुल ऋण कार्यक्रम का हिस्सा होगा एवं इसका उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाना है जो पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस/ESG) के अनुरूप हैं।

वित्तीय प्रणाली को हरित करने के लिए नेटवर्क

- वित्तीय प्रणाली को हरित करने हेतु नेटवर्क 114 केंद्रीय बैंकों एवं वित्तीय पर्यवेक्षकों का एक नेटवर्क है जिसका उद्देश्य हरित वित्त के विस्तार में गित लाना तथा जलवायु परिवर्तन के लिए केंद्रीय बैंकों की भूमिका हेतु संस्तुतियां विकसित करना है।
- वित्तीय प्रणाली को हरित करने हेतु नेटवर्क (द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम/एनजीएफएस) 2017 में निर्मित किया गया था तथा इसके सचिवालय की मेजबानी बांके डी फ्रांस द्वारा की जाती है।
- नेटवर्क का उद्देश्य पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक वैश्विक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने एवं जोखिमों के प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रणाली की भूमिका में वृद्धि करने तथा पर्यावरणीय रूप से सतत विकास के व्यापक संदर्भ में हरित एवं निम्न कार्बन निवेश के लिए पूंजी जुटाने में सहायता करना है।

महत्व

- निवल-शून्य उत्सर्जन एवं अन्य जलवायु-संबंधी तथा पर्यावरणीय लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकार्बनीकरण (डीकार्बोनाइजेशन (एवं नवाचार को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। इन निवेशों को साकार करने के लिए वित्तीय प्रणाली को हरित बनाना महत्वपूर्ण है।
- हरित वित्त पहल का उद्देश्य 2030 सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स/एसडीजी) को प्राप्त करना है, जो शेयरधारकों (आर्थिक) के लिए मूल्य निर्माण लेकर हितधारकों (आर्थिक, पर्यावरण एवं सामाजिक) के लिए मूल्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- जैसे ही हम महामारी से उबरना शुरू करते हैं, हरित वित्त नवीन व्यवसायों एवं नौकरियों का सृजन करते हुए, एक हरित भविष्य के साथ वापस निर्माण करने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।
- अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुदृढ़ एवं हरित विकास का समर्थन करता है।

हरित वित्त के साथ मुद्दे

- हरित वित्त पर प्रतिफल दीर्घकालिक, अल्प मौद्रिक मूल्य एवं कई बार अमूर्त होता है, जिससे निजी हरित वित्त जुटाने के लिए वित्तीय प्रणाली की क्षमता, विशेष रूप से विकसित देशों में कठिन होती है।
- भारत जैसे विकासशील देशों में विकास एवं निर्धनता उन्मूलन की चुनौतियां हैं, अतः मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने एवं भारी निवेश की आवश्यकता वाली हरित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु संसाधनों का आवंटन एक चुनौती है।
- अनेक देशों में, हरित वित्त एवं अधिकांश हरित परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश तक सीमित हैं।
- भारत को कोयला प्रौद्योगिकी को हरित करने की आवश्यकता है जो अधिकांश विकसित देशों में निजी प्रतिभागियों तक सीमित है एवं आईपीआर के अधीन है।
- हरित ऋण पत्र (ग्रीन बॉन्ड) को नवीन माना जाता है एवं इसमें अधिक जोखिम संलग्न होता है तथा उनकी अविध भी छोटी होती है। उन्हें निवेश स्तर का बनाने के लिए जोखिम कम करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान किस प्रकार करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, हम विश्व के तीसरे सर्वाधिक वृहद कार्बन उत्सर्जक हैं एवं ग्रह को निम्न कार्बन प्रक्षेपवक्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो हमें हरित सीमा तक पहुंचने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को तत्काल रूपांतरित करना होगा।

भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)

हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया हेतु भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को स्वीकृति प्रदान की है।

 अद्यतन एनडीसी को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को सूचित किया जाएगा।

भारत का अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)

- पृष्ठभूमि: ग्लासगो शिखर सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी का सीओपी 26) में, भारतीय प्रधानमंत्री ने "पंचामृत" कहे जाने वाले पांच लक्ष्यों के माध्यम से भारत की जलवायु कार्रवाई को और गहन करने की घोषणा की थी।
 - भारत के मौजूदा एनडीसी के लिए यह अद्यतन सीओपी
 26 में घोषित 'पंचामृत' को उन्नत जलवायु लक्ष्यों में रूपांतरित कर देता है।
- अद्यतन एनडीसी (पंचामृत): जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए, भारत का लक्ष्य है-
 - 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना.
 - 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करना।
 - कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना
 - 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन गहनता को 45% से कम करना एवं
 - 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना।
- कार्यान्वयन: भारत के अद्यतन एनडीसी को संबंधित मंत्रालयों / विभागों के कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उचित समर्थन के साथ 2021-2030 की अविध में लागु किया जाएगा।
- महत्व: अद्यतन एनडीसी, पेरिस समझौते के तहत सहमित के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को सशक्त करने की उपलब्धि की दिशा में भारत के योगदान को बढ़ाने का प्रयास करता है।
 - इस तरह की कार्रवाई से भारत को निम्न उत्सर्जन वृद्धि के रास्ते पर लाने में भी सहायता प्राप्त होगी।
 - यह देश के हितों की रक्षा करेगा एवं यूएनएफसीसीसी के सिद्धांतों तथा प्रावधानों के आधार पर इसके भविष्य की विकास आवश्यकताओं की रक्षा करेगा।
 - अद्यतन एनडीसी 2021-2030 की अवधि के लिए भारत के स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण हेतु रूपरेखा का भी प्रतिनिधित्व करता है।

अद्यतन एनडीसी की दिशा में भारत के प्रयास

- जीवन शैली आंदोलन: 'जीवन'- 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली' ('लाइफ'-लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट) भारत द्वारा यूएनएफसीसीसी के ग्लासगो शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की कुंजी के रूप में घोषित एक जन आंदोलन है।
 - "LIFE का दृष्टिकोण एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो एवं इसे क्षति न पहंचाए।
 - भारत का अद्यतन एनडीसी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।
- पीएलआई योजनाएं: सरकार विनिर्माण को को प्रोत्साहित करने एवं नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए उत्पादन सहलग्न प्रोत्साहन योजना जैसी कर रियायतें एवं प्रोत्साहन प्रदान करती है।
 - यह भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने एवं निर्यात
 में वृद्धि करने का अवसर प्रदान करेगा।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति लेकर आया तथा एक व्यापक हरित हाइड्रोजन मिशन पर कार्य चल रहा है।
- सरकार ने रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना की ऑनलाइन ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए रूफटॉप सोलर केतु राष्ट्रीय पोर्टल का विमोचन किया है।
- इसके अतिरिक्त, यह खंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ-साथ अपतटीय पवन ऊर्जा के 4 गीगा वाट के लिए बोलियां जटाएगा।
 - अकेले भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक निबल शून्य लक्ष्य से उत्सर्जन में वार्षिक 60 मिलियन टन की कमी आएगी।
- इसी तरह, भारत का विशाल एलईडी बल्ब अभियान प्रतिवर्ष 40 मिलियन टन उत्सर्जन को कम कर रहा है।

पेरिस समझौते में भारत का एनडीसी 2015

- भारत ने 2005 के स्तर के 33-35% प्रति इकाई सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का संकल्प लिया है।
- भारत का लक्ष्य गैर-जीवाश्म ईंधन से स्थापित क्षमता के 40% तक पहुंचना है।
- भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
- भारत ने 5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए वन क्षेत्र में वृद्धि करने की योजना बनाई है।
- भारत उदग्रहण एवं सहायिकी (लेवी एंड सब्सिडी) में कमी के जरिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगा।
- भारत ने न्यायसंगत तथा विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को प्रेरित किया।
- भारत को अपेक्षा है कि विकसित देश 2020 तक विकासशील देशों में शमन एवं अनुकूलन हेतु प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाएंगे।

नवीन रामसर स्थल

हाल ही में, 10 अन्य भारतीय आर्द्रभूमियों को रामसर अभिसमय के भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि (रामसर स्थल) के रूप में नामित किया गया था।

- कुछ दिनों पूर्व, रामसर अभिसमय के भाग के रूप में, पांच नवीन भारतीय आर्द्रभूमि स्थलों को भी अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी।
- अब तक, 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को आवरित करने वाली 64 आईभूमियों को भारत से अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है।

भारत में नवीन रामसर स्थल- मुख्य विवरण

- भारत में नवीन रामसर स्थल के बारे में: भारत में 10 नए जोड़े गए रामसर स्थलों में शामिल हैं-
 - तमिलनाडु में छह
 - ० गोवा में एक,
 - o ओडिशा में एक<mark>,</mark>
 - ० मध्य प्रदेश में एक तथा
 - o कर्नाटक में एक (राज्य में प्रथम रामसर नामित आर्द्रभूमि) .
- महत्व: इन नए भारतीय स्थलों को रामसर साइटों के रूप में नामित करने से आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन तथा उनके संसाधनों के बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग में सहायता प्राप्त होगी।

	आर्द्रभूमि क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	राज्य
1	कुंठनकुलम पक्षी अभ्यारण्य	72.04	तमिलनाडु
2	सतकोसिया गॉर्ज	98196.72	ओडिशा
3	नंदा झील	42.01	गोवा
4	मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल रिजर्व	52671.88	तमिलनाडु
5	रंगनाथइतुउ बीएस	517.70	कर्नाटक
6	वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि परिसर	19.75	तमिलनाडु
7	वेलोडे पक्षी अभ्यारण्य	77.19	तमिलनाडु
8	सिरपुर आर्द्रभूमि	161	मध्य प्रदेश
9	वेदान्थांगल पक्षी अभ्यारण्य	40.35	तमिलनाडु
10	उदय मर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य	43.77	तमिलनाडु

आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित करने हेतु मानदंड रामसर अभिसमय के अनुसार, एक आर्द्रभूमि को निम्नलिखित मानदंडों के अधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि (रामसर स्थल)

सामसर आमसमय के अनुसार, एक आद्रभूमि का निम्नालाखत मानदंडों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि (रामसर स्थल) माना जाना चाहिए:

- मानदंड 1: इसमें उपयुक्त जैव-भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट-प्राकृतिक आर्द्रभूमि प्रकार का एक प्रतिनिधि, दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण शामिल है।
- मानदंड 2: यह संवेदनशील, लुप्तप्राय अथवा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करता है।
- मानदंड 3: यह किसी विशेष जैव-भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों एवं/या पशु प्रजातियों की आबादी का समर्थन करता है।
- मानदंड 4: यह पौधों एवं/या पशुओं की प्रजातियों को उनके जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण चरण में समर्थन प्रदान करता है अथवा प्रतिकृल परिस्थितियों के दौरान शरण प्रदान करता है।
- मानदंड 5: यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करता है।
- मानदंड 6: यह नियमित रूप से एक प्रजाति या जल पक्षी (वाटर बर्ड) की उप-प्रजाति की आबादी में 1% पक्षियों का समर्थन करता है।
- मानदंड 7: यह स्थानिक (स्वदेशी) मछली उप-प्रजातियों, प्रजातियों या कुलों, जीवन-इतिहास चरणों, प्रजातियों की अंतः क्रिया एवं/या आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करता है जो आर्द्रभूमि लाभ एवं/या मूल्यों के प्रतिनिधि हैं तथा इस प्रकार वैश्विक जैविक विविधता में योगदान करते हैं।
- मानदंड 8: यह मछिलयों, अंडजनन स्थल (स्पॉर्निंग ग्राउंड), संवर्धन स्थल (नर्सरी) एवं/या प्रवास पथ के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिस पर या तो आर्द्रभूमि के भीतर या अन्य स्थानों पर मत्स्य भंडार निर्भर करता है।
- मानदंड 9: यह नियमित रूप से एक प्रजाति या आर्द्रभूमि पर निर्भर गैर-एवियन पशु प्रजातियों की उप-प्रजातियों की आबादी में 1 प्रतिशत प्रजातियों का समर्थन करता है।

आर्द्रभूमि क्या हैं?

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अनुसार, आर्द्रभूमि एक ऐसा स्थान है जहां भूमि जल से, या तो लवणीय, स्वच्छ अथवा इन के मध्य में किसी जल से आवरित होती है।
- दलदल एवं तालाब, झील अथवा महासागर का किनारा, नदी के मुहाने पर डेल्टा, निचले इलाके जहां प्रायः बाढ़ आती है -ये सभी आर्द्रभृमियाँ हैं।

रामसर अभिसमय के बारे में

- आर्द्रभूमियों पर रामसर अभिसमय (कन्वेंशन) आधुनिक वैश्विक अंतर-सरकारी पर्यावरण समझौतों में सर्वाधिक पुराना है।
- प्रवासी जल पक्षियों के लिए आर्द्रभूमि पर्यावास की बढ़ती क्षति एवं गिरावट के बारे में चिंतित देशों तथा गैर-सरकारी संगठनों

द्वारा 1960 के दशक के दौरान संधि पर वार्ता आयोजित की गई थी।

- इसे 1971 में ईरानी शहर रामसर में अंगीकृत किया गया था एवं यह **1975 में प्रवर्तन में आया था**।
- तब से, आर्द्रभूमियों पर अभिसमय को रामसर अभिसमय (रामसर कन्वेंशन) के रूप में जाना जाता है।
- अनुबंध करने वाले पक्षकारों ने कॉप 12 पर 2016-2024 के लिए चौथी रणनीतिक योजना को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
- रामसर कन्वेंशन का व्यापक उद्देश्य संपूर्ण विश्व में आर्द्रभूमियों की क्षति को रोकना है एवं जो शेष बचे हैं, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्ण रूप से उपयोग एवं प्रबंधन के माध्यम से संरक्षित करना है।

इथेनॉल सम्मिश्रण को समझना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76 वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि भारत ने निर्धारित समय से पूर्व पेट्रोल में गन्ने से निष्कर्षित किए गए इथेनॉल के 10% सम्मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है।

इथेनॉल सम्मिश्रण क्या है?

- वाहनों को चलाते समय जीवाश्म ईंधन के कम मात्रा में दहन हेतु पेट्रोल के साथ इथेनॉल को सम्मिश्रित करना इथेनॉल सम्मिश्रण कहलाता है।
- इथेनॉल एक कृषि उप-उत्पाद है जो मुख्य रूप से गन्ने से चीनी के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है, किंतु अन्य स्रोतों जैसे चावल की भूसी अथवा मक्का से भी प्राप्त होता है।
 - वर्तमान में, आपके वाहन को चलाने वाले पेट्रोल का 10% भाग इथेनॉल है।
 - यद्यपि हमने कुछ समय के लिए E10 या 10% इथेनॉल नीति के रूप में रखा है, यह केवल इस वर्ष हुआ है कि हमने उस अनुपात को प्राप्त किया है।
- भारत मूल रूप से 2030 तक इस अनुपात को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, किंतु 2021 में, जब नीति आयोग ने इथेनॉल रोडमैप प्रस्तुत किया, तो उस समय सीमा को 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया।

इथेनॉल सम्मिश्रण का महत्व

- इथेनॉल सम्मिश्रण तेल आयात के हमारे अंश (लगभग 85%)
 को कम करने में सहायता करेगा, जिस पर हम काफी मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं।
 - अधिक इथेनॉल उत्पादन से किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।
- जून 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, "2020-21 में 55 बिलियन डॉलर की लागत से भारत का पेट्रोलियम का शुद्ध आयात 185 मिलियन टन था," तथा यह कि एक सफल

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम देश का प्रति वर्ष 4 बिलियन डॉलर बचा सकता है।

पहली पीढ़ी एवं दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल

- इथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने शीरे के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उत्पादित इथेनॉल के क्रय को अनुमित प्रदान की है – जो कि पहली पीढ़ी का इथेनॉल या 1 जी है।
- इथेनॉल को चावल के भूसे, गेहूं के भूसे, मकई की गुल्ली, मकई के स्टोवर, खोई, बांस एवं काष्ठीय बायोमास जैसी सामग्रियों से निष्कर्षित किया जा सकता है, जो दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल स्रोत या 2 जी हैं।

वैश्विक परिदृश्य

 यद्यपि यू.एस., चीन, कनाडा एवं ब्राजील, इन सभी देशों में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम मौजूद है, एक विकासशील देश के रूप में, ब्राजील स्पष्ट रूप से अलग दिखता है। इसने विधान निर्मित किया था कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 18-27.5% की सीमा में होनी चाहिए एवं अंत में इसने 2021 में 27% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया।

भारत का लक्ष्य

- विगत वर्ष जून में नीति आयोग की रिपोर्ट के समय, उद्योग ने 2023 तक सभी वाहनों को E20 सामग्री के अनुरूप निर्मित करने हेतु सरकार से प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।
- इसका तात्पर्य यह था कि वाहनों में पेट्रोल पॉइंट, प्लास्टिक, रबर,
 इस्पात एवं अन्य घटकों को 20% इथेनॉल वाले ईंधन को रखने
 / भंडारित करने हेतु अनुवर्ती होने की आवश्यकता होगी।
 - इस प्रकार के परिवर्तन के बिना, जंग लगना एक स्पष्ट बाधा है।
- सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि उद्योग 2025 तक E20 इंजन के अनुरूप बनने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका अर्थ है कि पेट्रोल को संसाधित करने के लिए इंजन में सुधार करने की आवश्यकता होगी जिसे 20% इथेनॉल के साथ मिश्रित किया गया है।
- भले ही उद्योग महामारी से होने वाले आर्थिक नुकसान से उबर रहा हो, किंतु 2070 तक निवल-शून्य उत्सर्जन के भारत के वादे का पालन करने के लिए यह कुछ परिवर्तन करने हेतु बाध्य है।

चुनौतियां

- उच्च इथेनॉल सम्मिश्रणों के लिए इंजनों का अनुकूलन एवं ई20 अनुपालन वाहनों को प्रारंभ करने से पूर्व इंजनों तथा क्षेत्र परीक्षणों पर स्थायित्व अध्ययन का संचालन।
- भंडारण चिंता का मुख्य विषय होने जा रहा है, क्योंकि यदि E10 आपूर्ति को E20 आपूर्ति के साथ अनुक्रमिक रखना है, तो भंडारण को पृथक करना होगा जो तब लागत में वृद्धि करता है।

- यह एक अन्य प्रमुख प्रदूषक नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम नहीं करता है।
- इथेनॉल के लिए फसल उत्पादित करने हेतु आवश्यक जल चर्चा का एक अन्य बिंदु है- चीनी से एक लीटर इथेनॉल के उत्पादन के लिए 2,860 लीटर जल की आवश्यकता होती है।
- भविष्य में उत्पादन के बारे में अनिश्चितता को देखते हुए, भारत के लिए घरेलू खाद्य आपूर्ति प्रणालियों को एक साथ सुदृढ़ करना, कम वर्षों के लिए पर्याप्त भंडार को अलग रखना, अनाज के लिए एक निर्यात बाजार बनाए रखना तथा आने वाले वर्षों में अपेक्षित दर पर अनाज को इथेनॉल की ओर मोड़ना आसान नहीं हो सकता है एवं यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर निरंतर अनुश्रवण का आश्वासन अपेक्षित है।

भारत में आर्द्रभूमियां

हाल ही में, कुल 15 भारतीय आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया था।

- अब तक, 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करने वाली 64 आर्द्रभूमियों को भारत से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है।
- 64 रामसर स्थलों में से 38 को विगत 7 वर्षों में, अर्थात 2014 से अब तक नामित किया गया था।

भारत में आर्द्रभूमि क्या है?

आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के अनुसार, दलदल, पंकभूमि (फेन), पीट भूमि अथवा चल का एक क्षेत्र; चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी अथवा अस्थायी, जल के साथ जो स्थिर हो या प्रवाहित हो रहा हो, स्वच्छ, खारा अथवा लवणीय, समुद्री जल के क्षेत्रों सहित, जिसकी गहराई निम्न ज्वार पर छह मीटर से अधिक नहीं होती है, को आर्द्रभूमि माना जाता है।

भारत में आर्द्रभूमियां- आर्द्रभूमि के अंतर्गत क्षेत्र

- नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट, 2011 के अनुसार, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र- इसरो अहमदाबाद ने देश भर में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित करने वाले लगभग 2.0 लाख जल निकायों / आर्द्रभूमियों (> 2.25 हेक्टेयर) की पहचान की।
- इनमें झील/तालाब, गोखुर झीलें, उच्च उन्नतांश एवं नदीय आर्द्रभूमि, जलभराव वाले क्षेत्र, टैंक, जलाशय, लैगून, क्रीक, रेत समुद्र तट, प्रवाल, मैंग्रोव, पंक मैदान, लवण बेसिन, जलीय कृषि तालाब, लवणीय कच्छ इत्यादि सम्मिलित हैं।

भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए नियामक ढांचा

 पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017

- को संपूर्ण देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण तथा प्रबंधन हेतु एक नियामक ढांचे के रूप में अधिसुचित किया है।
- इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों के पारिस्थितिक स्वरूप का, इसके बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग को प्रतिबंधित किए बिना संरक्षण, प्रबंधन एवं अनुरक्षण करना है।

जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए)

- जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) के बारे में: केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों के मध्य साझा लागत के आधार पर देश में चिन्हित आर्द्रभूमियों (झीलों सहित) के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एनपीसीए को क्रियान्वित किया जा रहा है।
- कार्यान्वयन मंत्रालय: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज/एमओईएफ एंड सीसी) जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों (नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स/एनपीसीए) के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना को लागू कर रहा है।
- विस्तार क्षेत्र: इस योजना में विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जैसे-
 - अपशिष्ट जल का अंतर्रोधन, विपथन एवं उपचार,
 - तटरेखा संरक्षण.
 - झील के किनारे का विकास.
 - स्वस्थाने (इन-सीटू) सफाई अर्थात गाद निकालना एवं अपतृणन (निराई करना),
 - o तूफानी जल का प्रबंधन,
 - ० जैव उपचार,
 - जलग्रहण क्षेत्र उपचार,
 - झील का सौंदर्यीकरण,
 - सर्वेक्षण एवं सीमांकन, जैव बाड़ लगाना,
 - मत्स्य पालन विकास,
 - खरपतवार नियंत्रण,
 - जैव विविधता संरक्षण,
 - शिक्षा एवं जागरूकता निर्माण,सामुदायिक भागीदारी, इत्यादि।

एनपीसीए का कार्यान्वयन

- आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करने, पारिस्थितिकी तंत्र स्वास्थ्य कार्ड भरने, आर्द्रभूमि मित्र का गठन करने एवं स्वास्थ्य तथा विशिष्ट खतरों का सामना करने के आधार पर एकीकृत प्रबंधन योजना तैयार करने का चार-आयामी दृष्टिकोण उपस्थित है।
- एनपीसीए योजना के तहत, केंद्रीय सहायता, राज्य सरकारों से एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के रूप में प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है, जिसमें संक्षिप्त दस्तावेज, दिशानिर्देशों तथा बजट उपलब्धता के अनुरूप हैं।

- प्रदर्शन: अब तक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज/एमओईएफ एंड सीसी) ने देश भर में 164 आर्द्रभूमियों के संरक्षण के प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान की है एवं केंद्रीय अंश के रूप में लगभग 1066.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
- आर्द्रभूमियों के लिए समर्पित वेब पोर्टल (https://indianwetlands.in): यह निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना एवं ज्ञान मंच है-
 - ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करना,
 - सूचना प्रसार,
 - आयोजक क्षमता निर्माण सामग्री, एवं
 - सूचना को संसाधित करने तथा इसे एक कुशल एवं सुलभ विधि द्वारा हितधारकों को उपलब्ध कराने के लिए एकल-बिंदु पहुंच आंकड़ा कोष (डेटा रिपोजिटरी) प्रदान करना।

सेंटर फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट (CWCM)

 सेंटर फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट (CWCM) के बारे
 में: पर्यावरण मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM) के तहत सेंटर फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट (CWCM) की स्थापना की गई है।

• शासनादेश:

- एक ज्ञान केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करने एवं आर्द्रभूमि उपयोगकर्ताओं, प्रबंधकों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं तथा चिकित्सकों के मध्य ज्ञान के आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए एवं
- विशेष रूप से आर्द्रभूमियों से संबंधित नीति एवं नियामक ढांचे, प्रबंधन योजना, अनुश्रवण एवं लक्षित अनुसंधान के डिजाइन तथा कार्यान्वयन में राष्ट्रीय एवं राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की सहायता करना।



विज्ञान और प्रौद्योगिकी

डिजी-यात्रा

हाल ही में, जीएमआर द्वारा संचालित दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए अपने ऐप के बीटा संस्करण का शुभारंभ करते हुए, केंद्र की डिजी यात्रा पहल के सॉफ्ट लॉन्च की घोषणा की।

 डिजी यात्रा, चेहरे की पहचान (फेसिअल रिकग्निशन) तकनीक पर आधारित यात्री प्रक्रिया प्रणाली, दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रारंभ की गई है एवं हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर आवश्यक आधारिक अवसंरचना स्थापित की गई है।

डिजी-यात्रा

- डिजी यात्रा के बारे में: डिजी यात्रा की परिकल्पना है कि यात्री अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके कागज रहित एवं संपर्क रहित प्रक्रिया के माध्यम से हवाई अड्डे पर विभिन्न चौिकयों (जांच स्थलों) से गुजरते हैं, जो बोर्डिंग पास से जुड़ा होगा।
- कार्यान्वयन: परियोजना डिजी यात्रा फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- कवर िकए गए हवाई अड्डे: उपरोक्त हवाई अड्डों के अतिरिक्त, इस माह वाराणसी एवं बेंगलुरु में तथा अगले साल मार्च तक पांच हवाई अड्डों- पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली एवं हैदराबाद में डिजी यात्रा प्रारंभ की जाएगी।
 - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया/एएआई) उन हवाई अड्डों की पहचान करेगा जहां डिजी यात्रा चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी।
- महत्व: डिजी यात्रा तकनीक के साथ, यात्रियों के प्रवेश को सभी जांच स्थलों पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर स्वचालित रूप से प्रक्रियागत किया जाएगा - जिसमें हवाई अड्डे में प्रवेश, सुरक्षा जांच क्षेत्र, विमान बोर्डिंग इत्यादि सम्मिलित हैं।

डिजी यात्रा सुविधा का उपयोग कैसे करें?

- डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करें: डिजी यात्रा सुविधा का उपयोग करने के लिए यात्रियों को सर्वप्रथम डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करना होगा।
- पंजीकरण: उपयोगकर्ता आधार प्रमाण पत्र (क्रेडेंशियल) का उपयोग करके ऐप पर पंजीकरण कर सकते हैं, इसके बाद आधार कार्ड के साथ एक सेल्फी ले सकते हैं।
 - इसके बाद कोविन प्रमाण पत्र का उपयोग करके टीकाकरण विवरण ऐप में जोड़ना होगा।
- निर्बाध यात्रा: उपरोक्त के बाद, व्यक्ति को अपने बोर्डिंग पास को क्यूआर कोड या बारकोड के साथ स्कैन करना होगा, जिसके पश्चात प्रमाण पत्र को हवाई अड्डे के साथ साझा किया जाएगा।

- हवाई अड्डे में प्रवेश के लिए यात्रियों को ई-गेट पर अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करना होगा एवं वहां लगे फेशियल रिकग्निशन सिस्टम कैमरे को देखना होगा।
- अन्य जांच बिंदुओं में प्रवेश के लिए भी यही तरीका लागू होगा।

डिजी यात्रा फाउंडेशन

- डिजी यात्रा फाउंडेशन के बारे में: डिजी यात्रा फाउंडेशन एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसके शेयरधारक हैं-
 - ० भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (26% हिस्सेदारी) एवं
 - बेंगलुरु एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट तथा कोचीन अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, शेष 74 प्रतिशत शेयर समान रूप से रखते हैं।
- प्रमुख भूमिका: डिजी यात्रा फाउंडेशन यात्री पहचान पत्र सत्यापन प्रक्रिया का संरक्षक होगा।
 - यह स्थानीय हवाई अड्डा प्रणालियों के अनुपालन एवं दिशानिर्देशों के मानदंडों को भी परिभाषित करेगा।
- अंकेक्षण प्रणाली: स्थानीय एयरपोर्ट बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम के लिए डिजी यात्रा दिशानिर्देशों द्वारा परिभाषित विभिन्न अनुपालनों एवं दिशानिर्देशों (सुरक्षा, छवि गुणवत्ता तथा डेटा गोपनीयता पर दिशा निर्देश सहित) का नियमित अंकेक्षण (ऑडिट) होगा।

एंडोसल्फान संकट

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केरल में कासरगोड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एंडोसल्फान पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा एवं उपशामक देखभाल सुविधाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।

एंडोसल्फान क्या है?

- एंडोसल्फान एक ऑर्गनोक्लोरिन कीटनाशी है जिसे पहली बार 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आरंभ किया गया था एवं इसे आमतौर पर थियोडन के नाम से जाना जाता है।
- यह आमतौर पर कपास, काजू, फल, चाय, धान, तंबाकू इत्यादि जैसी फसलों पर सफेद मिक्खियों, एफिड्स, बीटल, कीड़े इत्यादि जैसे कीटों के नियंत्रण के लिए छिड़काव किया जाता है।

एंडोसल्फान के प्रभाव

 पर्यावरण में एंडोसल्फान खाद्य श्रृंखलाओं में जमा हो जाता है जिससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

- जल में एंडोसल्फान अवसाद को अवशोषित कर लेता है एवं जलीय जीवों में जैवसंकेंद्रित हो सकता है।
- एंडोसल्फान अंतर्ग्रहण के परिणामस्वरूप शारीरिक विकृति,
 कैंसर, जन्म संबंधी विकार एवं मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र को हानि होती है।

एंडोसल्फान पर प्रतिबंध

- भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इसके हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों का हवाला देते हुए संपूर्ण देश में एंडोसल्फान के निर्माण, विक्रय, उपयोग एवं निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया है।
- एंडोसल्फान को पूर्व सूचित सहमित पर रॉटरडैम अभिसमय एवं स्थायी ऑर्गेनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय दोनों के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

रॉटरडैम अभिसमय 1998

- अभिसमय का उद्देश्य हानिकारक रसायनों एवं कीटनाशकों में व्यापार से निपटने वाले विभिन्न देशों के मध्य सहयोग एवं उत्तरदायित्व साझा करने के उपायों को प्रोत्साहित करना है।
- पीआईसी, पूर्व सूचित सहमित अभिसमय की प्रमुख विशेषता है एवं पक्षकार सदस्यों के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी है।
- पूर्व सूचित सहमित पक्षकार सदस्यों के मध्य प्रकृति एवं व्यापार से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
- अभिसमय पूर्व सूचित सहमित (पीआईसी) प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु दायित्व निर्मित करता है।

स्टॉकहोम अभिसमय 2001

- अभिसमय का उद्देश्य स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (परिसस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स/पीओपी) के संकेंद्रण को कम करना है जो रासायनिक पदार्थ हैं जो न केवल लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं बल्कि जैव संचय करने की क्षमता भी रखते हैं।
- अभिसमय ने 12 पीओपी को 'डर्टी दर्जन' (डर्टी डोजेन) के रूप में सुचीबद्ध किया।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पुणे में केपीआईटी -सीएसआईआर द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी रूप से विकसित पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया।

 भारत की स्वदेशी रूप से विकसित पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के संबद्ध लाभ

 पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय: ईंधन सेल बस को ऊर्जा प्रदान करने के लिए विद्युत उत्पन्न करने हेतु हाइड्रोजन एवं वायु का उपयोग करता है तथा बस से निकलने वाला एकमात्र बहिःस्त्राव

- पानी है, अतः यह संभवतः परिवहन का सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल साधन है।
- तुलना के लिए, लंबी दूरी के मार्गों पर चलने वाली एक डीजल बस आमतौर पर प्रति वर्ष 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है एवं भारत में ऐसी दस लाख से अधिक बसें हैं।
- यात्रा का सस्ता माध्यम: ईंधन सेल वाहनों की उच्च दक्षता एवं हाइड्रोजन का उच्च ऊर्जा घनत्व यह सुनिश्चित करता है कि ईंधन सेल ट्रकों एवं बसों के लिए प्रति किलोमीटर में परिचालन लागत डीजल से संचालित होने वाले वाहनों की तुलना में कम है।
 - हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस चलाने की कम लागत भारत में माल ढ्लाई क्रांति ला सकती है।
- शून्य हरितगृह उत्सर्जन: हाइड्रोजन ईंधन सेल बस वाहन भी शून्य हरितगृह गैस उत्सर्जन देते हैं।
 - हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन इस क्षेत्र से सड़क पर (ऑन-रोड) उत्सर्जन को समाप्त करने हेतु एक उत्कृष्ट साधन प्रदान करते हैं।
 - लगभग 12-14% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं कणीय उत्सर्जन डीजल चालित भारी वाणिज्यिक वाहनों से आते हैं एवं ये विकेंद्रीकृत उत्सर्जन हैं तथा इसलिए इसे प्रगृहित करना कठिन है।
- जीवाश्म ईंधन आयात को कम करना: हाइड्रोजन ईंधन परिवहन प्रणाली को प्राप्त करके, भारत जीवाश्म ऊर्जा के शुद्ध आयातक से स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बनने के लिए पोल-वॉल्ट कर सकता है।
- हाइड्रोजन ईंधन में वैश्विक नेतृत्वकर्ता: प्रभावी कार्यान्वयन से हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेतृत्व प्राप्त हो सकता है, जो हरित हाइड्रोजन का एक वृहद उत्पादक एवं हरित हाइड्रोजन के लिए उपकरणों का आपूर्तिकर्ता बन सकता है।

ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?

- सौर, पवन अथवा जल विद्युत जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके विद्युत अपघट्य (इलेक्ट्रोलिसिस) के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।
- 'हरित' इस बात पर निर्भर करता है कि हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए विद्युत किस प्रकार उत्पन्न होती है, जो जलने पर हरित गृह गैस का उत्सर्जन नहीं करती है।

ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन एवं ब्लू हाइड्रोजन से किस प्रकार भिन्न है?

- सौर, पवन या जल विद्युत जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके विद्युत अपघट्य (इलेक्ट्रोलिसिस) के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।
- ग्रे हाइड्रोजन कोयले एवं गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के माध्यम से उत्पादित होता है एवं वर्तमान में दक्षिण एशिया में कुल उत्पादन का 95% हिस्सा गठित करता है।
- ब्लू हाइड्रोजन भी, जीवाश्म ईंधन को जलाने से उत्पन्न विद्युत का उपयोग करके, किंतु इस प्रक्रिया में उत्सर्जित

कार्बन को वातावरण में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादित किया जाता है,।

राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन- प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का प्रस्ताव 2021 के बजट में "हरित ऊर्जा स्रोतों से" हाइड्रोजन के उत्पादन को सक्षम करने के लिए किया गया था।
- राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में: भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर, भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (नेशनल हाइड्रोजन मिशन/एनएचएम) के शुभारंभ की घोषणा की।
- उद्देश्य: राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।
- लक्ष्य: राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन से 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संबंधित विकास को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप

नासा के नवीनतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सौर मंडल के सर्वाधिक बड़े ग्रह, बृहस्पति की नई छवियों को प्रग्रहित किया है, जो इसे पहले कभी न देखे गए रूप में प्रस्तुत करता है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (जेडब्ल्यूएसटी) एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) एवं कैनेडियन स्पेस एजेंसी (CSA) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- इसके नासा के प्रमुख खगोल भौतिकी मिशन हबल स्पेस टेलीस्कोप का स्थान लेने की योजना है।
- यह खगोल विज्ञान एवं ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्रों में व्यापक जांच करेगा, जिसमें सम्मिलित हैं:
- ब्रह्मांड में कुछ सर्वाधिक दूर की घटनाओं एवं वस्तुओं का अवलोकन करना जैसे कि प्रथम आकाशगंगाओं का निर्माण।
- संभावित रूप से निवास योग्य बाहरी ग्रह (एक्सोप्लैनेट) का विस्तृत वायुमंडलीय लक्षण विवरण।

यह अन्य दूरबीनों से किस प्रकार भिन्न है?

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अधिक शक्तिशाली है एवं इसमें अवरक्त वर्णक्रम (इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम) में देखने की क्षमता है, जो इसे ब्रह्मांड में बहुत गहराई से देखने की अनुमित प्रदान करेगा तथा गैस बादलों जैसे अवरोधों के पार देखेगा।
- जैसे-जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें लंबी दूरी तक यात्रा करती हैं, वे ऊर्जा खो देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है।

- एक पराबैंगनी तरंग, उदाहरण के लिए, धीरे-धीरे दृश्यमान प्रकाश वर्णक्रम एवं अवरक्त वर्णक्रम में गति कर सकती है तथा सूक्ष्म तरंगों (माइक्रोवेव) अथवा रेडियो तरंगों को और कमजोर कर सकती है, क्योंकि यह ऊर्जा खो देती है।
- हबल टेलीस्कोप को मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी एवं दृश्य क्षेत्रों की जांच पड़ताल हेतु डिज़ाइन किया गया था।
- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से एक अवरक्त किरण टेलीस्कोप है, जो अपनी तरह का प्रथम है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की विशेष विशेषताएं

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या हबल टेलीस्कोप जैसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीनों को प्रायः टाइम मशीन कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखने की क्षमता रखते हैं।
- उन वस्तुओं, तारों या आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश, जिसे इन दूरबीनों द्वारा प्रग्रहित किया जाता है, ने लाखों वर्ष पूर्व अपनी यात्रा प्रारंभ की थी।
- अनिवार्य रूप से, ये दूरबीन जो देखते हैं वह इन सितारों या आकाशगंगाओं की छवियां हैं जैसे वे लाखों वर्ष पूर्व थे।
- जितने दूर ग्रह या तारे अवस्थित हैं, समय में उतनी ही दूरी तक ये दूरबीनें देखने में सक्षम हैं।
- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) को पृथ्वी से लगभग एक मिलियन मील की दूरी पर, L2 के नाम से जाने वाले स्थान पर, अंतरिक्ष में अत्यधिक दूरी पर स्थापित किया जाएगा।
- यह पांच बिंदुओं में से एक है, जिसे लाग्रेंज के बिंदुओं के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी एवं सूर्य की भांति किसी भी परिभ्रमण करने वाले दो- निकाय प्रणाली में, जहां दो बड़े निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं।
- इन स्थितियों में रखी गई वस्तुएं अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं एवं उन्हें वहां रखने के लिए न्यूनतम बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। L2 सूर्य तथा पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा में पृथ्वी के ठीक पीछे की स्थिति है।
- यह पृथ्वी द्वारा सूर्य से परिरक्षित होगा क्योंकि यह पृथ्वी के साथ समन्वयित होकर सूर्य के चारों ओर घूमता है।
- जेडब्लूएसटी में एक विशाल दर्पण है, जिसका व्यास 21 फीट (एक सामान्य दो मंजिला भवन की ऊंचाई) है, जो सूर्य से दूर होने पर दूर ब्रह्मांड से आने वाली अवरक्त प्रकाश (इन्फ्रा-रेड लाइट) को प्रग्रहित कर लेगा।
- इसे पांच-परत, टेनिस कोर्ट-आकार, पतंग के आकार के धूप अवरोधक (सनस्क्रीन) द्वारा परिरक्षित किया जाएगा, जिसे सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा को अवरुद्ध करने के लिए डिज़ाइन किया गया है एवं यह सुनिश्चित करता है कि उपकरण संचालित करने हेतु निर्मित किए गए अत्यंत शीतल तापमान को सुनिश्चित करता है।

- सूर्य की ओर का तापमान 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबिक दूसरी तरफ का तापमान -200 डिग्री से -230 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाएगा।
- सुदूर आकाशगंगाओं से अत्यधिक मंद ताप संकेतों का पता लगाने के लिए अत्यंत शीतल तापमान की आवश्यकता होती है।
- दर्पण के साथ-साथ धूप अवरोधक (सनस्क्रीन) भी इतने विशाल हैं कि वे किसी रॉकेट में फिट नहीं हो सकते थे।
- इन्हें मुड़ने योग्य वस्तु (फोल्डेबल आइटम) के रूप में निर्मित किया गया है तथा इन्हें अंतरिक्ष में स्पष्ट किया जाएगा।

बृहस्पति के बारे में महत्वपूर्ण विवरण

- तस्वीरों ने ग्रह के एक नए दृश्य को प्रग्रहित कर लिया है, इसके विशाल तूफानों, रंगीन उषाकाल (औरोरा), अस्पष्ट वलयों एवं दो छोटे चंद्रमाओं - अमाल्थिया तथा एड्रास्टिया को विस्तार से प्रस्तुत किया है।
- जबिक हम में से अधिकांश व्यक्ति पीली एवं लाल-भूरे रंग की गैस वाले ग्रह (बृहस्पति/ जुपिटर) से परिचित हैं।
- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नियर-इन्फ्रारेड कैमरा ने, अपने विशेष इन्फ्रारेड फिल्टर के साथ, बृहस्पित को नीले, हरे, सफेद, पीले एवं नारंगी रंगों में शामिल किया है।
- बृहस्पित का प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट, एक तूफान इतना विशाल कि वह पृथ्वी को निगल सकता है, छिव में दीप्तिमान सफेद प्रदर्शित हुआ, क्योंकि यह सूर्य के अत्यधिक प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था।
- यहां की चमक उच्च ऊंचाई को इंगित करती है इसलिए ग्रेट रेड स्पॉट में उच्च ऊंचाई वाले धुंध हैं, जैसा कि भूमध्यरेखीय क्षेत्र में होता है।
- अनेक दीप्तिमान सफेद 'धब्बे' तथा 'धारियाँ' संघितत संवहन तूफानों के बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित बादल होने की संभावना है।

लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी)

गुजरात एवं राजस्थान सहित अनेक राज्य गांठदार त्वचा रोग (लम्पी स्किन डिजीज/एलएसडी) के प्रकोप से जूझ रहे हैं, जो मवेशियों का एक विषाणु जनित (वायरल) संक्रमण है।

हाल के दिनों में गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) का प्रसार

- 2019 के बाद से, भारत के 20 राज्यों में गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) के प्रकोप की सूचना मिली है। इस वर्ष 23 अप्रैल को कच्छ में लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) का पहला मामला सामने आने के बाद से, गांठदार त्वचा रोग गुजरात के 33 जिलों में से 26 में फैल गया है एवं 4,000 से अधिक मवेशियों की मृत्यु का कारण बना है।
- राजस्थान में, लगभग 27,000 पशुओं की कथित तौर पर लम्पी
 स्किन डिजीज (एलएसडी) के कारण मृत्यु हुई है।

गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) दुनिया भर में व्यापकता

- खाद्य एवं कृषि संगठन (फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन/एफएओ) की रिपोर्ट के अनुसार, लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) लंबे समय से उप-सहारा अफ्रीका तक ही सीमित था।
- यद्यपि, विगत एक दशक में, यह मध्य पूर्व एवं तुर्की में प्रसारित हो गया।
- 2015 के बाद से, इसने बाल्कन (दक्षिण-पूर्वी यूरोप) देशों, कॉकस (पूर्वी यूरोप) तथा रूस को प्रभावित किया है।
- गांठदार त्वचा रोग (लम्पी स्किन डिजीज/एलएसडी) ने जुलाई
 2019 में भारत, बांग्लादेश एवं चीन में प्रवेश किया।

गांठदार त्वचा रोग (लम्पी स्किन डिजीज/एलएसडी)

- लम्पी स्किन डिजीज के बारे में: गांठदार त्वचा रोग (लम्पी स्किन डिजीज/एलएसडी) गांठदार त्वचा रोग वायरस (एलएसडीवी) के कारण होता है, जो कि पॉक्सविरिडे कुल में कैप्रिपोक्सवायरस प्रजाति (जीनस) का एक विषाणु है।
 - शीपपॉक्स वायरस एवं गोटपॉक्स वायरस कैप्रिपोक्सवायरस प्रजाति के अन्य सदस्य हैं।
- प्रभावित पशु: गांठदार त्वचा रोग निशाने (लम्पी स्किन डिजीज वायरस/एलएसडीवी) मुख्य रूप से मवेशियों - गाय तथा उसकी संतानों एवं एशियाई जल भैंसों को प्रभावित करता है।
- पुनरावृतिक घटना: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन/एफएओ) की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, एलएसडी का प्रकोप अनेक वर्षों के अंतराल में महामारियों के रूप में होता है।
 - रिपोर्ट के अनुसार, वायरस के लिए एक विशिष्ट आशय का अस्तित्व ज्ञात नहीं है एवं न ही यह ज्ञात है कि महामारी के बीच विषाण किस प्रकार एवं कहाँ जीवित रहता है।

गांठ<mark>दार त्वचा रोग (एलएस</mark>डी) - यह किस प्रकार प्रसारित होता है?

- गांठदार त्वचा रोग विषाणु (एलएसडीवी) रक्त-चूसक रोगवाहकों (वैक्टर) जैसे कि घरेलू मिक्खयों, मच्छरों इत्यादि जैसे किलनियों (टिक्स) तथा चिचड़ियों (माइट्स) से फैलता है।
- गांठदार त्वचा रोग वायरस (एलएसडीवी) भी दूषित जल, चारे एवं पशु आहार से प्रसारित होता है।
- मॉनसून के दौरान मच्छरों एवं घरेलू मिक्खियों का संक्रमण अपने चरम पर रहता है तथा पशु चिकित्सा वैज्ञानिक एवं सरकारी अधिकारी इस वर्ष गुजरात में संक्रमण के तेजी से प्रसारित होने के लिए अत्यंत आद्र जुलाई को जिम्मेदार ठहराते हैं।
- वैज्ञानिक वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयास में संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करने की सलाह देते रहे हैं।

गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) के लक्षण

 एलएसडीवी एक पशु के परिसंचरण तंत्र पर हमला करता है एवं यकृत, फेफड़े, प्लीहा, लसीका पर्व (लिम्फ नोड्स) इत्यादि जैसे विभिन्न अंगों में रक्त वाहिकाओं तथा घावों की वाहिकाशोथ (वैस्कुलाइटिस) या सूजन का कारण बनता है।

- बदले में, यह अधिचर्म (एपिडर्मिस) का कारण बनता है,
 जिससे त्वचा की बाहरी सतह त्वचा (डर्मिस) त्वचा की आंतरिक परत से अलग हो जाती है।
- यह बदले में, िकसी पशु के शरीर पर गांठों या पर्विकाओं का निर्माण करता है।
- अन्य लक्षणों में बुखार, बलगम स्नाव में वृद्धि, भूख न लगना इत्यादि हैं।

गांठदार त्वचा रोग (एलएसडी) टीकाकरण एवं उपचार- सरकारी प्रतिक्रिया

- टीकाकरण: एलएसडी एक विषाणु जनित (वायरल) रोग है, एक बार जब कोई पशु विषाणु से संक्रमित हो जाता है तो इसके निदान हेतु कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है एवं इसलिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी उपकरण है।
 - गोट पॉक्स का टीका: राज्य सरकार स्वस्थ मवेशियों को प्रकोप के पांच किलोमीटर के दायरे में चक्रिक रुप गोट पॉक्स टीका लगाकर उनका टीकाकरण कर रही है।
 - 23 अगस्त तक, सरकार ने 47.53 लाख मवेशियों का टीकाकरण किया था एवं लम्पी स्किन डिजीज से लगभग 87,000 मवेशी पहले ही स्वस्थ हो चके हैं।
- उपचार: चूंकि गांठदार त्वचा रोग (लम्पी स्किन डिजीज/एलएसडी) के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है, पशु चिकित्सक भी मवेशियों में लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) के लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं दे रहे हैं।
 - सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में पशु मेलों एवं एवं प्रदर्शनियों तथा मवेशियों के परिवहन पर रोक लगाते हुए शहरी क्षेत्रों में जंगली मवेशियों के लिए अलगाव केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान की है।

राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार

हाल ही में, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी/सीएसआर) पुरस्कार 2020 के लिए विजेताओं एवं सम्माननीय उल्लेखों की घोषणा की।

तीन पुरस्कार श्रेणियों में 20 पुरस्कार विजेताओं तथा 17 सम्माननीय उल्लेखों को राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है।

राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार

- राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पुरस्कारों के बारे में: वार्षिक राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पुरस्कारों का गठन उन कंपनियों को मान्यता प्रदान करने हेतु किया गया था जिन्होंने अपनी अभिनव एवं सतत सीएसआर पहल के माध्यम से समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।
 - राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च मान्यता है।

- संबद्ध मंत्रालय: राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कारों की स्थापना कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने की।
- प्रमुख उद्देश्य: सीएसआर पुरस्कार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में व्यावसायिक कंपनियों)कॉरपोरेट्स) द्वारा किए गए सीएसआर अंतःक्षेपों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना चाहते हैं।
- राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार की श्रेणियां: प्रत्येक वर्ष तीन मुख्य श्रेणियों में 20 पुरस्कार एवं समान संख्या में माननीय उल्लेख प्रदान किए जाते हैं, अर्थात्-
 - सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार,
 - आकांक्षी जिलों/कठिन इलाकों में सीएसआर के लिए सीएसआर पुरस्कार एवं
 - राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान के लिए सीएसआर पुरस्कार।
- प्रथम राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार: प्रथम राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 29 अक्टूबर 2019 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्रदान किए गए।
 - प्रथम चक्र में पुरस्कार के विभिन्न उप-श्रेणियों में कुल 19
 विजेता तथा समान संख्या में माननीय उल्लेख थे।
 - राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 2020 में कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन तथा बाधाओं के कारण विलंब हुआ।

राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार की श्रेणियां

- सीएसआर में उत्कृष्टता के लिए कॉर्पोरेट पुरस्कार: ये कुल पात्र सीएसआर व्यय के आधार पर किसी कंपनी को मान्यता प्रदान करने के निमित्त हैं।
- आकांक्षी जिलों/किठन इलाकों में सीएसआर के लिए सीएसआर पुरस्कार: ये आकांक्षी जिलों, किठन इलाकों/अशांत क्षेत्रों, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों इत्यादि में उनके सीएसआर प्रयासों के आधार पर एक कंपनी की मान्यता हेतु प्रदान किए जाते हैं।
- राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान के लिए सीएसआर पुरस्कार: इस श्रेणी में पुरस्कार राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं के योगदान के आधार पर चयनित किए जाते हैं।
- तीन मुख्य श्रेणियों में से प्रत्येक में एक पुरस्कार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज/एमएसएमई) के लिए आरक्षित है।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम)

हाल ही में, सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन/एनआईपीएएम) ने 31 जुलाई 2022 को 10 लाख छात्रों को बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी/आईपी) जागरूकता एवं बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

 एनआईपीएएम का लक्ष्य 15 अगस्त 2022 की समय सीमा से पूर्व प्राप्त किया गया था।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम)

- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन के बारे में: राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपाम), बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता एवं बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम, 8 दिसंबर 2021 को "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के एक भाग के रूप में प्रारंभ किया गया था।
- अधिदेश: भारत सरकार की पहल 'आजादी का अमृत महोत्सव' में भाग लेकर एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करने हेतु तथा इस मिशन के तहत संपूर्ण देश में दस लाख छात्रों के मध्य सूचना प्रौद्योगिकी जागरूकता सुजित करना।
- कार्यान्वयन: एनआईपीएएम कार्यक्रम बौद्धिक संपदा कार्यालय, पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक (ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स/सीजीपीडीटीएम), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- लक्ष्य समूह: NIPAM मिशन ने छात्रों को दो स्तरों पर निम्न प्रकार से लक्षित किया:
 - स्तर ए विद्यालय (कक्षा 9वीं से 12वीं)
 - स्तर बी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय
- प्रदर्शन: 08 दिसंबर 2021 से 31 जुलाई 2022 की अवधि के दौरान, निपाम कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित मील के पत्थर हासिल किए गए:
 - बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी/आईपी) पर प्रशिक्षित प्रतिभागियों (छात्रों/संकाय) की संख्या = 10, 05, 272
 - सिम्मिलित किए गए शैक्षणिक संस्थान = 3662
 - भौगोलिक कवरेज = 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश
- महत्व: बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि देश में उत्पन्न होने वाली बौद्धिक पूंजी को उचित मान्यता एवं सुरक्षा प्राप्त हो, ताकि बौद्धिक संपदा निर्माता इससे होने वाले लाभों को प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (एनआईपीएएम) कार्यक्रम- आगे की राह

- सरकार को नवोन्मेष एवं रचनात्मकता को पोषित करने तथा प्रोत्साहित करने हेतु NIPAM कार्यक्रम को और सुदृढ़ करना चाहिए।
- यह अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद)ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन/एआईसीटीई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन/यूजीसी) इत्यादि के सहयोग से बौद्धिक संपदा कार्यालय के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके एक नवीन रीति से समाज के सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में योगदान देगा।

उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी)

केंद्र सरकार ने बताया कि पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (नॉर्थ) ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर/एनईएसएसी), शिलांग 2024 तक आठ पूर्वोत्तर राज्यों में 110 परियोजनाओं को निष्पादित करेगा।

- एनईएसएसी ने आठ राज्यों के नोडल विभागों द्वारा कार्य योजना (प्लान ऑफ एक्शन/पीओए) तैयार करने का समन्वय किया है।
- ये परियोजनाएं कृषि, जल संसाधन, वानिकी एवं पारिस्थितिकी, योजना तथा विकास, यूएवी सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) तथा आपदा प्रबंधन सहायता के क्षेत्र में हैं, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन/MoDONER), विज्ञान विभाग तथा राज्य सरकारों से संयुक्त वित्त पोषण है।

उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी)

- उत्तर पूर्वी अंतिरक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) के बारे में:
 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए अंतिरिक्ष प्रौद्योगिकी आगत एवं
 सेवाएं प्रदान करने के लिए 2000 में उत्तर पूर्वी अंतिरक्ष
 अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) की स्थापना की गई थी।
- स्थापना: उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) की स्थापना अंतरिक्ष विभाग द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद (नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल/एनईसी) के साथ संयुक्त रूप से की गई थी।
 - NESAC मेघालय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1983
 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है।
- अधिदेश: एनईएसएसी के पास अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करके भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के समग्र विकास में उत्प्रेरक भूमिका अदा करने हेतु उच्च प्रौद्योगिकी अवसंरचना समर्थन विकसित करने का अधिदेश है।

उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) के उद्देश्य

- क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के विकास/प्रबंधन एवं आधारभूत संरचना योजना से संबंधित क्रियाकलापों का समर्थन करने के लिए एक क्रियाशील सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली सहायता प्राप्त प्राकृतिक संसाधन सूचना आधार प्रदान करना।
- शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आपदा प्रबंधन सहायता एवं विकासात्मक संचार में क्षेत्र में क्रियाशील उपग्रह संचार अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करना।
- अंतरिक्ष एवं वायुमंडलीय विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक यंत्र विन्यास केंद्र (इंस्ट्र्मेंटेशन हब) एवं नेटवर्किंग स्थापित करना।
- आपदा प्रबंधन के लिए सभी संभव अंतरिक्ष आधारित सहायता की एकल खिड़की वितरण को सक्षम करना।

 भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रीय स्तर की आधारिक अवसंरचना की स्थापना करना।

उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) - प्रमुख उपलब्धियां

उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए निम्नलिखित प्रमुख मील के पत्थर विकसित एवं प्राप्त किए हैं जिनमें सम्मिलित हैं-

- उत्तर पूर्वी स्थानिक आंकड़ा कोष (नॉर्थ ईस्टर्न स्पतियल डेटा रिपोजिटरी/एनईएसडीआर) का कार्यान्वयन
- रेशम उत्पादन एवं बागवानी के विकास के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान,
- सुदूर संवेदन आधारित वन कार्य योजना एवं नदी एटलस,
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं वन अधिकारों के रिकॉर्ड (रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट्स/RoFR) के सर्वेक्षण के लिए भू-स्थानिक प्रणाली,
- असम के लिए बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली (FLEWS), एवं
- बिम्सटेक क्षेत्र के पेशेवरों सहित प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण गृह मंत्रालय के सुझाव के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य सीमा विवादों को निपटाने में सहायता के लिए उपग्रह मानचित्रण (सैटेलाइट इमेजिंग) आधारित इनपुट।

पोलियो वायरस

हाल ही में, पोलियो, एक घातक रोग, दशकों में पहली बार लंदन, न्यूयॉर्क एवं यरुशलम में प्रसारित होती हुई पाई गई है, जिससे टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।

- वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियों का पता ब्रिटेन की राजधानी लंदन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपशिष्ट जल में पाया गया, जिसमें न्यूयॉर्क राज्य में पक्षाघात का एक मामला दर्ज किया गया।
- जेरूसलम, इजराइल में भी अनुवांशिक रूप से (जेनेटिकली) समरूप इसी तरह का वायरस पाया गया है एवं वैज्ञानिक इस कड़ी को समझने में लगे हैं।

हाल ही में पोलियो के प्रसार के कारण

- कोविड-19 पश्चात यात्रा: जबिक ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सहित देश अब पोलियो लाइव वैक्सीन का उपयोग नहीं करते हैं।
 - यद्यपि, अन्य देश ऐसे प्रकोपों को रोकने के लिए लाइव पोलियो वैक्सीन का उपयोग करते हैं जो वैश्विक प्रसार की अनुमित देता है, विशेष रूप से जब लोगों ने कोविड-19 के पश्चात पुनः यात्रा करना प्रारंभ किया।
- अल्प टीकाकरण वाली आबादी: विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं
 िक टीका-व्युत्पन्न एवं वन्य पोलियो दोनों के प्रकोप के पीछे प्रमुख
 चालक अल्प टीकाकरण वाली आबादी है।

- कोविड-19 एवं वैक्सीन के प्रति संकोच: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, महामारी से पूर्व वैक्सीन के प्रति संकोच एक बढ़ती हुई समस्या थी, फिर कोविड-19 ने एक पीढ़ी में नियमित टीकाकरण ने सर्वाधिक बुरा व्यवधान उत्पन्न किया।
 - 2020 में, वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो के 1,081 मामले थे, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक थे।
 - पोलियो टीकाकरण अभियान को फिर से पटरी पर लाने के
 व्यापक प्रयासों के बाद 2022 में अब तक 177 मामले सामने आए हैं।

पोलियो वायरस

- पोलियों के बारे में: पोलियो विषाणु जनित एक घातक संक्रामक रोग है जो रोगी के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चों को पंगु बना देता था।
- **पोलियो के प्रकार:** पोलियो को तीन प्रतिरक्षात्मक रूप से पृथक वन्य पोलियो वायरस उपभेदों में वर्गीकृत किया जा सकता है
 - o वन्य पोलियो वायरस टाइप 1 (WPV1)
 - o वन्य पोलियो वायरस टाइप 2 (WPV2)
 - o वन्य पोलियोवायरस टाइप 3 (WPV3)
- लक्षण: मुख्य रूप से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करने वाला पोलियो प्रायः स्पर्शोन्मुख होता है, किंतु बुखार एवं उल्टी सहित लक्षण भी उत्पन्न कर सकता है।
- प्रभाव: प्रभावित 200 रोगियों में से लगभग एक रोगी संक्रमण अपरिवर्तनीय पक्षाघात की ओर अग्रसर होता है एवं उन रोगियों में से 10% तक की मृत्यु हो जाती है।
- रोकथाम एवं उपचार: पोलियो का कोई उपचार उपलब्ध नहीं
 है, किंतु चूंकि 1950 के दशक में एक टीका खोजा गया था,
 पोलियो पूरी तरह से रोकथाम योग्य है।
- वर्तमान स्थिति: विश्व स्तर पर, रोग का वन्य रूप लगभग विलुप्त हो गया है।
- अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान अब एकमात्र ऐसे देश हैं जहां अत्यधिक संक्रामक रोग, जो मुख्य रूप से मल के संपर्क में आने से प्रसारित होता है, अभी भी स्थानिक बना हुआ है।
 - ि किंतु इस वर्ष, मलावी एवं मोजाम्बिक में भी आयातित मामले पाए गए, 1990 के दशक के बाद उन देशों में यह पहला मामला है।
- भारत में पोलियो: तीन वर्ष के शून्य मामलों के पश्चात, भारत को 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो-मुक्त प्रमाणन प्राप्त हुआ।
 - देश में वन्य पोलियो वायरस के कारण आखिरी मामला
 13 जनवरी 2011 को ज्ञात हुआ था।
 - पल्स पोलियो अभियान को प्रमुख भारतीय पहल माना जाता है जिसके कारण भारत में पोलियो का उन्मूलन हुआ।

टोमेटो फ्लू

हाल ही में, कम से कम चार राज्यों - केरल, तमिलनाडु, हरियाणा एवं ओडिशा से टोमेटो फ्लू के मामले सामने आए हैं।

 इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टोमैटो फ्लू संक्रमण की रोकथाम, परीक्षण एवं उपचार पर दिशा-निर्देशों का एक समुच्चय जारी किया।

टोमेटो फ्लू क्या है?

- टोमेटो फ्लू के बारे में: टोमेटो फ्लू या टमाटर बुखार में बुखार, जोड़ों में दर्द एवं लाल, टमाटर जैसे चकत्ते आमतौर पर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में देखे जाते हैं।
 - टोमैटो फ्लू वायरल बुखार के अन्य लक्षणों जैसे दस्त,
 निर्जलीकरण, मतली एवं उल्टी तथा थकान के साथ होता है।
- लक्षण: लाल "टमाटर" के चकत्ते पारंपरिक रूप से मुंह (जीभ, मसूड़ों एवं गाल के अंदर), हथेलियों एवं तलवों तक ही सीमित थे।
 - हालांकि, अब चिकित्सक नितंबों पर चकत्ते एवं नाखून गिरने की भी सूचना दे रहे हैं।
- कारण: शोधकर्ताओं का मानना है कि यह हाथ-पैर एवं मुंह के रोग (हैंड फुट एंड माउथ डिजीज/एचएफएमडी) है जो कॉक्ससैकी वायरस ए -6 एवं ए -16 जैसे एंटरोवायरस (आंत के माध्यम से प्रसारित वायरस) के समूह के कारण होती है।
 - एक अन्य रोगज़नक आंत्र विषाणु 71 भी रोग का कारण बनता है। हालांकि, यह अब बहुत प्रचलित नहीं है।
- प्रभाव: लगभग सभी मामलों में, 99.9% मामलों में, रोग स्वयं सीमित है। किंतु, कुछ मामलों में यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (सेंट्रल नर्वस सिस्टम/सीएनएस) की जटिलताओं को जन्म दे सकता है।

टोमेटो फ्लू का उपचार

- टोमेटो फ्लू रोग के लिए कोई विशिष्ट उपचार अथवा टीका उपलब्ध नहीं है।
- टोमेटो फ्लू के संक्रमण वाले लोगों का उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे बुखार के लिए पैरासिटामोल का नुस्खा।

टोमेटो फ्लू की रोकथाम- राज्यों को केंद्र की सलाह

जैसा कि यह रोग मुख्य रूप से बच्चों में होता है, राज्यों को जारी की गई केंद्र की सलाह इन आयु समूहों में रोकथाम पर केंद्रित है।

- परामर्शिका (एडवाइजरी) के अनुसार, िकसी को भी संक्रमण होने का संदेह होने पर लक्षणों की शुरुआत के बाद पांच से सात दिनों तक एकांत (आइसोलेशन) में रहना चाहिए।
- इसमें कहा गया है कि बच्चों को संक्रमण के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए एवं बुखार या चकत्ते वाले अन्य बच्चों को गले लगाने अथवा छुने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

- परामर्शिका में कहा गया है कि बच्चों को स्वच्छता बनाए रखने,
 अंगूठा या उंगली चूसना बंद करने एवं बहती नाक के लिए रुमाल का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- यदि किसी बच्चे में लक्षण विकिसत होते हैं, तो उन्हें एकांत में (अलग-थलग) कर देना चाहिए, उनके बर्तन, कपड़े तथा बिस्तर को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, उन्हें जलयोजित (हाइड्रेटेड) रखना चाहिए एवं फफोले को गर्म पानी से साफ करना चाहिए।
- इसमें यह भी कहा गया है कि प्रकोप होने पर उपाय करने के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए।
 - किसी भी श्वसन, मल, या मिस्तिष्कमेरु द्रव के नमूने (एन्सेफलाइटिस या मिस्तिष्क की सूजन के मामलों में) रोग के 48 घंटों के भीतर एकत्रित किए जाने चाहिए।
 - घावों या त्वचा के खुरचनों के नमूनों की जीवऊति परीक्षा
 (बायोप्सी) में ऐसी समय सीमा नहीं होती है।

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल)

हाल ही में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने "पेटेंट कार्यालयों के अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं के लिए पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी/TKDL) डेटाबेस की व्यापक पहुंच को स्वीकृति प्रदान की है।

टीकेडीएल तक पहुंच बढ़ाने का महत्व

- उपयोगकर्ताओं के लिए टीकेडीएल डेटाबेस को खोलना भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी कार्रवाई है।
- नवीन शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परम्परा के माध्यम से विचार एवं ज्ञान नेतृत्व को अंतर्निविष्ट करने हेतु भी टीकेडीएल का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
- यह नवाचार एवं व्यापार को बढ़ाने की दिशा में मौजूदा पद्धतियों के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने एवं सह-चयन करने पर बल देता है।
- टीकेडीएल ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक ज्ञान सूचना के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करेगा।
- टीकेडीएल की वर्तमान सामग्री भारतीय पारंपरिक दवाओं को व्यापक रूप से अपनाने की सुविधा प्रदान करेगी, साथ ही नए निर्माताओं एवं नवप्रवर्तकों को हमारी मूल्यवान ज्ञान विरासत के आधार पर उद्यमों का लाभप्रद निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगी।

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL)

- पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) के बारे में: पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) 2001 में स्थापित भारतीय पारंपरिक ज्ञान का एक पूर्ववर्ती कला डेटाबेस है।
- अधिदेश: टीकेडीएल का प्राथमिक अधिदेश भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर गलत पेटेंट के अनुदान को रोकना है।

- टीकेडीएल डेटाबेस रचनात्मक मस्तिष्कों को एक स्वस्थ एवं प्रौद्योगिकी संपन्न आबादी के लिए बेहतर, सुरक्षित एवं अधिक प्रभावी समाधानों के लिए नवाचार करने हेतु प्रेरित करेगा।
- कार्यान्वयन निकाय: पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) का प्रबंधन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (काउंसिल आफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च/सीएसआईआर) तथा भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी/आईएसएम एंड एच, अब आयुष मंत्रालय) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- अभिगम्यता: अब तक, टीकेडीएल के संपूर्ण डेटाबेस तक पहुंच खोज एवं जांच के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण विश्व के 14 पेटेंट कार्यालयों तक सीमित है।
 - टीकेडीएल के माध्यम से यह रक्षात्मक संरक्षण भारतीय पारंपरिक ज्ञान को दुरूपयोग से बचाने में प्रभावी रहा है तथा इसे वैश्विक मानदंड माना जाता है।
- अभिगम्यता शुल्क: टीकेडीएल डेटाबेस तक पहुंच राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं के लिए चरण-वार उद्घाटन के साथ एक सशल्क सदस्यता मॉडल के माध्यम से होगी।

पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) - प्रमुख विशेषताएं

- TKDL विश्व स्तर पर अपनी तरह का प्रथम है एवं अन्य देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है।
- टीकेडीएल में वर्तमान में आईएसएम से संबंधित मौजूदा साहित्य जैसे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा एवं योग की जानकारी शामिल है।
- जानकारी को पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं यथा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी तथा स्पेनिश में डिजिटल प्रारूप में प्रलेखित किया गया है हैं।
- टीकेडीएल संपूर्ण विश्व में पेटेंट कार्यालयों में पेटेंट परीक्षकों द्वारा समझने योग्य भाषाओं एवं प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, ताकि पेटेंट के त्रृटिपूर्ण अनुदान को रोका जा सके।

वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल

स्वदेशी रूप से विकसित जलपोत-जिनत अस्त्र प्रणाली, उध्वें प्रक्षेपित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र (वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल) (VL-SRSAM), का ओडिशा में चांदीपुर तट से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन/DRDO) तथा भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था।

वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAM)

 वीएल-एसआरएसएएम को भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की तैनाती के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के तीन प्रतिष्ठानों द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन तथा विकसित किया गया है।

- डीआरडीओ के प्रमुख प्रतिष्ठान जिन्होंने इस प्रणाली के विकास में योगदान दिया, वे- रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेट्री/डीआरडीएल) एवं अनुसंधान केंद्र इमारत (रिसर्च सेंटर इमारत/आरसीआई), दोनों हैदराबाद से तथा पुणे में स्थित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (इंजीनियर) हैं।
- मिसाइल में समुद्री-अपमलन लक्ष्यों सहित निकट सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को निष्क्रिय करने की क्षमता है।
- समुद्री अपमलन (स्किमिंग) की रणनीति का उपयोग विभिन्न जलयान-रोधी प्रक्षेपास्त्र एवं कुछ लड़ाकू जेट विमानों द्वारा किया जाता है ताकि युद्धपोतों पर राडार द्वारा पता लगाने से बचा जा सके एवं इस प्रकार, ये संपत्तियां समुद्र की सतह के जितना नजदीक संभव हो सके उड़ान भरती है एवं इस प्रकार इसका पता लगाना एवं इसे निष्क्रिय करना दुष्कर होता है।

वीएल-एसआरएसएएम का डिजाइन

- प्रक्षेपास्त्र (मिसाइल) को 40 से 50 किमी की दूरी पर एवं लगभग
 15 किमी की ऊंचाई पर उच्च गित वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला
 करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका डिजाइन अस्त्र मिसाइल पर आधारित है जो एक दृष्टि सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र (बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल) है।
- वीएल-एसआरएसएएम की दो प्रमुख विशेषताएं क्रॉस के आकार के डैने (क्रूसिफॉर्म विंग्स (एवं प्रणोद सदिशन (थ्रस्ट वेक्टरिंग) हैं।
- क्रॉस के आकार के डैने चार छोटे डैने होते हैं जो चार तरफ एक क्रॉस की भांति व्यवस्थित होते हैं एवं प्रक्षेप्य को एक स्थिर वायुगतिकीय संस्थिति प्रदान करते हैं। थ्रस्ट वेक्टरिंग कोणीय वेग एवं प्रक्षेपास्त्र के ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले अपने इंजन से थ्रस्ट की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता है।
- वीएल-एसआरएसएएम एक कनस्तरीकृत प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए कक्षों से संग्रहित एवं संचालित किया जाता है।
- कनस्तर में, अंदर के वातावरण को नियंत्रित किया जाता है, इस प्रकार इसका परिवहन एवं भंडारण सरल हो जाता है तथा अस्त्रों के जीवनाविध में सुधार होता है।

महत्व

- नौसेना युद्ध में, एक युद्धपोत को जलपोत-रोधी मिसाइलों एवं शत्रु विमानों से स्वयं को बचाने के लिए विभिन्न रक्षा तंत्रों को नियोजित करना पड़ता है।
- सदियों पुरानी विधियों में से एक है चैफ्स जो संपूर्ण विश्व में दुश्मन के रडार तथा रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) मिसाइल चाहने वालों से नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रत्युपाय (काउंटरमेजर) तकनीक है।
- एक अन्य विधि जलपोत रोधी प्रक्षेपास्त्रों (एंटी-शिप मिसाइलों)
 का मुकाबला करने के लिए प्रक्षेपास्त्रों को तैनात करना है। इन

- प्रणालियों में एक त्वरित पहचान तंत्र, त्वरित प्रतिक्रिया, उच्च गति एवं उच्च गतिशीलता होनी चाहिए।
- वीएल-एसआरएसएएम स्वयं में इन सभी गुणों के होने का दावा करता है।

पश्चिमी नील वायरस

हाल ही में, न्यूयॉर्क शहर के स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की कि वेस्ट नाइल वायरस दो लोगों, एक ब्रुकलिन में और दूसरा क्वींस में, साथ ही पूरे शहर में संक्रमित मच्छरों की "रिकॉर्ड संख्या" में में पाया गया था।


 स्वास्थ्य विभाग की घोषणा के अनुसार, इस वर्ष संपूर्ण देश में कुल 54 मामले और चार मौतें हुई हैं।

वेस्ट नाइल वायरस के बारे में प्रमुख तथ्य

- वेस्ट नाइल वायरस के बारे में: वेस्ट नाइल वायरस एक संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है एवं मनुष्यों, पक्षियों तथा अन्य स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है।
- पोषी एवं वाहक: सीडीसी के अनुसार, पक्षी इस विषाणु के मुख्य पोषक हैं एवं पक्षियों के काटने से मच्छर संक्रमित हो जाते हैं।
 - वेस्ट नाइल वायरस आकस्मिक संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं हो सकता है।
- लक्षण: अधिकांश व्यक्ति जो पश्चिमी नील विषाणु से संक्रमित होते हैं उनमें कोई लक्षण विकसित नहीं होता है अथवा वे हल्के से मध्यम बीमारी का अनुभव कर सकते हैं।
 - सीडीसी के अनुसार, 5 में से लगभग 1 व्यक्ति में बुखार के साथ-साथ सिरदर्द, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, दस्त, उल्टी अथवा दाने जैसे अन्य लक्षण विकसित होते हैं।
 - संक्रमित 150 व्यक्तियों में से लगभग 1 व्यक्ति में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले गंभीर रोग विकसित होता है।
 - लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, स्थिति भ्रांति, कोमा, दृष्टि हानि अथवा पक्षाघात शामिल हैं।
- निदान: पश्चिमी नील विषाणु के संक्रमण का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जा सकता है।
- उपचार: ऐसा कोई टीका अथवा दवा उपलब्ध नहीं हैं जो विशेष रूप से वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण का उपचार करती हैं।

- कुछ लक्षणों में सहायता के लिए बिना नुस्खा के (ओवर-द-काउंटर) दर्द निवारक का उपयोग किया जा सकता है एवं अधिक गंभीर मामलों के लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो सकता है।
- रिकवरी: पश्चिमी नील विषाणु के संक्रमण के एक गंभीर मामले से उबरने में कई हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता है, किंतु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्षति स्थायी हो सकती है।

West Nile Virus Transmission Cycle



वेस्ट नाइल वायरस- संक्रमण कम करने के उपाय

- कीट विकर्षक का उपयोग करना: न्यूयॉर्क शहर का स्वास्थ्य विभाग पिकारिडिन युक्त अनुमोदित कीट विकर्षक का उपयोग करने का सुझाव देता है, जिसे सीधे त्वचा एवं कपड़ों पर लगाया जा सकता है।
- बाहरी गतिविधियों को सीमित करना: मच्छर अप्रैल से अक्टूबर तक सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, अतः उन मौसमों के दौरान विशेष रूप से सुबह एवं शाम के समय बाहरी गतिविधियों को सीमित करने से भी वायरस के संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- 🔾 🏻 बाहर जाते समय, शाम के समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।
- दिन की अवधि दौरान, गहरे रंग के कपड़ों, छायांकित क्षेत्रों में जहां मच्छर अंडे देते हैं एवं किसी भी इत्र, कोलोन और सुगंधित बॉडी लोशन के प्रयोग से बचें।
- मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को समाप्त करना: लोगों एवं सरकारी अधिकारियों को मच्छरों के प्रजनन वाले क्षेत्रों जैसे कि स्थिर जल में वाले क्षेत्रों को सक्रिय रूप से खत्म करना चाहिए जहां वे प्रजनन कर सकते हैं।

आंतरिक सुरक्षा

अभ्यास विनबैक्स 2022

वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास "अभ्यास विनबैक्स 2022" का तीसरा संस्करण 01 से 20 अगस्त 2022 तक चंडीमंदिर में आयोजित होने वाला है।

अभ्यास विनबैक्स 2022

- पृष्ठभूमि: विनबैक्स 2022 अभ्यास, 2019 में वियतनाम में पूर्व में आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास की अगली कड़ी है।
- अभ्यास विनबैक्स 2022 के बारे में: अभ्यास विनबैक्स 2022 भारत एवं वियतनाम सेना के मध्य एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
 - अभ्यास विनबैक्स 2022 भारत एवं वियतनाम के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
 - विनबैक्स 2022 अभ्यास में 105 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।
- अवस्थिति: तीसरा विनबैक्स 2022 अभ्यास चंडीमंदिर में आयोजित किया जाएगा।
- अभ्यास विनबैक्स 2022 की थीम: तीसरे विनबैक्स 2022 अभ्यास का विषय "शांति संचालन के लिए संयुक्त राष्ट्र दल के तहत एक अभियांत्रिकी दल एवं एक चिकित्सीय दल का नियोजन एवं परिनियोजन" (एंप्लॉयमेंट एंड डेप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड मेडिकल टीम अंडर यूनाइटेड नेशंस कंटिजेंट फॉर पीसकीपिंग ऑपरेशंस) है।
- संपादित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां: विनबैक्स 2022 अभ्यास के तहत-
 - संयुक्त राष्ट्र मिशनों में समान परिदृश्यों के तहत तकनीकी सैन्य अभियानों को निष्पादित करते समय दोनों दलों द्वारा प्राप्त मानकों का आकलन करने हेतु 48 घंटे का सत्यापन अभ्यास कार्यक्रम का हिस्सा है।
 - एक मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदर्शन तथा उपकरण प्रदर्शन स्वदेशी समाधानों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के दौरान बचाव तथा राहत कार्यों को संपादित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करेगा।

अभ्यास विनबैक्स 2022 का महत्व

- भारत एवं वियतनाम एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं तथा रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है।
- वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक महत्वपूर्ण भागीदार है तथा इंडो-पैसिफिक विजन एवं विनबैक्स 2022 इसे सशक्त करने में सहायता करेगा।

- अभ्यास विनबैक्स 2022 का आयोजन, द्विपक्षीय अभ्यास के विगत संस्करणों से वर्धित दायरे के साथ क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में निम्नलिखित का संपादन करेगा-
- आपसी विश्वास, अंतर-संचालनीयता को सुदृढ़ करेगा एवं
- भारतीय सेना एवं वियतनाम पीपुल्स आर्मी के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम करेगा।
- संयुक्त अभ्यास दोनों दलों के सैनिकों को एक दूसरे की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का अवसर भी प्रदान करेगा।

अभ्यास 'अल नजाह-IV'

भारतीय सैन्य बलों एवं ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के मध्य भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'अल नजाह-IV' का चौथा संस्करण 01 से 13 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाला है।

अभ्यास 'अल नजाह-चतुर्थ' के

- अभ्यास अल नजाह-IV के बारे में: अभ्यास अल नजाह-IV भारतीय सैन्य बलों एवं ओमान की शाही सेना के मध्य एक संयक्त सैन्य अभ्यास है।
 - अभ्यास 'अल नजाह IV' का विगत संस्करण 2019 में मस्कट में आयोजित किया गया था।
- स्थान: अभ्यास अल नजाह-IV 2022 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (राजस्थान) के विदेशी प्रशिक्षण बिंदु में आयोजित हो रहा है।
- अधिदेश: अभ्यास 'अल नजाह-IV' का उद्देश्य भारतीय सैन्य बलों एवं ओमान की शाही सेना के मध्य रक्षा सहयोग के स्तर को संवर्धित करना है तथा यह दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को को प्रगाढ़ करने में और प्रदर्शित होगा।
- विस्तार क्षेत्र: 'अल नजाह-IV' अभ्यास के दायरे में पेशेवर अंतः क्रिया, अभ्यास एवं प्रक्रियाओं की पारस्परिक समझ, संयुक्त कमान तथा नियंत्रण संरचनाओं की स्थापना एवं आतंकवादी खतरों का उन्मूलन सम्मिलित है।
- फोकस क्षेत्र: संयुक्त अभ्यास निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा-
 - आतंकवाद विरोधी अभियान) काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस),
 - क्षेत्रीय सुरक्षा अभियान,
 - संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत शांति स्थापना अभियान
 - संयुक्त शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामरिक अभ्यास, तकनीक एवं प्रक्रियाओं का आयोजन।

- प्रतिनिधित्व: अभ्यास 'AL NAJAH-IV' में, ओमान दल की शाही सेना का प्रतिनिधित्व ओमान पैराशूट रेजिमेंट के सुल्तान के 60 कार्मिकों द्वारा किया गया है।
 - भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों द्वारा किया गया है।
- प्रमुख गतिविधियां: एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसकी पराकाष्ठा 48 घंटे के लंबे सत्यापन अभ्यास में होगा, जिसमें निम्नलिखित की स्थापना सम्मिलित है-
 - संयुक्त चलंत वाहन चेक पोस्ट,
 - ० संयुक्त घेराबंदी एवं तलाशी अभियान तथा
 - एक निर्मित क्षेत्र में संयुक्त कक्ष हस्तक्षेप अभ्यास।

युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2022

हाल ही में, भारत - यूएस संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 13 वां संस्करण वज्र प्रहार 2022 का समापन बकलोह (हिमाचल प्रदेश) में हुआ।

युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2022

- युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2022 के बारे में: युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2022 एक वार्षिक युद्ध अभ्यास है जिसे भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।
 - वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास का 12वां संस्करण अक्टूबर 2021
 में संयुक्त बेस लुईस मैककॉर्ड, वाशिंगटन (यूएसए) में आयोजित किया गया था।

- फोकस क्षेत्र: 21-दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण सत्र ने दोनों देशों के विशेष बलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक संयुक्त वातावरण में हवाई कार्रवाई, विशेष कार्रवाई एवं आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान किया।
- युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार के चरण: युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2022 दो चरणों में आयोजित किया गया था-
 - पहले चरण में युद्धक अनुकूलन तथा सामरिक स्तर के विशेष मिशन प्रशिक्षण अभ्यास सम्मिलित थे एवं
 - दूसरे चरण में, पहले चरण में दोनों दलों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण
 के 48 घंटे के मान्यीकरण को शामिल किया गया।
- प्रमुख गतिविधियां: वज्र प्रहार युद्धाभ्यास के तहत, दोनों टुकड़ियों ने पहाड़ी इलाकों में छद्म पारंपरिक तथा अपारंपरिक परिदृश्यों में छद्म कार्रवाई की एक श्रृंखला का संयुक्त प्रशिक्षण, योजना एवं संपादन किया।
- महत्व: अमेरिकी विशेष बलों के साथ युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार वर्तमान वैश्विक स्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों राष्ट्रों के समक्ष उपस्थित होने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
 - संयुक्त सैन्य अभ्यास ने दोनों राष्ट्रों के विशेष बलों के मध्य मित्रता के पारंपरिक बंधन के साथ-साथ भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य बेहतर द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत किया है।



इतिहास, कला और संस्कृति

भारत रंग महोत्सव 2022

हाल ही में, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के रवींद्र नाट्य मंदिर में 22वें 'भारत रंग महोत्सव' का उद्घाटन किया।

भारत रंग महोत्सव 2022

- भारत रंग महोत्सव 2022 के बारे में: "आजादी का अमृत महोत्सव - भारत रंग महोत्सव 2022" हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजिल अर्पित करने हेतु आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है।
 - कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ करेंगे।

आयोजन निकाय:

- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का आयोजन किया जा रहा है।
- मुंबई में भारत रंग महोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय तथा पी.एल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
- भागीदारी: भारत रंग महोत्सव 2022 उत्सव जनता के लिए खुला है।

भारत रंग महोत्सव 2022- प्रमुख गतिविधियां

- 22वें भारत रंग महोत्सव, 2022 (आजादी खंड) के एक भाग के रूप में, 16 जुलाई से 14 अगस्त, 2022 तक दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु एवं मुंबई में 30 नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- यह महोत्सव हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन तथा उनके बिलदान पर आधारित प्रसिद्ध थिएटर निर्देशकों के नाटकों को प्रदर्शित करेगा।
- महोत्सव के प्रथम दिन चंद्रकांत तिवारी द्वारा निर्देशित नाटक 'मैं हूं सुभाष' का विमोचन किया जाएगा।
- 22वें भारत रंग महोत्सव 2022 महोत्सव का समापन 13 अगस्त को मोहम्मद नजीर कुरैशी द्वारा निर्देशित नाटक 'रंग दे बसंती चोला' के साथ होगा।

आज़ादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के बारे में प्रमुख तथ्य

- आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में: आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष एवं इसके लोगों, संस्कृति तथा उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने तथा स्मरण करने की एक पहल है।
 - आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहचान के बारे में जो भी प्रगतिशील उसका एक मूर्त रूप है।

- भारत के लोगों का उत्सव: आजादी का अमृत महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है, जिन्होंने भारत को उसकी विकास यात्रा में यहां तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - भारत के लोग भी अपने भीतर शक्ति तथा क्षमता रखते हैं,
 जो भारत 2.0 को सक्रिय करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण
 को सक्षम बनाता है, जो आत्मिनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित है।
- आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रारंभ: "आज़ादी का अमृत महोत्सव" की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को आरंभ हुई, जो हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती आरंभ करती है।
- श्रेणीबद्ध करें: आजादी का अमृत महोत्सव को पांच श्रेणियों में मनाए जाने की कल्पना की गई है -
 - स्वतंत्रता संग्राम (फ्रीडम स्ट्रगल),
 - o विचार (आइडिया) @ 75,
 - उपलब्धियां (अचीवमेंट्स) @ 75,
 - o कार्रवाई (एक्शन) @ 75 तथा
 - o समाधान (रिसॉल्व) @75

भारत की उड़ान पहल

संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल ने विगत 75 वर्षों में भारत की अटूट, अमर भावना एवं इसकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने हेतु 'भारत की उड़ान' पहल प्रारंभ की।

इंडिया की उड़ान पहल

- इंडिया की उड़ान पहल के बारे में: इंडिया की उड़ान पहल भारत की अटूट एवं अमर भावना का उत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में भारत की उड़ान पहल का आयोजन किया गया।
- उद्देश्य: संयुक्त पहल अपने समृद्ध अभिलेखागार एवं कलात्मक चित्रण के माध्यम से इंटरनेट पर सक्रिय व्यक्तियों (नेटिज़न्स) को भारत की समृद्ध संस्कृति एवं विरासत में ले जाएगी।
- थीम: भारत की उड़ान परियोजना 'विगत 75 वर्षों में भारत की अटट एवं अमर भावना' विषय पर आधारित है।
- कार्यान्वयन: भारत की उड़ान पहल को संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गूगल कला एवं संस्कृति द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- महत्व: यह पहल उपयोगकर्ताओं को भारत के उल्लेखनीय क्षणों को आभासी रूप से देखने के लिए एक विशिष्ट दृश्य प्रस्तुत करेगी।
 - यदि उपयोगकर्ता संग्रह में अधिक उद्यम करते हैं तो वे भारतीय इतिहास में प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों, वैज्ञानिक तथा खेल उपलब्धियों एवं देश की प्रमुख महिला व्यक्तित्वों के बारे में जान सकेंगे।

इंडिया की उड़ान पहल- गूगल द्वारा प्रमुख पहल

- संस्कृति मंत्रालय के साथ साझेदारी में गूगल सूचनात्मक ऑनलाइन सामग्री निर्मित करने की योजना बना रहा है जो स्वतंत्रता के पश्चात एवं स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्र को बदलने में भारतीयों के योगदान को प्रदर्शित करेगी।
- गूगल ने अपने उत्पादों एवं सेवाओं में विशेष पहलों की एक श्रृंखला प्रारंभ करने की भी घोषणा की जो संपूर्ण वर्ष के दौरान अपने भारतीय उपयोगकर्ताओं को समृद्ध सामग्री तथा एक प्रमुख अनुभव प्रदान करेगी।
- गूगल ने इस ऑनलाइन संग्रह के माध्यम से एक समृद्ध एवं विशिष्ट अनुभव प्रदान करने हेतु भारत एवं संपूर्ण विश्व के कलाकारों को सम्मिलित करने की योजना निर्मित की है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज (आईआईएच)

सरकार ने यूजीसी (विश्वविद्यालयों के रूप में समझा जाने वाले संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार 'भारतीय विरासत संस्थान' (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज/IIH) को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज (IIH)

- भारतीय विरासत संस्थान (आईआईएच) के बारे में: भारतीय विरासत संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज/आईआईएच) एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय होगा जो भारत की समृद्ध मूर्त विरासत में संरक्षण एवं शोध पर ध्यान केंद्रित करेगा।
 - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज (IIH) भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान होगा।
- स्थान: भारतीय विरासत संस्थान 'नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जाना है।
- अधिदेश: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज अपने छात्रों की शिक्षा में शोध, विकास एवं ज्ञान के प्रसार, उत्कृष्टता तथा विरासत से जुड़ी गतिविधियों की पेशकश करेगा जो भारत के सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक जीवन में योगदान करते हैं।
- डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में आईआईएच: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को निम्नलिखित संस्थानों को एकीकृत करके एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है-
 - भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली के अंतर्गत अभिलेखीय अध्ययन विद्यालय
 - पुरातत्व संस्थान (पं दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान)
 - सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (द नेशनल रिसर्च लैबोरेट्री फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी/एनआरएलसी), लखनऊ।
 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स/आईजीएनसीए), नई दिल्ली की अकादिमक शाखा।

- कला, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान के इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान (द नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ़ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी/एनएमआईसीएचएम)।
- महत्व: संस्थान समृद्ध भारतीय विरासत तथा इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को प्रभावित करेगा।
- डिग्नी: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज (IIH) नेतृत्व करेगा-
 - निम्नलिखित विषयों में पीएचडी एवं परास्नातक पाठ्यक्रम
 - संरक्षण का इतिहास,
 - कला,
 - संग्रहालय विज्ञान,
 - पुरातत्व,
 - अभिलेखीय अध्ययन,
 - निवारक संरक्षण,
 - पांडुलिपि विज्ञान,
 - पुरालेखशास्त्र (एपिग्राफी) एवं मुद्राशास्त्र (न्यूमिज़माटिक्स) के साथ-साथ
 - संस्थान के सेवारत छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए संरक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं।

मनुस्मृति

ए<mark>क प्रसि</mark>द्ध विश्वविद्यालय के कुलपति ने हाल ही में प्राचीन संस्कृत ग्रंथ मनुस्मृति की लैंगिक पूर्वाग्रह को लेकर आलोचना की थी।

मनुस्मृति क्या है?

- मानव धर्मशास्त्र, जिसे मनुस्मृति या मनु के नियमों के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के धर्म शास्त्र से संबंधित एक संस्कृत रचना है।
- दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व एवं तीसरी शताब्दी ईसवी के मध्य किसी समय रचित, मनुस्मृति को श्लोक छंदों में लिखा गया है, जिसमें प्रत्येक में 16 व्याख्यान की दो गैर तुकांत वाली पंक्तियाँ हैं।
- रचना को पौराणिक व्यक्ति मनु को संदर्भित है, जिसे हिंदू धर्म में मानव जाति का पूर्वज माना जाता है।
- रचना के लेखकत्व पर विद्वानों के बीच काफी बहस हुई है।
- अनेक लोगों ने तर्क दिया है कि इसे अनेक ब्राह्मण विद्वानों द्वारा एक समय में संकलित किया गया था।
- हालांकि, भारतविद (इंडोलॉजिस्ट) पैट्रिक ओलिवल का तर्क है कि मनुस्मृति की "अद्वितीय एवं समित संरचना" का अर्थ है कि यह "एकल प्रतिभाशाली व्यक्ति" अथवा "समिति के मजबूत अध्यक्ष" द्वारा दूसरों की सहायता से बना था।

यह रचना किस बारे में है?

 मनुस्मृति का कार्यक्षेत्र विश्वकोश है, जिसमें जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न जातियों एवं व्यक्तियों के सामाजिक दायित्वों तथा कर्तव्यों जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया है।

- यह विभिन्न जातियों के पुरुषों एवं महिलाओं के उपयुक्त सामाजिक तथा यौन संबंधों, करों, राजत्व के नियमों, वैवाहिक सद्भाव बनाए रखने एवं दैनिक जीवन के विवादों को निपटाने की प्रक्रियाओं को शासित करने का प्रयास करता है।
- इसके मूल में, मनुस्मृति विश्व में जीवन की चर्चा करती है कि यह वास्तव में कैसे जिया जाता है, साथ ही यह कैसा होना चाहिए।
- उनका तर्क है कि यह रचना धर्म के बारे में है, जिसका अर्थ है कर्तव्य, धर्म, कानून एवं अभ्यास।
- यह अर्थशास्त्र के पहलुओं, जैसे कि राज्य कला और कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करता है।
- रचना का उद्देश्य राजा की संप्रभुता एवं ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में एक सुव्यवस्थित समाज के लिए एक खाका प्रस्तुत करना है।
- इसे पुरोहित जाति द्वारा पढ़ा जाना था एवं ओलिवेल का तर्क है
 कि यह संभवतः महाविद्यालयों में युवा ब्राह्मण विद्वानों के पाठ्यक्रम का हिस्सा रहा होगा।

इसका क्या महत्व है?

- सामान्य युग की आरंभिक शताब्दियों तक, मनु हिंदू धर्म के उस केंद्रबिंदु, वर्णाश्रम-धर्म (वर्ग एवं जीवन के स्तर से सहबद्ध सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों) के लिए रूढ़िवादी परंपरा में अधिकार का मानक स्रोत बन गया था एवं बना रहा।
- भारतिवदों (इंडोलॉजिस्ट) का तर्क है कि यह ब्राह्मण विद्वानों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण रचना थी - इसने परंपरा के अन्य लेखकों द्वारा 9 टिप्पणियों को आकर्षित किया एवं अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों द्वारा अन्य धर्मशास्त्रों की तुलना में कहीं अधिक बार उद्धृत किया गया था।

औपनिवेशिक मत

- यूरोपीय प्राच्यविदों (ओरिएंटलिस्ट) मनुस्मृति को महान ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की रचना भी मानते थे। यह 1794 में ब्रिटिश भाषाशास्त्री सर विलियम जोन्स द्वारा यूरोपीय भाषा में अनूदित होने वाली प्रथम संस्कृत रचना थी।
- इसके बाद, 1886 में मैक्स मूलर के संपादित खंड, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट में सम्मिलित होने से पूर्व, इसका फ्रेंच, जर्मन, पुर्तगाली एवं रूसी में अनुवाद किया गया था।
- ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक अधिकारियों के लिए, पुस्तक के अनुवाद ने एक व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति की।
- 1772 में, गवर्नर-जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिंदुओं एवं मुसलमानों के कानूनों को लागू करने का निर्णय लिया, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे "निरंतर, प्राचीन काल से अपरिवर्तित थे।
- हिंदुओं के लिए, धर्मशास्त्रों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों ने 'कानून' के रूप में देखा था, चाहे भारत में इसका उपयोग उस तरह से किया गया हो या नहीं।

विवाद

- इस प्राचीन रचना में 4 प्रमुख खंड हैं:
 - a. विश्व का निर्माण।

- b. धर्म के स्रोत।
- c. चार सामाजिक वर्गों का धर्म।
- d. कर्म, पुनर्जन्म एवं अंतिम मुक्ति का नियम।
- तीसरा खंड सर्वाधिक विस्तृत एवं सबसे महत्वपूर्ण खंड है।
- रचना चतुर्गुण वर्ण व्यवस्था के पदानुक्रम को बनाए रखने एवं प्रत्येक जाति द्वारा पालन करने वाले नियमों से गहन रूप से संबंधित है।
- तत्पश्चात, ब्राह्मण को मानव जाति का आदर्श प्रतिनिधि माना जाता है।
- जबिक शूद्रों, जिन्हें वर्ण व्यवस्था के निचले भाग में पदावनत किया गया है, को 'उच्च' जातियों की सेवा करने का एकमात्र कर्तव्य प्रदान किया गया था।
- कुछ छंदों में महिलाओं के जन्म के आधार पर उनके प्रति अत्यधिक पूर्वाग्रही भावनाएं भी सम्मिलित हैं।
- रचना में अनेक छंद हैं जो अत्यधिक विवादास्पद माने जाते हैं।

डॉ. अम्बेडकर तथा मनुस्मृति

- 25 दिसंबर, 1927 को डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने मनुस्मृति को सुविदित रूप से जला दिया था, जिसे उन्होंने लिंग एवं जाति उत्पीड़न के स्रोत के रूप में देखा था।
- हालांकि, उन्होंने व्यापक रूप से स्वीकार किया कि मनुस्मृति एक धार्मिक आदेश नहीं है, बल्कि एक सामाजिक सिद्धांत है, जिसे सदियों से आबादी के उत्पीड़न को सामान्य करने के लिए चालाकी से उपयोग किया गया है।

सूत्र संतति प्रदर्शनी

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय एवं राष्ट्रीय संग्रहालय (नेशनल म्यूजियम) ने अभराज बलदोटा फाउंडेशन के सहयोग से 'सूत्र संतति' प्रदर्शनी का आयोजन किया।

 'सूत्र संतित' प्रदर्शनी देश की विविध वस्त्र परंपराओं को एक साथ लाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के जन्म के 75 वर्ष मना रही है।

सूत्र संतति का क्या अर्थ है?

- सूत्र संतति का शाब्दिक अर्थ है सूत की निरंतरता।
- प्रदर्शनी के शीर्षक के रूप में, यह भारतीय संस्कृति एवं समाज में जारी संवादों का एक रूपक है, जो इसके विकास को आकार देता है, अतीत को भविष्य के साथ जोड़ता है।

सूत्र संतति प्रदर्शनी 2022

• सूत्र संतित प्रदर्शनी के बारे में: 'सूत्र संतित' देश की विविध वस्त्र परंपराओं को एक साथ लाने हेतु एक प्रदर्शनी है।

- आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के हिस्से के रूप में सूत्र संतति प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जा रहा है।
- आयोजक मंत्रालय: अभराज बलदोटा फाउंडेशन के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय एवं राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा सूत्र संतति प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जा रहा है।
- स्थान तथा अवधि: सूत्र संतित प्रदर्शनी 20 सितंबर, 2022 तक नई दिल्ली में जारी रहेगी।
- उद्देश्य: सूत्र संतित प्रदर्शनी की संरक्षकीय (क्यूरेटोरियल) दृष्टि भारत के आत्म-मूल्य एवं अंतर्निहित सामूहिक, सहयोगी प्रयासों जैसे राष्ट्र को परिभाषित करने में प्राकृतिक एवं धीमी उपभोक्तावाद के आदर्शों को बढ़ावा देना चाहती है, जो ऐसे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक हैं।

- प्रमुख कार्यक्रम: प्रदर्शन पर 75 प्रमुख कारीगरों, शिल्पकारों,
 डिजाइनरों तथा कलाकारों के 100 से अधिक वस्त्र हैं।
- हाथ से बुनाई, कढ़ाई, प्रतिरोध-रंगाई, छपाई, चित्रकला एवं एप्लीक के साथ-साथ सूत (यार्न) तथा कपड़े के हस्त कौशल के अन्य रूपों के साथ निर्मित किए गए वस्त्र हैं।
- इन आढतों में प्रयुक्त रेशों में स्थानीय किस्में जैसे कंडू एवं काला कपास, शहतूत तथा जंगली रेशम, ऊंट एवं भेड़ की ऊन, बकरी तथा याक के बाल शामिल हैं।
- भागीदारी: सूत्र संतित प्रदर्शनी 2022 में कारीगर, संगठन / गैर सरकारी संगठन, भाग लेने वाले फैशन एवं टेक्सटाइल डिज़ाइनर, फ़ैशनेबल वस्त्र निर्माता (कॉट्यूरियर) तथा बहु-विषयक कलाकार, टेक्सटाइल रिवाइवलिस्ट एवं वस्त्र कलाकार भाग ले रहे हैं।



विविध

प्रधानमंत्री का 76 वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76 वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया।

 राष्ट्र को संबोधित करते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत की लड़ाई "निर्णायक अवधि" में प्रवेश कर रही है क्योंकि उन्होंने देश के समक्ष भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद की दो बड़ी चुनौतियों को सूचीबद्ध किया।

प्रधानमंत्री का 76^{वां} स्वतंत्रता दिवस संबोधन- प्रमुख विवरण

- अमृत कल के लिए पांच संकल्प: पीएम मोदी ने आगामी 25 वर्षों के लिए देश के लिए पांच प्रस्तावों की भी घोषणा की, जिन्हें उन्होंने अमृत काल बताया। अगले 25 वर्षों के लिए उन्होंने जिन पाँच संकल्पों या पंचप्राणों की घोषणा की, जो निम्नलिखित हैं-
 - पहला: बड़ा संकल्प;
 - दूसरा: गुलाम मानसिकता का परित्याग करना;
 - तीसरा: हमें अपनी विरासत पर गर्व का अनुभव करना होगा;
 - o **चौथा:** एकता तथा एकजुटता; तथा
 - पांचवां: नागरिकों का कर्तव्य।
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई: उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है एवं हमें इससे लड़ना होगा।
 - प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की लड़ाई
 "निर्णायक अविध [निर्णायक कालखंड]" में प्रवेश कर रही
 है।
 - उन्होंने यह भी कहा कि देश को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है।
- जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान: उन्होंने नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया एवं जय जवान, जय किसान के नारे में एक नया वाक्यांश-जय अनुसंधान जोड़ा।
 - यह तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा प्रतिपादित किया गया था एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जय जवान, जय किसान तथा जय विज्ञान तक विस्तारित किया गया था।
 - अब जय अनुसंधान के जुड़ने के बाद इसे "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान" के नाम से जाना जाने लगा है।
- भाई-भतीजावाद मुक्त राष्ट्र का आह्वान: प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता की 76 वीं वर्षगांठ पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, भारत के प्रत्येक संस्थान से , न कि मात्र राजनीति से भाई-भतीजावाद को समाप्त करने पर बल दिया।
 - उन्होंने कहा कि भाई-भतीजावाद ने देश के अनेक संस्थानों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है एवं इससे देश की प्रतिभा तथा क्षमता को आहत करती है तथा यह राष्ट्रों में भ्रष्टाचार के कारणों में से एक है।

 राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से महिलाओं का सम्मान करने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया एवं आगामी 25 वर्षों के दौरान देश की प्रगति में अपने योगदान में वृद्धि करने का आह्वान किया।

भारतीय स्वतंत्रता दिवस 2022- पृष्ठभूमि

- ब्रिटिश शासन: अंग्रेजों ने 1619 में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सुरत एवं गुजरात में प्रवेश किया।
 - 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय के पश्चात, अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया।
- भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य: प्लासी के युद्ध में उनकी विजय के पश्चात 1757 से प्रारंभ होकर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य स्थापित रहा, जिसे बक्सर के युद्ध के पश्चात और मजबूत किया गया।
- स्वतंत्रता संग्राम: भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने हेतु,
 अनेक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर
 आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल,
 महात्मा गांधी तथा अन्य ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया।
- भारत की स्वतंत्रताः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रारंभ हुआ एवं इसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी ने किया।
 - 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन को समाप्त करते हुए भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
- भारत के प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस संबोधन: भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
 - यह एक परंपरा है जिसका अनुसरण वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है, इसके बाद देश के लिए एक संबोधन होता है।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन तथा डेयरी विभाग ने 2022 के दौरान राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस (26 नवंबर, 2022) के अवसर पर प्रदान किए जाने हैं।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के बारे में: "राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम)", देश में प्रथम बार दिसंबर 2014 में वैज्ञानिक रीति से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के संरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।

- उद्देश्य: राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के तहत दुग्ध उत्पादक किसान, इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों तथा डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान किए जाते हैं जो दुग्ध उत्पादकों को बाजार तक पहुंच प्रदान करते हैं।
- संबंधित मंत्रालय: मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन तथा डेयरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
- **ऑनलाइन आवेदन:** योग्य उम्मीदवार 01.08.2022 से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अर्थात https://awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
 - आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 09.2022 है।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की श्रेणियां

निम्नलिखित श्रेणियों में 2022 के दौरान राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:

- देशी गाय/भैंस की नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान (पंजीकृत नस्लों की सूची संलग्न है)
- सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन टेक्नीशियन/एआईटी)
- सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति / दुग्ध उत्पादक कंपनी / डेयरी किसान उत्पादक संगठन।

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार

राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में प्रत्येक श्रेणी में योग्यता का प्रमाण पत्र, एक स्मृति चिन्ह और राशि निम्नानुसार है:

- 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) प्रथम स्थान
- 3,00,000/- (तीन लाख रुपये मात्र) द्वितीय स्थान, एवं
- 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) तृतीय स्थान

स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास एवं संर<mark>क्षण के लिए सरकार</mark> के प्रयास

- पशुपालन एवं डेयरी विभाग किसानों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी क्षेत्र के प्रभावी विकास हेतु अनेक प्रयास कर रहा है।
- भारत की स्वदेशी गोजातीय नस्लें मजबूत हैं एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आनुवंशिक क्षमता रखती हैं।
- सरकार ने स्वदेशी गोजातीय नस्लों के वैज्ञानिक विकास एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन (गोकुल ग्राम) जैसी योजनाएं भी प्रारंभ की हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के बारे में: राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) दिसंबर 2014 से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास एवं संरक्षण हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है।
 - 2400 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 2021 से 2026 तक अम्ब्रेला योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी जारी है।

- महत्व: राष्ट्रीय गोकुल मिशन निम्नलिखित हेतु महत्वपूर्ण है-
 - दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दुग्ध उत्पादन एवं गायों की उत्पादकता में वृद्धि करना तथा
 - डेयरी को देश के ग्रामीण किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाना।
- वित्त पोषण: योजना के सभी घटकों को निम्नलिखित घटकों को छोड़कर 100% अनुदान सहायता के आधार पर लागू किया जाएगा-
 - भाग लेने वाले किसानों को भारत सरकार के अंश के रूप में 5000 रुपये प्रति आईवीएफ गर्भावस्था की घटक सब्सिडी के तहत त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा;
 - घटक सब्सिडी के तहत लिंग क्रमबद्ध वीर्य को प्रोत्साहित करने हेतु वर्गीकृत किए गए वीर्य की लागत का 50% तक भाग लेने वाले किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा एवं
 - परियोजना के अधिकतम 2.00 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत लागत के 50 प्रतिशत तक घटक अनुदान के तहत नस्ल गुणन फार्म की स्थापना उद्यमियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

• उद्देश्य:

- उन्नत तकनीकों का उपयोग करके गायों की उत्पादकता बढ़ाने एवं धारणीय विधि से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
- प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों के उपयोग का प्रचार करना।
- प्रजनन नेटवर्क को सुदृढ़ करने एवं किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के वितरण के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन को बढ़ाना।
- वैज्ञानिक एवं समग्र रीति से स्वदेशी मवेशियों तथा भैंसों के पालन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करना।

स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह

हाल ही में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 (24 अगस्त-सितंबर 01) के पहले दिन एक आभासी सत्र का आयोजन किया।

 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने 'अर्थ गंगा: मॉडल फॉर इकोनॉमिक रिवर-पीपुल कनेक्ट फॉर सस्टेनेबल रिवर रिजुवेनेशन यूजिंग इकोनॉमिक ब्रिज' पर मुख्य भाषण दिया।

स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022

- स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह के बारे में: विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट (एसआईडब्ल्यूआई) द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है।
 - विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर प्रमुख सम्मेलन है,
 जो 1991 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है।

- भागीदारी: स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह अनेक व्यावसायिक पृष्ठभूमियों एवं विश्व के प्रत्येक कोने से प्रतिभागियों के विविध मिश्रण को आकर्षित करता है।
- स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम: स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 की विषय वस्तु "सीइंग द अनसीन: द वैल्यू ऑफ वाटर" है।
- प्रमुख उद्देश्य:
 - उच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री एवंइसके मूल में समावेशी, समाधान-संचालित सहयोग।
 - जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा एवं परिवर्तनकारी कार्रवाई के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ने एवं जल को महत्व देने के तरीके को बदलना।
 - जल समुदाय से परे कारकों के साथ एकीकरण एवं अंतः क्रिया करना।
 - समग्रता, उत्साह, समावेशिता एवं गुणवत्ता के SIWI के मूलभूत मूल्यों को प्रतिबिंबित करना।

अर्थ गंगा मॉडल क्या है?

- पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 2019 में कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था।
 - उन्होंने गंगा को साफ करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे से अर्थ गंगा के मॉडल में परिवर्तन का आग्रह किया।
 - अर्थ गंगा मॉडल नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके गंगा नदी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के सतत विकास पर केंद्रित है।

- अर्थ गंगा मॉडल के बारे में: इसके मूल में, अर्थ गंगा मॉडल लोगों को नदी से जोड़ने के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग करना चाहता है।
 - यह गंगा नदी द्रोणी (बेसिन) से ही सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 3% योगदान करने का प्रयास करता है।
- महत्व: अर्थ गंगा परियोजना के अंतःक्षेप संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं।

अर्थ गंगा मॉडल की प्रमुख विशेषताएं

अर्थ गंगा मॉडल के तहत सरकार छह कार्यक्षेत्रों पर कार्य कर रही है।

- शून्य बजट प्राकृतिक कृषि जिसमें नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर तक रसायन मुक्त कृषि सम्मिलित है, जिससे किसानों के लिए "अधिक आय, प्रति बूंद", 'गोबर धन' उत्पन्न होता है।
- कीचड़ युक्त अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण एवं पुन: उपयोग जिसमें सिंचाई के लिए उपचारित जल के पुन: उपयोग; शहरी स्थानीय निकायों (अर्बन लोकल बॉडीज/यूएलबी) के लिए औद्योगिक उद्देश्य एवं राजस्व सृजन की परिकल्पना की गई है।
- आजीविका के अवसर जैसे 'घाट में हाट', स्थानीय उत्पादों का प्रचार, आयुर्वेद, औषधीय पौधे, गंगा प्रहरी जैसे स्वयंसेवकों का क्षमता निर्माण।
- हितधारकों के मध्य बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी।
- सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन जो सामुदायिक घाटों, योग, साहसिक पर्यटन इत्यादि को प्रोत्साहित करने तथा गंगा कला के माध्यम से नौ पर्यटन की शुरुआत करता है।
- बेहतर विकेन्द्रीकृत जल प्रशासन के लिए स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाकर संस्थागत निर्माण।



संपादकीय विश्लेषण

ए टाइमली जेस्चर

हाल ही में, केंद्र सरकार ने एक ही बार में राज्यों को कर हस्तांतरण देय राशि का एक बड़ा हिस्सा हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। इस वर्ष विवेकाधीन परियोजनाओं के लिए राज्यों को दिए गए 1 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण के मानदंडों की भी समीक्षा की जा सकती है ताकि इसे राज्य सरकारों के साथ अधिक से अधिक कर्षण प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सके।

राज्यों को कर हस्तांतरण

- कारण: कर प्राप्तियों में प्रत्याशित उछाल से अधिक की प्राप्ति ने वित्त मंत्रालय को 2022-23 की प्रथम तिमाही में करों के विभाज्य पूल में राज्यों के मासिक हिस्से को लगभग 48,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगस्त के लिए 58,332.86 करोड़ रुपये करने हेतु प्रेरित किया है।
 - राजकोष के साथ अधिशेष नकद शेष ने राज्यों को दो माह की बकाया राशि को एक बार में स्थानांतरित करने हेतु स्थान निर्मित किया है, जो लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपये की उल्लेखनीय एकमृश्त राशि में परिवर्तित हो गई है।
- महत्व: यह एक व्यावहारिक कदम है जो न केवल वास्तविक स्तर पर नए पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देगा, बल्कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य नए दौर की बेचैनी के बीच अस्थायी रूप से शांति भी प्रदान करेगा।

यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?

- जीएसटी क्षतिपूर्ति चरण का अंत: राज्यों के पास अब 30 जून,
 2022 तक पांच वर्षों में जीएसटी क्षतिपूर्ति से सुनिश्चित राजस्व का उपलब्ध विकल्प नहीं है।
 - यहां तक कि इस वर्ष अर्जित जीएसटी बकाया के लिए, केंद्र ने अप्रैल एवं मई के लिए राज्यों को लगभग 87,000 करोड़ रुपये जारी किए।
 - यद्यपि उस समय जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर खाते में मात्र
 25,000 करोड़ रुपये जमा हुए थे, जो कि अपने ही खजाने
 में डूबा हुआ था।
 - जून के लिए बकाया जीएसटी के अन्य 35,000 करोड़ रुपये
 के साथ, जीएसटी से राज्यों के लिए कुल प्रतिपूर्ति लगभग
 1.22 लाख करोड़ रुपये होगी, जो 2021-22 में 2.5 लाख करोड़ रुपये के आधे से भी कम है।
- राज्यों के उधार मानदंडों में परिवर्तन: राज्यों के समक्ष एक और अनिश्चितता है जिसके कारण राज्य विकास ऋणों की हालिया नीलामियों में उनके कोषागारों से अत्यधिक अस्थायी व्यवहार उनके निवल उधार मानदंडों में परिवर्तन हुआ है।
 - जबिक केंद्र ने वर्ष के लिए राज्यों की उधार सीमा उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5% पर आंकी थी, इस सीमा

- को 2020-21 से राज्यों द्वारा उठाए गए बजट से परे (ऑफ-बजट) ऋण के अनुरूप युग्मित किया जाना है।
- हालांकि, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि मात्र 2021-22 के लिए उनके ऑफ-बजट ऋण को उच्चतम सीमा के विरुद्ध और वह भी, इस वर्ष और 2025-26 के बीच क्रमबद्ध रूप से समायोजित किया जाएगा।

निष्कर्ष

- इन कदमों से राज्यों को सहायता प्राप्त होनी चाहिए, जिन्होंने हाल ही में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में घटते राजस्व के बारे में चिंता व्यक्त की, एक पूंजीगत व्यय के साथ अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास का समर्थन किया।
- केंद्र एवं राज्यों के मध्य संघर्ष बिंदु परिवर्तनशील तीव्रता के साथ बने रहेंगे, किंतु बढ़ता आर्थिक ज्वार दोनों के लिए बाधाओं को कम करेगा।

ए ट्रिस्ट विद द पास्ट

हाल ही में, भारत ने अपनी स्वतंत्रता के 76वें वर्ष का उत्सव मनाया। पचहत्तर वर्ष पूर्व आज ही के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से प्रथम प्रधानमंत्री का संबोधन किया था। भाषण की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं-

"आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, वह एक कदम है, अवसर का एक प्रारंभ, व्यापक विजय एवं उपलब्धियों के लिए जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हम इतने वीर एव बुद्धिमान हैं कि इस अवसर को समझ सकें तथा भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार कर सकें?"

इस संदर्भ में, हम भारत के लिए इन पचहत्तर वर्षों में विभिन्न ु उपलब्धियों और छूटे हुए अवसरों पर चर्चा करेंगे।

ए ट्रिस्ट विद द पास्ट- उपलब्धियां एवं छूटे हुए अवसर

- उपलब्धियां: महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो प्राप्त हुई हैं -
 - अधिकारों की गारंटी देने वाली एक संवैधानिक योजना जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म तथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य सम्मिलित है,
 - आवधिक चुनावों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कार्यान्वयन,
 - एक समृद्धशाली विधायिका,
 - शक्तियों के औपचारिक पृथक्करण की अनुमित प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान.
 - राज्यों का एक अर्ध-संघीय संघ जिसे भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था,
 - संस्थानों का निर्माण (औद्योगिक, शैक्षिक, चिकित्सा)
 जिसने प्रगति की शुरुआत की, एवं

- ज्ञान तथा संचार के क्षेत्रों को खोलना जिसने भारत को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी रूप से बांधा।
- छूटे हुए अवसर: वही कुछ गलतियाँ एवं असफलताएँ भी हुई हैं
 - अत्यधिक निर्धनता एवं अधिकार हीनता की समाप्ति में असमर्थता, भले ही 1947 के पश्चात से इनमें नाटकीय रूप से कमी आई हो.
 - संवैधानिक व्यवस्था एवं मुल्यों को लागु करने में तनाव,
 - तीव्र गति से वृद्धि करता सांप्रदायिक बहुसंख्यकवाद, जिसे स्वतंत्रता सेनानियों एवं संविधान निर्माताओं दोनों ने निश्चित रूप से अस्वीकृत कर दिया था,
 - सत्ता के विकेंद्रीकरण की अपूर्ण प्रकृति, एवं
 - बढ़ती आर्थिक असमानता।
- भारत की क्षमता: भारत निम्नलिखित कारणों से गौरवान्वित अनुभव करता है-
 - एक लाभप्रद जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ विश्व की उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में से एक,
 - एक जीवंत लोकतंत्र जो चुनावों में उत्साहपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है,
 - एक विविधतापूर्ण राजनीति, एवं
 - एक विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था।

ए ट्रिस्ट विद द पास्ट- संबद्ध चुनौतियां

भारत को विशालकाय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।

- वैश्विक अनुदारवाद एवं जलवायु परिवर्तन: इसके लोग एक अधिक अराजक दुनिया में रहते हैं जहाँ सहयोग तथा उदार व्यापार संबंधों को नुकसान उठाना पड़ा है एवं जहाँ जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है।
- अति केंद्रीकरण: एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति का उदय एवं समेकन जो सत्ता को केंद्रीकृत करना चाहता है तथा भारत के विचार को समांगीकृत करना चाहता है।
 - इसने समग्र प्रगति के साधन के रूप में विविधता एवं समावेश को मान्यता प्रदान करने की संवैधानिक संरचना को अनावृत करने की धमकी दी है।
- समावेशी विकास के माध्यम से आर्थिक प्रगति 1990 के दशक के प्रारंभ में व्यापक सुधारों के पश्चात त्वरित हुई एक प्रक्रिया एवं 2000 के दशक के मध्य में कल्याण के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का प्रारंभ - विगत कुछ वर्षों में मंद हुआ है।
- अंतर-राज्यीय असमानता: दक्षिण एवं पश्चिमी भारत के साथ अन्य क्षेत्रों की तुलना में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा संपूर्ण आर्थिक विकास में बेहतर परिणाम देने के साथ, अंतर-राज्यीय असमानताओं में वृद्धि हुई है।
 - यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर निकट भविष्य में सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- भारत को 1990 के दशक में बनाई गई नीतियों को जारी रखना चाहिए, जो एक अधिकार दृष्टिकोण के साथ समग्र कल्याण पर विश्वास करते हुए उद्यमशीलता की ऊर्जा को पल्लवित होने की अनुमित प्रदान करती है, जिसे 2000 के दशक के अंत में अपनी जनसांख्यिकीय क्षमता का उपयोग करने में सहायता करने हेतु प्रोत्साहन दिया गया था।
- 21वीं सदी में भारत की प्रगति सामाजिक न्याय, समानता एवं विविधता में एकता जैसे मुल्यों के पुन: प्रज्वलन पर निर्भर करेगी।

ब्रिन्गिंग यूरेशिया क्लोज़र

हाल ही में, RailFreight.Com ने बताया कि लकड़ी की परत की चादरों के दो 40-फीट के कंटेनर ने रूस के अस्त्राखान बंदरगाह से कैस्पियन सागर को पार किया एवं अंततः अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर/INSTC) के प्रारंभ को चिह्नित करते हुए मुंबई में न्हावा शेवा बंदरगाह तक पहुंचा।

 जलपोतों ने रूस के अस्त्राखान बंदरगाह से कैस्पियन सागर को पार किया, ईरान के अंजाली बंदरगाह में प्रवेश किया, अरब सागर की ओर अपनी दक्षिण की यात्रा जारी रखी, बंदर अब्बास में समुद्र में प्रवेश किया एवं अंततः मुंबई में न्हावा शेवा बंदरगाह पहुंचा।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर <mark>दक्षिण प</mark>रिवहन <mark>गलिया</mark>रा (INSTC)

- पृष्ठभूमि: अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा (INSTC) हेतु विधिक ढांचा 2000 में परिवहन पर यूरो-एशियाई सम्मेलन में भारत, ईरान एवं रूस द्वारा हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते द्वारा प्रदान किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गिलयारे के बारे में: अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गिलयारा (INSTC) एक 7,200 किलोमीटर का बहु-विध (मिल्टी-मोडल) परिवहन गिलयारा है जो मध्य एशिया एवं ईरान के माध्यम से रूस तथा भारत को जोड़ने वाली सड़क, रेल तथा सामुद्रिक मार्गों को जोड़ता है।
 - आईएनएसटीसी से उदीयमान यूरेशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र
 को सुदृढ़ करने की संभावना है।
- INSTC के सदस्य: भारत, ईरान एवं रूस अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के संस्थापक सदस्य हैं।
 - बाद में, कजाकिस्तान, बेलारूस, ओमान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया एवं सीरिया ने आईएनएसटीसी के सदस्य बनने हेत् अंगीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

• INSTC का महत्व

एक बार पूर्ण रूप से क्रियाशील हो जाने पर,
 आईएनएसटीसी से स्वेज नहर के माध्यम से पारंपरिक गहरे

- समुद्र मार्ग की तुलना में माल ढुलाई लागत में 30% तथा यात्रा के समय में 40% की कमी आने की संभावना है।
- वास्तव में, विगत वर्ष एक वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता को अत्यधिक अनुभव किया गया था, जब एवर गिवन कंटेनर जहाज स्वेज में फंस गया था, भूमध्य सागर एवं लाल सागर के मध्य समुद्री यातायात को बाधित कर दिया था।
- भारत क्वाड एवं आईएनएसटीसी दोनों का संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता से बहु-संरेखण में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

भारत के लिए INSTC का महत्व

- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) में भारत के निवेश ईरान के चाबहार बंदरगाह में इसकी भागीदारी एवं 500 किलोमीटर की चाबहार-जाहेदान रेलवे लाइन के निर्माण के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- एक बार पूर्ण हो जाने के पश्चात, यह आधारिक अवसंरचना भारत को अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक पहुंचने की अनुमित प्रदान करेगा, इस परियोजना के लिए तालिबान सरकार के समर्थन से एक संभावना सशक्त हुई है।
- भारत अब अफगानिस्तान, मध्य एशिया एवं उससे आगे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बायपास कर सकता है।
- आईएनएसटीसी एक उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे को आकार दे सकता है जो चीन के नेतृत्व वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के पूर्व-पश्चिम अक्ष का पूरक हो सकता है।
- आईएनएसटीसी भारत को रूस, ईरान एवं मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ घनिष्ठ सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

निष्कर्ष

 एक अंतरमहाद्वीपीय बहु-विध गिलयारा (मल्टी-मोडल कॉरिडोर) के रूप में जिसका उद्देश्य यूरेशिया को एक साथ लाना है, INSTC स्वयं में एक प्रशंसनीय पहल है। यह भारत को अपनी बहु-संरेखण रणनीति को सुदृढ़ करने में सहायता करता है जिससे समझौते में मधुरता आती है।

कूलिंग द टेंपरेचर्स

ताइवान के आसपास के समुद्री एवं हवाई क्षेत्र में चीन द्वारा आयोजित चार दिवसीय सैन्य अभ्यास, बिना किसी घटना के 7 अगस्त को संपन्न हुआ, जो इस क्षेत्र के लिए राहत के रूप में है।

ताइवान पर यूएस-चीन संघर्ष

 चीनी सैन्य अभ्यास: अभ्यास में चीनी सेना ने न केवल ताइवान जलडमरूमध्य के मध्य को पार किया, बल्कि ताइवान के ऊपर पारंपरिक मिसाइलों को दागा, यह एक ऐसा आक्रामक कृत्य था जो आसानी से अनपेक्षित संघर्ष का कारण बन सकता था।

- ताइवान की प्रतिक्रिया: कि उन्होंने किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया, इसका श्रेय ताइवान की सेना की शांत प्रतिक्रिया को जाता है।
- ताइवान ने कहा कि उसने चीन के अभ्यास की निगरानी की, जिनमें से कुछ अभ्यास ताइवान के 12 समुद्री मील की सीमा के भीतर आयोजित किए गए थे, किंतु न तो चीनी विमानों एवं युद्धपोतों पर आक्रमण करने एवं न ही मिसाइलों को मार गिराने का निर्णय लिया।
- चीनी औचित्य: चीन का औचित्य यह है कि बीजिंग ने इस पूरे संकट को प्रेरित करने वाले अमेरिका द्वारा अनावश्यक उकसावे के रूप में जो देखा है, उसके बाद एक लाल रेखा खींचने के लिए यह एक आवश्यक प्रतिक्रिया थी।
- यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की हाल की ताइवान यात्रा,
 25 वर्षों में इस तरह की प्रथम उच्च स्तरीय संबद्धता, चीन के
 विचार में एक चीन नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को
 "खोखला" करने के वाशिंगटन के और सबूत थे।

ताइवान पर अमेरिका-चीन संघर्ष- अपेक्षित प्रभाव

यह देखना मुश्किल है कि तीनों पक्षों - यू.एस., ताइवान एवं चीन -को अंततः एक यात्रा से क्या लाभ प्राप्त होगा।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए: हाल के दौरे किसी भी सुविचारित दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों की तुलना में सुश्री पेलोसी के राजनीतिक झकाव से अधिक प्रेरित प्रतीत होते हैं।
 - यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपित जो बिडेन एवं अमेरिकी सेना ने भी ऐसी यात्रा के प्रति आगाह किया था जो वाशिंगटन के लिए कोई स्थायी रणनीतिक लाभ नहीं लाती है।
- ताइवान के लिए: ताइवान के 23 मिलियन लोगों के लिए तथा राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के लिए, चीन के दबाव के कारण बढ़ते वैश्विक अलगाव के बावजूद भी दुर्लभ हाई-प्रोफाइल विदेश यात्रा निस्संदेह स्वागत योग्य थी।
 - हालांकि, उस अल्पकालिक लाभ का का प्रतिसंतुलन (भरपाई) इस तथ्य से किया जा सकता है कि सुश्री पेलोसी ने निसंदेह ताइवान को एक बदतर रणनीतिक वातावरण के साथ छोड़ दिया है।
- चीन के लिए: चीन की सेना ने संकेत दिया है कि उसकी कार्रवाइयों ने अब ताइवान जलडमरूमध्य में सैन्य गतिविधियों में एक नए सामान्य की शुरुआत की है, जिससे वह ताइवान के तटों के समीप आ गया है।
 - सुश्री पेलोसी की यात्रा के उत्तर में, बीजिंग ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह तीन प्रमुख संवाद तंत्रों को रद्द करके वाशिंगटन के साथ सैन्य चैनलों को काट देगा, वह भी ऐसे समय में जब सैन्य तनाव प्रवर्धित हो (बढ़) गया था।

आगे की राह

 अब तापमान को शीतल करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करना विश्व के दो सर्वाधिक वृहद शक्तियों के मध्य विश्वास के निम्न स्तर के साथ करने की तुलना में सरल होगा। ऐसा कहा जाता है कि, युद्ध, को सेनापितयों पर छोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रों के मध्य संबंधों के बारे में भी यही कहा जा सकता है: उन्हें राजनेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का बंधक नहीं होना चाहिए।

हार्ड द्रथ्स अबाउट इंडियाज लेबर रिफॉर्म्स

स्वतंत्र भारत का जन्म 75 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को हुआ था, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश का तिरंगा झंडा फहराया था एवं संसद में घोषणा की थी कि भारत ने "भाग्य के साथ एक मिलन" (ट्रिस्ट विद डेस्टिनी) किया है।

- महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए एक लंबे, उल्लेखनीय शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की थी।
- गांधी जी का दृष्टिकोण- गांधी जी के पास एक ऐसे देश की दृष्टि थी जो धार्मिक एवं सांप्रदायिक दीवारों से टुकड़ों में विभाजित न हो। उन्होंने एक ऐसे देश की कल्पना की, जिसमें सभी भारतीय, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अपने सिर को शान से ऊंचा रखेंगे। भारत का "भाग्य के साथ मिलन" अपने समस्त नागरिकों को "पूर्ण स्वराज" (अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता): राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना था।

देश की खामियां

- भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है। जातियों के मध्य सामाजिक समानता हासिल नहीं की गई है।
- भारत के गांवों में निचली जाति के नागरिक अत्यधिक अपमान में जीवन जी रहे हैं एवं निचली जाति की निर्धन महिलाएं घोर गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही हैं। वे ग्रह पर सर्वाधिक उत्पीड़ित मनुष्यों में से हैं।
- जबिक कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय अरबपितयों की संख्या में वृद्धि हुई, करोड़ों भारतीयों ने अपनी आय खो दी जब देश में महामारी के दौरान लॉक डाउन हो गया तथा अपने परिवारों के लिए आश्रय, भोजन एवं यहां तक कि पीने के पानी को खोजने के लिए संघर्ष किया।
- भारत की सर्वाधिक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या वह कठिनाई है जो अधिकांश नागरिकों को अच्छी आजीविका अर्जित करने जिसमें न केवल रोजगार सम्मिलित है बल्कि रोजगार की अपर्याप्त गुणवत्ता: अपर्याप्त एवं अनिश्चित आय तथा कार्य की अपर्याप्त दशाएं, जहां भी वे कार्यरत हैं - कारखानों में, खेतों, सेवा प्रतिष्ठानों अथवा घरों में होती है।

श्रम सुधार- प्रभाव

 वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की अंतरिम रिपोर्ट, "राज्यों द्वारा किए गए श्रम सुधारों का प्रभाव आकलन अध्ययन", (इंपैक्ट

- असेसमेंट स्टडी ऑफ लेबर रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द स्टेट्स) अब तक के सुधारों के प्रभावों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- रिपोर्ट 2004-05 से 2018-19 की अवधि तक विस्तृत है। यह छह राज्यों: राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है जिन्होंने सुधारों को लागू किया है।
- रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि श्रम कानून व्यावसायिक निवेश निर्णयों को प्रभावित करने वाले मात्र एक कारक हैं। निवेशक सिर्फ इसलिए लोगों को नौकरी पर रखने हेतु विशेष प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें निकालना आसान हो गया है। एक उद्यम के पास अपने उत्पादों के लिए एक बढ़ता हुआ बाजार होना चाहिए एवं बाजार के उत्पादन के लिए अनेक वस्तुओं- पूंजी, मशीनरी, सामग्री, भूमि, इत्यादि ना कि केवल श्रम को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए, निकाले जाने से पूर्व अधिक लोगों को रोजगार देना सार्थक होना चाहिए।

स्पष्ट तस्वीर

- श्रम कानूनों में सुधारों का बड़े उद्यमों में रोजगार बढ़ाने पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रम सुधारों के प्रभावों को त्वरित प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है: इसमें समय लगेगा।
- 2010-11 से 2014-15 (वह अवधि जब प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया था) के मध्य 300 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में रोजगार की हिस्सेदारी 51.1% से बढ़कर 55.3% हो गई एवं फिर वृद्धि कम हो कर 55.3% से 56.3% हो गई, 2017-18 में, जब कुछ राज्यों ने नियोक्ताओं के लिए साहसिक सुधारों को अनुकूल बनाया। यद्यपि समग्र रोजगार अनेक कारकों से प्रभावित होता है, 2014 के बाद के साहसिक सुधार बड़े कारखानों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए थे।
- रिपोर्ट कहती है, औपचारिक उद्यमों में रोजगार अधिक अनौपचारिक होता जा रहा है। बड़े निवेशक अधिक पूंजी का उपयोग कर सकते हैं एवं अल्पकालिक अनुबंधों पर लोगों की बढ़ती संख्या को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं, जबिक कानूनों में अधिक शिथिलता की मांग कर रहे हैं।
- रिपोर्ट "औपचारिक" रोजगार को सवैतनिक अवकाश, एक लिखित अनुबंध एवं कतिपय "सामाजिक सुरक्षा" के अनुदान के रूप में परिभाषित करती है। इन लाभों को प्रदान करने से पूर्व एक उद्यम को 300 से अधिक लोगों को रोजगार नहीं देना चाहिए।
- सुनवाई के अधिकार एवं कार्य पर गरिमा के साथ, ये न्यूनतम " अनिवार्यताएं" हैं, जिन्हें सभी नियोक्ताओं को उन सभी को प्रदान करना चाहिए जो उनके लिए कार्य करते हैं, चाहे वे छोटे उद्यमों में हों अथवा घरेलू कार्यों में।
- कानूनों की सीमा में वृद्धि करने से छोटे उद्यमों में श्रमिकों के संघ तथा प्रतिनिधित्व के अधिकार कम हो जाते हैं।

मेकिंग बेल इंपॉसिबल

हाल ही में, विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टPMLA) की संवैधानिकता को इस बात के प्रमाण के रूप में बरकरार रखा कि एडीएम जबलपुर की प्रतिच्छाया पुनः जीवित हो गई है।

जमानत दिए जाने का पुराना सिद्धांत एवं जेल के अपवाद होने के कारण इस निर्णय के साथ न्यायिक रूप से अंतिम संस्कार किया गया है। जमानत भी अब अपवाद नहीं है। यह असंभव है।

पीएमएलए के अंतर्गत जमानत से संबंधित प्रावधान

- पीएमएलए की धारा 45: जमानत के लिए पात्र होने हेतु,
 गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय को यह विश्वास दिलाना होगा
 कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह प्रवर्तन निदेशालय
 (एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट/ईडी) द्वारा लाए गए मनी लॉन्ड्रिंग
 अपराधों के लिए दोषी नहीं है।
 - आरोपी पर यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी होती है कि घटना घटित नहीं हुई थी। यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो वह जेल में ही दिन काटेगा।
- न्यायिक अवलोकन: इस उच्च बाधा को उचित ठहराने के लिए,
 न्यायालय ने निकेश ताराचंद शाह बनाम भारत संघ (2017) में अपने निर्णय को पलट दिया।
 - उपरोक्त वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'मनी लॉन्ड्रिंग' के अपराध को कम जघन्य मानने एवं इसलिए आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (टेरिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज/TADA) के तहत 'आतंकवाद' से अलग अपराध मानने का निर्देश दिया था।
 - न्यायालय ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध उतना ही जघन्य है जितना कि एक आतंकवादी कृत्य एवं हमारे देश की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
- संबंधित चिंताएं: सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग में कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क, कला तथा पुरावशेष, प्रतिभूतियों, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनियों एवं वायु तथा जल प्रदूषण के उल्लंघन से संबंधित अपराधों से संबंधित धन भी सम्मिलित है।
- गोपनीयता: न्यायालय ने यह भी घोषित किया कि प्रवर्तन निदेशालय को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (एनफोर्समेंट केस इनफॉरमेशन रिपोर्ट/ईसीआईआर) को आरोपी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है।
 - यह विचित्र है क्योंिक गोपनीयता की समान धारणा पुलिस
 एवं केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी एजेंसियों के समकक्ष दस्तावेजों (एफआईआर) पर लागू नहीं होती है।
 - ईसीआईआर में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपराध दर्ज करने
 का औचित्य निहित है। यद्यपि, न्यायालय ने ईसीआईआर
 की तुलना एफआईआर से नहीं करने का फैसला किया।

निष्कर्ष

जब किसी को पीएमएलए के तहत किसी अपराध के लिए
गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे ऐसा क्यों कहा जाता है, यह
बताए बिना उसे लंबे समय तक कैद में रखा जाएगा एवं कोई
भी न्यायालय कभी भी उचित रूप से यह निष्कर्ष निकालने में
सक्षम नहीं होगी कि व्यक्ति कानून के तहत जमानत का हकदार
है जैसा कि अब है।

मूर्विंग पॉलिसी अवे फ्रॉम पापुलेशन कंट्रोल

संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या प्रत्याशा (वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स/WPP), 2022 का अनुमान है कि भारत 2023 तक 140 करोड़ की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।

एक आकस्मिक पूर्ण परिवर्तन

- 1960 के दशक में, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2% से अधिक थी। विकास की वर्तमान दर पर, यह 2025 तक गिरकर 1% होने की संभावना है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे/ एनएफएचएस) के अनुसार, विगत वर्ष, भारत एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय मील का पत्थर तक पहुंच गया, प्रथम बार, इसकी कुल प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट/टीएफआर) प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता (प्रति महिला 2.1 बच्चे) से नीचे दो तक फिसल गई।
 - स्वतंत्रता के पश्चात, 1950 के दशक में, भारत में टीएफआर
 छह था।
- निम्न टीएफआर प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं में उच्च निरक्षरता स्तर, बड़े पैमाने पर बाल विवाह, सापेक्षिक रूप से उच्च स्तर की पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर, महिलाओं की निम्न कार्यबल भागीदारी तथा अन्य राज्यों की तुलना में कम गर्भनिरोधक उपयोग सम्मिलित हैं।
- भारत में बहुसंख्यक महिलाओं के पास अपने जीवन में बहुत अधिक आर्थिक या निर्णायक निर्णय निर्माण नहीं है एवं समाज में महिलाओं की स्थिति (जीवन की गुणवत्ता) में सुधार किए बिना, मात्र एकतरफा विकास प्राप्त किया जा सकता है।

जनसांख्यिकीय लाभांश

- एक विशाल जनसंख्या का अर्थ वृहत्तर मानव पूंजी, उच्च आर्थिक विकास एवं जीवन निर्वाह स्तर में सुधार माना जाता है।
 - जैसा कि विश्व जनसंख्या प्रत्याशा 2022 में, भारत में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वृहद कार्यबल होगा, अर्थात, आगामी 25 वर्षों में, कार्यशील-आयु वर्ग के पांच व्यक्तियों में से एक भारत में निवास कर रहा होगा।
- कार्यशील-आयु में यह वृद्धि 2050 के दशक के मध्य तक बढ़ती रहेगी एवं भारत को इसका सदुपयोग करना चाहिए।

संबंधित क्षेत्र

1. गंभीर स्वास्थ्य जोखिम

- इन 75 वर्षों में देश में रोग प्रतिरूप में भी जबरदस्त बदलाव देखा गया है: जबिक भारत स्वतंत्रता के पश्चात संक्रामक रोगों से लड़ रहा था, गैर- संक्रामक रोगों (नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज/एनसीडी) की ओर एक संक्रमण हुआ है, जो कुल मौतों का 62 प्रतिशत से अधिक का कारण है।
- भारत एक वैश्विक रोग बोझ नेतृत्वकर्ता है क्योंिक 1990 के दशक से गैर- संक्रामक रोगों की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है, जो चिंता का प्राथमिक कारण है।
- भारत मधुमेह से पीड़ित आठ करोड़ से अधिक लोगों का घर है। इसके अतिरिक्त, वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर होने वाली मौतों में से एक चौथाई से अधिक अकेले भारत में होती हैं।
- बढ़ते हुए गैर संक्रामक रोगों की चपेट में जरण आबादी के साथ, भारत आने वाले दशकों में एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम का सामना कर रहा है।
- इसके विपरीत, भारत का स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा अत्यधिक अपर्याप्त एवं एवं अक्षम है।
- इसके अतिरिक्त, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण कम है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 1% एवं 1.5% के मध्य है, जो विश्व में सबसे कम प्रतिशत में से एक है।
- 2. प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के बाद भी, जनसंख्या गति (उनके प्रजनन आयु समूहों में महिलाओं के बड़े समूह) के कारण जनसंख्या तीन से चार दशकों तक बढ़ती रहेगी।
- 3. जनसांख्यिकीय लाभांश
 - इस जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने में अनेक बाधाएं हैं।
 - भारत की श्रम शक्ति कार्यबल से महिलाओं की अनुपस्थिति से बाधित है; केवल एक चौथाई महिलाएं ही नियोजित हैं।
 - शैक्षिक उपलब्धियों की गुणवत्ता आदर्श के अनुकूल नहीं है एवं देश के कार्यबल में आधुनिक रोजगार बाजार के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल का बुरी तरह से अभाव है।
 - विश्व की न्यूनतम रोजगार दरों में से एक के साथ सर्वाधिक वृहद आबादी होने के कारण 'जनसांख्यिकीय लाभांश' प्राप्त करने में एक और बड़ी बाधा है।
 - स्वतंत्र भारत की एक अन्य जनसांख्यिकीय चिंता पुरुष प्रधान लिंगानुपात है।
 - भारत में प्रजनन आयु वर्ग की प्रत्येक दूसरी महिला रक्ताल्पता पीडि़त (एनीमिक) है एवं पांच वर्ष से कम आयु का प्रत्येक तीसरा बच्चा अविकसित है।
 - वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर है; यह एक ऐसे देश के लिए अत्यंत कठिन है, जिसके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के लिए सर्वाधिक व्यापक कल्याणकारी कार्यक्रम हैं।

आगे की राह

- लिंगानुपात में सुधार एक प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंिक कुछ समुदायों को विवाह दबाव (एक विशिष्ट समाज में विवाह के लिए उपलब्ध पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या के मध्य असंतुलन) एवं अंततः दुल्हन की खरीद से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- भारत को एक युवा राष्ट्र कहा जाता है, जिसकी 50% जनसंख्या
 25 वर्ष से कम आयु की है।
- वृद्ध लोगों के लिए एक मजबूत सामाजिक, वित्तीय एवं स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रणाली के विकास में अग्रिम निवेश समय की आवश्यकता है।
- कार्रवाई का केंद्र बिंदु (फोकस) मानव पूंजी में व्यापक निवेश,
 गरिमा के साथ रहने वाले वृद्ध वयस्कों तथा वृद्ध जनसंख्या के स्वस्थ रहने पर होना चाहिए।
- हमें उपयुक्त बुनियादी ढांचे, अनुकूल सामाजिक कल्याण योजनाओं एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य में बड़े पैमाने पर निवेश के साथ तैयार रहना चाहिए।
- जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए;
 हमें अब इतनी गंभीर समस्या नहीं है। इसके स्थान पर, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि प्राथमिकता होनी चाहिए।

रैंकिंग दैट मेक नो सेंस

हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क/एनआईआरएफ) की उच्च शिक्षा संस्थानों (हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस/एचईआई) की रैंकिंग को शिक्षा के विभिन्न वर्गों से अत्यधिक आलोचना प्राप्त हुई है।

एनआईआरएफ की उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की रैंकिंग

- एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में: राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों को श्रेणीकृत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा 2015 में अपनाया गया एक ढांचा है।
- रैंकिंग हेतु श्रेणियाँ: एनआईआरएफ 11 विभिन्न श्रेणियों के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को श्रेणीकृत (रैंक) करता है। प्रारंभ में, प्रथम एनआईआरएफ रैंकिंग 2016 में मात्र चार श्रेणियां थीं। 11 श्रेणियां हैं-
 - ० प्रबंधन
 - ० अभियांत्रिकी
 - विश्वविद्यालय
 - ० औषध विज्ञान (फार्मेसी)
 - वास्तुकला (आर्किटेक्चर)
 - ० चिकित्सा
 - दंत चिकित्सा
 - ० विधि
 - ० महाविद्यालय
 - शोध संस्थान
 - ० समग्र

- एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंड: उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पांच मापदंडों पर किया जाता है-
 - शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन (टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज/टीएलआर)
 - शोध एवं व्यावसायिक अभ्यास (रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रेक्टिस/आरपी)
 - ० स्नातक परिणाम (ग्रेजुएशन आउटकम्स/जीओ)
 - पहुंच एवं समावेशिता (आउटरीच एंड इंक्लूजिविटी/OI)
 - o सहकर्मी धारणा (पीयर परसेप्शन)

एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2022 के साथ संबद्ध चिंताएं

- डेटा धोखाधड़ी: एनआईआरएफ के तहत विभिन्न विषयों में भाग लेने वाले कुछ बहु-विषयक निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत डेटा का विश्लेषण डेटा धोखाधड़ी का साक्ष्य प्रदान करता है।
 - उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के एनआईआरएफ द्वारा सत्यापन की एक कठोर प्रणाली का अभाव प्रतीत होता है।
 - उदाहरण के लिए, शिक्षक-छात्र अनुपात (फैकल्टी-स्टूडेंट रेशियो/एफएसआर) रैंकिंग के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है।
 - साक्ष्य बताते हैं कि कुछ निजी बहु-विषयक विश्वविद्यालयों ने एक से अधिक विषयों में एक ही संकाय का दावा किया है।
 - एक बेहतर एफएसआर का दावा करने के लिए उदार कला में संकाय को विधि में संकाय के रूप में भी दावा किया गया है।
- पारदर्शिता की कमी: एनआईआरएफ के लिए आवश्यक है कि इसमें जमा किए गए डेटा को सभी भाग लेने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए ताकि इस तरह के डेटा की जांच की जा सके।
 - कुछ निजी बहु-विषयक विश्वविद्यालयों ने अपनी वेबसाइट पर ऐसे डेटा तक मुक्त पहुंच प्रदान नहीं की है; इसके स्थान पर, उन्हें एक्सेस चाहने वाले व्यक्ति के विवरण के साथ एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
 - इस तरह की गैर-पारदर्शिता रैंकिंग अभ्यास के विपरीत है।
 - एनआईआरएफ को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों एवं इन संस्थानों की वेबसाइटों पर मौजूद आंकड़ों में भी विसंगति है।
 - उदाहरण के लिए, वेबसाइटों पर अपलोड किए गए डेटा
 में संकाय की संख्या, नाम, योग्यता तथा अनुभव के
 विवरण सम्मिलित नहीं होते हैं।
- नियोजित कार्यप्रणाली में अंतर: प्रत्यायन (मान्यता) उद्देश्यों एवं रैंकिंग उद्देश्यों के लिए नियोजित कार्यप्रणाली के मध्य एक अंतर है।

 जबिक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यूजीसी-केयर सूचीबद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशनों को उचित महत्व देती है, एनआईआरएफ मात्र स्कोपस एवं वेब ऑफ साइंस से प्रकाशन डेटा का उपयोग करता है।

निष्कर्ष

 एनआईआरएफ में गंभीर कार्यप्रणाली एवं संरचनात्मक मुद्दे रैंकिंग प्रक्रिया को कमजोर करते हैं। सभी हितधारकों के परामर्श से कार्यप्रणाली को संशोधित किया जाना चाहिए।

सोप और वेलफेयर डिबेट

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 'मुफ्त उपहार' (फ्रीबीज) के मुद्दे की जांच के लिए हितधारकों के एक निकाय के गठन के निर्णय से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस तरह के दूरगामी कवायद पर विधायिका को दरकिनार किया जा सकता है।

चुनावों में मुफ्त उपहारों पर चिंता

- अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने अथवा चुनाव पूर्व के अव्यवहार्य वादों पर मतदाताओं द्वारा संसूचित निर्णय लेने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले 'मुफ्त उपहार' पर एक सामान्य चिंता उचित प्रतीत होती है।
- इस बात पर चिंता कि 'मुफ्त उपहार' क्या हैं और कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए वैध कल्याणकारी उपाय क्या हैं।
 - ये अनिवार्य रूप से राजनीतिक प्रश्न हैं जिनके लिए न्यायालय के पास कोई उत्तर नहीं हो सकता है।
- मुफ्त उपहारों में हस्तक्षेप करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर चिंता, जो एक विधायी मामला है।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन

भारत के मुख्य न्यायाधीश, एन.वी. रमना ने चुनाव से पहले 'मुफ्त उपहार' के वितरण या 'मुफ्त उपहार' के वादे के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता की।

- इसने कहा कि न्यायालय दिशानिर्देश जारी नहीं करने जा रही है, किंतु मात्र यह सुनिश्चित करेगी कि नीति आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक एवं राजनीतिक दलों जैसे हितधारकों से सुझाव ग्रहण किए गए हैं।
- ये सभी संस्थान भारत के चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया/ईसीआई) तथा सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं।
- एक सुझाव है कि संसद इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है, खंडपीठ (बेंच) को संशय हुआ, जिसने महसूस किया कि कोई भी दल इस मुद्दे पर बहस नहीं चाहेगा, क्योंकि वे सभी इस तरह की रियायतों का समर्थन करते हैं।
- पीठ ने चुनाव आयोग को 'आदर्श घोषणा पत्र' (मॉडल मेनिफेस्टो) तैयार करने का भी विरोध किया क्योंकि यह एक खाली औपचारिकता होगी।
- लोकलुभावन उपायों पर न्यायालय की चिंता सरकार के साथ भी प्रतिध्वनित होती है, जैसा कि सॉलिसिटर-जनरल ने प्रस्तुत

किया कि ये मतदाता के संसूचित निर्णय लेने को विकृत करते हैं; तथा यह कि अनियंत्रित लोकलुभावनवाद एक आर्थिक आपदा का कारण बन सकता है।

सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार (2013) निर्णय

- सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रश्नों को संबोधित किया एवं यह निर्धारित किया कि ये पक्ष कानून एवं नीति से संबंधित हैं।
- इसने टेलीविजन सेटों या उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण को इस आधार पर बरकरार रखा कि योजनाएं महिलाओं, किसानों एवं निर्धन वर्गों को लक्षित करती हैं।
 - इसमें कहा गया है कि ये निर्देशक सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए थे।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि जब तक विधायिका द्वारा स्वीकृत विनियोगों के आधार पर सार्वजनिक धन का व्यय किया जाता है, तब तक उन्हें न तो अवैध घोषित किया जा सकता है और न ही ऐसी वस्तुओं के वादे को 'भ्रष्ट आचरण' कहा जा सकता है।
- हालांकि, इसने चुनाव आयोग को घोषणा पत्र की सामग्री को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था।

मुफ्त उपहारों पर भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का रुख एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तिमलनाडु सरकार (2013) के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के पश्चात, भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित उपाय किए-

- निर्वाचन (चुनाव) आयोग ने अपने आदर्श आचार संहिता में एक शर्त शामिल की कि दलों को ऐसे वादों से बचना चाहिए जो "चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को दूषित करते हैं अथवा मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालते हैं"।
- इसमें कहा गया है कि मात्र वही वादे किए जाने चाहिए जिन्हें पूरा किया जाना संभव हो एवं घोषणापत्र में वादा किए गए कल्याणकारी उपायों के लिए तर्क होना चाहिए एवं इसे वित्त पोषण के साधनों का संकेत देना चाहिए।

निष्कर्ष

 लोकलुभावन रियायतों एवं चुनाव-पूर्व प्रलोभनों से कल्याणकारी उपायों को अलग करना या राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा राजकोषीय अवधान के दायित्वों को जोड़ने का कार्य विधायिका द्वारा न कि न्यायपालिका द्वारा किया जाना चाहिए।

स्टीर्किंग टू कमिटमेंट्स, बैलेंसिंग एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट चेंज

नवंबर में मिस्र के शर्म अल-शेख में यूएनएफसीसीसी (कॉप 27) के दलों के 27 वें सम्मेलन से पूर्व, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को प्रदान की है, जो एक औपचारिक वक्तव्य है जिसमें जलवायु परिवर्तन को हल करने हेतु अपनी कार्य योजना का विवरण दिया गया है।

2015 पेरिस समझौता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1992 में, ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां सभी देश एक अंतरराष्ट्रीय संधि में सम्मिलित हुए, जिसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय (यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज/यूएनएफसीसीसी) के रूप में जाना जाता है।
- 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल को अंगीकृत किया गया एवं विधिक रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन लक्ष्यों को कम करने हेतु बाध्य किया गया। हालांकि, यह समझौता सार्थक नहीं हो पाया, क्योंकि विश्व के शीर्ष दो प्रदूषक देशों, चीन तथा अमेरिका ने इसमें भाग नहीं लिया।
- कॉप 17 में, 2015 तक एक नवीन, विस्तृत एवं विधिक रूप से बाध्यकारी जलवायु संधि निर्मित करने हेतु डरबन, दक्षिण अफ्रीका में पेरिस समझौते के लिए वार्ता प्रारंभ हुई। इस संधि में वैश्विक तापन की ओर अग्रसर करने वाले कार्बन एवं गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने तथा कम करने के लिए प्रमुख कार्बन उत्सर्जकों को सम्मिलित करना था।

पेरिस समझौता 22 अप्रैल, 2016 से 21 अप्रैल, 2017 तक हस्ताक्षर के लिए खुला था, यह 4 नवंबर, 2016 को प्रवर्तन में आया। पेरिस समझौता (जिसे पक्षकारों का सम्मेलन 21 या सीओपी 21 भी कहा जाता है) जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय (यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज/यूएनएफसीसीसी) के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है।

- भारत ने अप्रैल 2016 में न्यूयॉर्क में समझौते पर हस्ताक्षर किए
 थे।
- अब तक 191 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- कुल हरित गृह गैस (ग्रीन हाउस गैस) उत्सर्जन के कम से कम 55% के लिए उत्तरदायी अभिसमय के 55 पक्षकारों के अनुसमर्थन के पश्चात यह आधिकारिक तौर पर प्रवर्तन में आया।
- भारत इसका अनुसमर्थन करने वाला 62वां देश था।

लक्ष्य

- इस सदी में वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से
 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के साथ-साथ 2100 तक वृद्धि
 को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना।
- उन देशों की सहायता एवं समर्थन करना जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं।
- विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना।

पेरिस समझौते के 20/20/20 लक्ष्य- पेरिस समझौते का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 20% तक कम करना है एवं नवीकरणीय ऊर्जा बाजार हिस्सेदारी तथा ऊर्जा दक्षता को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

समझौते का अंगीकरण

12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में समझौते को अंगीकृत किया गया था एवं वैश्विक तापन में योगदान करने वाले गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए 22 अप्रैल, 2016 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में, 195 यूएनएफसीसीसी सदस्यों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते ने क्योटो प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित किया है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक समरूपी समझौता था।

सीओपी 21 के दौरान वित्तीय सहायता की शपथ

- 1. पेरिस समझौते के दौरान विकसित देशों ने प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर देने का वादा किया था।
- 2. जलवायु जोखिम एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली (क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम/CREWS) पहल तथा जलवायु जोखिम बीमा के शुभारंभ के लिए, जी 7 देशों ने 420 मिलियन अमरीकी डॉलर की घोषणा की।

(जी 7 देश) - इसमें 7 देश, अर्थात्, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ये देश वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं ऊर्जा नीति सहित अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श करने हेतु प्रतिवर्ष मिलते हैं।

क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के मध्य अंतर

पेरिस समझौता	क्योटो प्रोटोकॉल
1- विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य कोई अंतर नहीं है।	1- विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य अंतर था।
2- देश प्रत्येक 5 वर्ष में अपने आगामी दौर के लक्ष्यों की घोषणा करते हैं।	

सीओपी 21 में भारत

- 1- भारत ने कहा कि विश्व की 1.25 अरब जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीव्र विकास की आवश्यकता है। इसमें से 30 करोड़ लोगों की अभी भी ऊर्जा तक पहुंच नहीं है।
- 2- बढ़ती मांगों के बावजूद, भारत ने प्रति इकाई सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता को 2005 के स्तर के 33-35% तक सीमित करने का संकल्प लिया।
- 3- भारत का लक्ष्य **गैर-जीवाश्म ईंधन के माध्यम से स्थापित क्षमता** के 40% तक पहुंचने का भी है।
- 4- वर्ष 2022 तक भारत ने 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
- 5- भारत ने 2.5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए वन क्षेत्र में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है।

प्रतिबद्धताओं पर कायम रहना

- 2015 में भारत के पहले एनडीसी ने आठ लक्ष्यों को निर्दिष्ट किया, उनमें से सर्वाधिक प्रमुख- 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता को 33% -35% (2005 के स्तर का) कम करना, इसकी स्थापित ऊर्जा क्षमता का 40% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना एवं 2030 तक वन तथा वृक्षावरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करना।
- 2021 में ग्लासगो में सीओपी 26 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच प्रतिबद्धताएं या 'पंचामृत', प्रस्तुत की जैसा कि सरकार इसका संदर्भ देती है, जिसमें भारत अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाना एवं 2070 तक "निवल शून्य" प्राप्त करना, या ऊर्जा स्रोतों से उत्सर्जित कोई शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, का लक्ष्य शामिल है।
- भारत अपने मौजूदा लक्ष्यों को 2030 की समय-सीमा से काफी पहले प्राप्त करने की राह पर है।
- भारत की 403 गीगावॉट की वर्तमान स्थापित ऊर्जा क्षमता का
 प्रतिशत अब गैर-जीवाश्म ईंधन द्वारा संचालित है।
 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली अधिकांश नई
 क्षमता वृद्धि के साथ, ऊर्जा उत्पादन में गैर-जीवाश्म ईंधन की
 हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत की वृद्धि एक अवास्तविक लक्ष्य नहीं

PRIME MINISTE ANNOUNCED IN	R'S PANCHAMRIT GLASGOW
Promise	Whether included in new NDC
Non-fossil fuel electricity installed capacity to reach 500 GW	Not included
At least 50 per cent of total installed electricity generation capacity to come from non-fossil fuel sources	Included
Reduction of one billion tonnes of carbon dioxide equivalent from cumulative projected emissions between now and 2030	Not included
At least 45 per cent reduction in emission intensity of GDP by 2030	Included
Net zero status by 2030	Never intended to be part of NDC

आगे की राह

- जबिक भारत अपने उत्सर्जन मार्ग को निर्दिष्ट करने के अपने अधिकार सीमा के भीतर है, उसे किसी भी मंच पर - जितना वह प्रदान कर सकता है उससे अधिक वादा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उस नैतिक अधिकार को कमजोर करता है जिसे भारत भविष्य की वार्ताओं में लाएगा।
- भारत ने अनेक विधानों के माध्यम से ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अपनी मंशा व्यक्त की है एवं इसके कई बड़े निगमों ने प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों से दूर जाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- आगे बढ़ते हुए, ये भारत के लिए अपनी गित से, ऊर्जा के उपयोग,
 विकास एवं जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक उदाहरण होने के लिए आधार होना चाहिए।

द कमिंग 75 इयर्स

जैसा कि भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है, यह कल्पना करना उपयुक्त है कि आगामी 75 वर्ष क्या होंगे।

 क्या हमारा देश, राजनीति, बॉलीवुड एवं क्रिकेट के प्रति आसक्ति, आगामी 75 वर्षों को प्रत्येक नागरिक के लिए उच्च जीवन स्तर के साथ एक स्पृहणीय युग बनाने की आकांक्षा कर सकता है?

भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ संबद्ध चिंताएं

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अपर्याप्त निवेश: भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% अनुसंधान एवं विकास (रिसर्च एंड डेवलपमेंट/आर एंड डी) पर व्यय करता है।
 - दूसरी ओर, इजराइल एवं दक्षिण कोरिया प्रमुख उदाहरण हैं जो अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अनुसंधान एवं विकास पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% व्यय संचालित करते हैं।
- अक्षम कार्यान्वयन: यद्यपि वैज्ञानिकों को उनके संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान अनुदान वितरित करने हेतु एक उचित रूप से सुपरिभाषित प्रणाली है, यह अक्षमताओं में फंस गया है।
- भारत में वैज्ञानिक समुदाय के समक्ष अन्य प्रमुख चुनौतियां:
 - वित्तीयन एजेंसियों में अपर्याप्त स्टाफ,
 - निधि वितरण में पारदर्शिता की कमी,
 - एक कठोर अंतरराष्ट्रीय मानक समीक्षा एवं प्रतिक्रिया प्रक्रिया का अभाव,
 - निधि संवितरण में अत्यधिक विलंब, तथा
 - एक पुरानी मूल्यांकन प्रणाली।

आगामी 75 वर्ष - भारत को वैज्ञानिक शक्ति बनाना

भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आगामी 75 वर्षों में भारत को वैज्ञानिक महाशक्ति बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-

अनुसंधान एवं विकास बजट को देश के सकल घरेलू उत्पाद के
 4% तक बढ़ाना: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 4% अनुसंधान

एवं विकास पर व्यय करना विज्ञान एवं नवाचार को संचालित करने हेत् आवश्यक है।

- यद्यपि, नवाचार हेतु विज्ञान के बजट में वृद्धि को उचित वृहद (मैक्रो)-स्तरीय नीतिगत परिवर्तनों से पहले होना चाहिए कि धन कैसे और कहाँ व्यय किया जाना चाहिए।
- इस वृद्धि का एक हिस्सा संपूर्ण देश में, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में भौतिक और बौद्धिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- प्रथम श्रेणी की आधारिक अवसंरचना के साथ सुप्रशिक्षित,
 वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी संस्थागत प्रशासक और प्रक्रियाएं
 होनी चाहिए।
- भारत वैश्विक मंच पर तब तक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता जब तक उसके विश्वविद्यालयों के हासोन्मुख बुनियादी ढांचे को उन्नत नहीं किया जाता।
- यह सुनिश्चित करना कि अलग-अलग संस्थान बड़े बजट को समायोजित करने हेतु प्रक्रियाओं को लागू करते हों: किसी भी नीतिगत परिवर्तन के प्रभावी होने से पूर्व, अलग-अलग संस्थानों को बड़े बजट को समायोजित करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए।
 - इसके लिए संस्थानों में प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने एवं कुछ वैश्विक समकक्षों से सर्वोत्तम पद्धतियों को ग्रहण करने की आवश्यकता है।
 - उदाहरण के लिए, जब सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, तो प्रत्येक अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान के पास प्रभावी अकादिमक-उद्योग सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने वैज्ञानिकों के अनुरोधों को प्रबंधित करने हेतु आंतरिक प्रक्रियाएं होनी चाहिए।
 - उद्योग से सर्वोत्तम पद्धितयों को लाना एवं क्रियान्वित करना तथा विदेशों में सर्वश्रेष्ठ संचालित विज्ञान अनुदान प्रशासन में से कुछ को लागू करना।
 - संपूर्ण विश्व में पासपोर्ट सेवाओं को रूपांतरित करने में सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख, टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग की भागीदारी हमें आशा देती है।
- व्यक्तिगत उद्यमियों को प्रोत्साहित करना एवं विज्ञान को समाज से जोड़ना: यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों को जन-जन तक पहुंचाने का समय है।
 - व्यक्तिगत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने एवं सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त ऐसा करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है।
 - अनेक सकारात्मक नीतिगत परिवर्तनों के साथ इस पर सरकार का ध्यान बढ़ा है।
- लैब टू लैंड इम्प्लीमेंटेशन: रचनात्मक विचारों के लिए हमारे विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं से बेहतर कोई पालना नहीं है।
 - हमारे समाज के लिए नवोन्मेषी विचारों, उत्पादों एवं समाधानों को वातायन करने के लिए उद्यमियों के साथ प्रयोगशालाओं को जोड़ने हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता है।

- ऐसा करने के लिए, विश्वविद्यालयों को वैज्ञानिकों को नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए एवं विचारों को प्रयोगशालाओं से बाहर निकालने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए।
- भारत में उद्यमिता तभी सफल होगी जब उसे विचारों का एक वातायन एवं उन विचारों को हमारे विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं से बाहर निकालने की उदार प्रक्रिया का समर्थन प्राप्त होगा।

निष्कर्ष

 भारत को यह महसूस करना चाहिए कि युद्ध की आगामी पीढ़ी आर्थिक है, सैन्य नहीं एवं मात्र एक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था ही हमें इसके लिए तैयार कर सकती है।

कानून प्रवर्तन के लिए 5जी रोल-आउट के निहितार्थ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घोषणा की कि भारत में 5जी का परिनियोजन उम्मीद से जल्दी प्रारंभ होगा।

सुरक्षा सुनिश्चित करना

- 5जी का प्रारंभ पुलिस को वास्तविक समय में महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंचने एवं अपराधियों को पकड़ने में सहायता करके दक्षता, उत्पादकता एवं सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैयार है।
- 5G में उच्च बैंडविड्थ एवं निम्न प्रसुप्ति काल है, अतः इसे अपनाने से पुलिस उपकरणों जैसे बॉडी कैम, चेहरे की पहचान तकनीक, स्वचालित नंबर-प्लेट पहचान, ड्रोन एवं सीसीटीवी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित होगा।
- 5G स्पष्ट छिवयों को प्रसारित करने का वादा करता है जो पुलिस के कार्य को सरल करेगा, जो वर्तमान में, प्रायः उपकरणों से धुंधली छिवयों को देखते हैं एवं मामलों पर काम करते समय उन्हें समझने का प्रयास करते हैं।
- 5G द्वारा वादा की गई बढ़ी हुई भंडारण क्षमता पुलिस को अपनी जांच विधियों को कारगर बनाने की अनुमित प्रदान करेगी।
- 5G संगठन के भीतर एवं साथ ही नागरिकों तथा आपातकालीन उत्तरदाताओं के मध्य त्वरित एवं सुरक्षित संचार की अनुमति प्रदान करेगा।
- 5G के साथ, पुलिस अपराध डेटा एवं ट्रैफिक लाइट जैसे अन्य बुनियादी ढांचे से जानकारी का दूरस्थ रूप से उपयोग एवं विश्लेषण कर सकती है।

5G को अपनाने में चुनौतियां

- सरकार एवं दूरसंचार कंपनियों को सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास 5G द्वारा प्रस्तुत की गई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।
- अधिकांश पुलिस प्रणालियाँ अप्रचलित हो चुकी (पुरानी) हैं एवं हो सकता है कि 5G के साथ संगत न हों। इस प्रौद्योगिकी अंतराल को पाटने के लिए पुलिस को आधुनिक उपकरणों, सॉफ्टवेयर एवं बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए।

साइबर सुरक्षा चिंताएं

- जब हमारे पास एक अस्थिर साइबर सुरक्षा नींव है, तो 5G को परि नियोजित करना नरम रेत पर एक संरचना को खड़ा करने जैसा है।
- चूंकि 5G एक सॉफ्टवेयर-परिभाषित डिजिटल अनुपथन है, जो इसे साइबर खतरों जैसे बॉटनेट हमलों, मैन-इन-द-मिडल हमलों एवं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (DDoS) ओवरलोड के प्रति अतिसंवेदनशील बनाता है।
- इसके अतिरिक्त, चूंकि 5G में आद्यांत कूट लेखन (एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन) का अभाव है, हैकर्स अपने हमलों की अधिक सटीक साजिश रच सकते हैं एवं सिस्टम में हैकिंग या अवैध सामग्री का प्रसार करके साइबर अपराध को अंजाम दे सकते हैं।
- 5G के कारण बैंडविड्थ विस्तार अपराधियों को सरलता से एवं समय के साथ डेटाबेस का प्रसार करने में सक्षम करेगा, क्योंकि
 5G अतिरिक्त उपकरणों से जुड़ता है, जिससे हमलों की आवृत्ति बढ़ सकती है।
- 5G अपराधियों के लिए साइबर बुलिंग को सरल बना सकता है। कई आपराधिक समूहों के बीच रीयल-टाइम संचार क्षमताओं के कारण आपराधिक समूह सरलता से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (DDoS) हमलों का समन्वय करने में सक्षम हो सकते हैं। वे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों को भी हैक कर सकते हैं एवं सुदूर स्थानों से भी अपराध कारित कर सकते हैं। सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों की सुरक्षा पैचिंग अंततः आवश्यक हो सकती है।
- 5G से आतंकवादी भी लाभान्वित हो सकते हैं क्योंिक इंटरनेट की उच्च गति उन्हें अधिक तेज़ी से एवं सटीक रूप से हमलों को अंजाम देने की अनुमति देती है।
- 5G के साथ, आतंकवादी शारीरिक रूप से यात्रा किए बिना या टेलीफोन का उपयोग किए बिना हमलों की योजना बना सकते हैं, जो विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए कार्रवाई करने के लिए एक निशान छोड़ सकता है।

क्या किया जा सकता है?

- अधिकारियों को 5जी तकनीक द्वारा सुगम अपराधों को रोकने के उपाय अपनाने होंगे।
- पहला, पुलिस को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी ताकि वे 5G-सक्षम नवीन प्रकार के अपराधों को पहचान सकें।
- दूसरा, ऐसे अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। इसमें नए प्रकार के अपराधों एवं उनकी रोकथाम के लिए संभावित परिदृश्यों की पहचान करना सम्मिलित है।
- तीसरा, सरकार एवं दूरसंचार कंपनियां नए अपराधों की निगरानी एवं पहचान करने तथा जवाबी उपायों को विकसित करने के लिए 5जी अपराध निगरानी कार्य बल गठित करने के बारे में सोच सकती हैं।
- चौथा, ऐसे नियम बनाना अनिवार्य है जो लोगों के लिए अपराध कारित करने के लिए 5G तकनीक का उपयोग करना अपराध बना दें। इस तरह के विनियमन से अपराधियों को चोरी के अथवा नकली उपकरणों का उपयोग करने से रोकने में सहायता प्राप्त

हो सकती है क्योंकि दूरसंचार कंपनियां उपकरण के स्थान को ट्रैक करने तथा इसे दूर से बंद करने में सक्षम होंगी।

- पांचवां, विनियमों में दूरसंचार कंपनियों के लिए भी आवश्यक हो सकता है कि वे पुलिस अधिकारियों को उनके उपकरणों तक पहुंच की अनुमित प्रदान करें तािक पीडि़तों एवं अपरािधयों के स्थान को ट्रैक करने के लिए 5G-सिविधा वाले अपराधों का प्रतिकार किया जा सके। ये उपाय न केवल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा कर सकते हैं बिल्क 5G तकनीक का उपयोग करके निजी नागरिकों को साइबर हमलों से भी बचा सकते हैं।
- अंत में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 5G-सुविधा वाले अपराधों के पीड़ितों की पहचान करने, उनका पता लगाने एवं ऐसे अपराधों के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए रणनीति विकसित करनी होगी।

निष्कर्ष

5जी का प्रारंभ (रोल-आउट) कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए गेम-चेंजर सिद्ध होगा। इससे पुलिस को अपराध से प्रभावी ढंग से लड़ने में सहायता प्राप्त होगी। वहीं, 5जी का आपराधिक उपयोग अपरिहार्य है। इस संदर्भ में, भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की हालिया सिफारिश में सरकार को 5G को सर्वोत्तम संभव तरीके से लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय रोडमैप विकसित करने हेतु विधि प्रवर्तन आवश्यकताओं को शामिल करना चाहिए।

टू गुड टू बी टू

हाल ही में, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी की सोशल मीडिया पर घोषणा कि सरकार ने लगभग 1,100 रोहिंग्या प्रवासियों को घर देने का निर्णय लिया है, विवाद का विषय बन गया।

रोहिंग्या आवास विवाद- समाचारों में

- पुरी ने कहा कि अस्थायी झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी रोहिंग्या, सुविधाओं के साथ फ्लैटों में रहना, "टू गुड टू बी टू" सिद्ध हुआ।
- श्री पुरी ने जो ब्योरा साझा किया, साथ ही 2021 के दस्तावेजों से पता चला कि सरकार वास्तव में रोहिंग्या को स्थानांतरित करने पर विचार कर रही थी, जो उनके पिछले घरों को जला दिए जाने के पश्चात, एक इस्लामिक चैरिटी द्वारा दान की गई भूमि पर रहते हैं।
- यद्यपि, श्री पुरी को गृह मंत्री कार्यालय द्वारा प्रतिरोध किया गया था, जिसने (गृह मंत्री कार्यालय) उन्हें "अवैध विदेशी" घोषित करते हुए इस तरह के किसी भी अभिप्राय से इनकार किया था।

रोहिंग्या के आवास विवाद पर सरकार का रुख

- गृह मंत्रालय के कार्यालय ने कहा कि योजना शरणार्थी रोहिंग्या (अवैध विदेशियों) को उनके वर्तमान घरों में रखने की थी।
- इन घरों को सुधार गृह (डिटेंशन सेंटर) के रूप में नामित किया जाएगा, जबकि सरकार ने इन्हें म्यांमार वापस भेजने के प्रयास जारी रखे हैं।

संबद्ध चिंताएं

- रोहिंग्याओं के साथ मानवीय व्यवहार से इनकार: सरकार एवं संबंधित व्यक्तियों के अनेक कदम इस बात का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए-
 - ० केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रवासियों को 'दीमक' बताया,
 - उन्होंने संसद में कहा कि भारत रोहिंग्या को "कभी स्वीकार नहीं करेगा", एवं
 - भारत ने इस वर्ष म्यांमार में एक रोहिंग्या महिला को निर्वासित करके संयुक्त राष्ट्र के गैर-प्रतिशोध के सिद्धांत का भी उल्लंघन किया।
- "वसुधैव कुटुम्बकम" दर्शन के विरुद्ध: राज्य प्रायोजित जातीय निर्मलन के पश्चात 2012 एवं 2017 में भारत भाग कर आए रोहिंग्या का उपचार भारत के "वसुधैव कुटुम्बकम" के दर्शन के विरुद्ध रहा है। उदाहरण के लिए-
 - राजस्थान एवं हरियाणा में रोहिंग्याओं को घरों से निकाल दिया गया है।
 - स्थानीय अधिकारियों तथा खुफिया एजेंसियों द्वारा कलंकित किया गया जो उन पर आपराधिक एवं यहां तक कि आतंकवादी अभिप्राय का आरोप लगाते हैं।
- "क्षेत्रीय नेता" छवि को कमजोर करना: नई दिल्ली अब तक विफल रही है-
 - अपने नागरिकों को घर एवं सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए स्यांमार को मनाने में "क्षेत्रीय नेता" के रूप में अपनी भूमिका निभाने हेतु, अथवा
 - उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए ढाका एवं नायपीडाँ के मध्य मध्यस्थता वार्ता में:

आगे की राह

- विदेश नीति प्रतिबद्धताओं एवं घरेलू राजनीति के मध्य संतुलन:
 रोहिंग्या आवास मुद्दा मोदी सरकार की विदेश नीति
 प्रतिबद्धताओं एवं उसकी घरेलू राजनीति के मध्य टकराव का
 एक उदाहरण प्रतीत होता है।
- शरणार्थियों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के प्रति सम्मान,
 1951: यद्यपि भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है,
 भारत को इसका पालन करना चाहिए एवं इसका सम्मान करना चाहिए,
 विशेष रूप से जब बलपूर्वक विस्थापित रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति उचित व्यवहार की बात आती है।

निष्कर्ष

 रोहिंगा शरणार्थी मुद्दे को हल करने के लिए दीर्घकालिक उपायों के अभाव में, भारत सरकार कम से कम असहाय रोहिंग्या समुदाय को निवास की बेहतर स्थिति प्रदान कर सकती है, जब तक कि उनका भविष्य सुरक्षित न हो जाए।

अभ्यास प्रश्नावली

प्रश्न सेट 01

- 1. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
 - 1. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) को एक वैधानिक प्राधिकरण बनाना है।
 - 2. डोपिंग रोधी विनियमन और डोपिंग रोधी पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर सरकार को सिफारिशें करने के लिए विधेयक खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है।
 - इसके अंतर्गत डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन होने पर नाडा सार्वजनिक रूप से एथलीट से जुड़ी कुछ जानकारियों का खुलासा कर सकता है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 2. विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
 - 1. यह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत स्थापित <mark>किया</mark> गया था
 - 2. इसका मुख्यालय पेरिस में है।
 - 3. वाडा को खेल में डोर्पिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2005) द्वारा मान्यता प्राप्त है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
 - 1. दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (आरईई) में लैंथेनाइड्स श्रृंखला प्लस स्कैंडियम और इटियम के अंतर्गत 15 तत्व सम्मिलित हैं।
 - 2. हल्के आरई तत्व (एलआरईई) निकालने योग्य मात्रा में भारतीय जमा में उपलब्ध नहीं हैं
 - 3. आरईई के वैश्विक उत्पादन में चीन भारी आरई तत्वों एचआरईई के लिए उच्चतम आयात के साथ शीर्ष पर है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 4. खनिज सुरक्षा भागीदारी (एमएसपी) के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
 - यह 11 देशों की अमेरिका की अगुवाई वाली साझेदारी पहल है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है
 - 2. भारत हाल ही में इसमें सम्मिलित हुआ है।
- इसका उद्देश्य रणनीतिक अवसरों को विकसित करने के लिए सरकारों और निजी क्षेत्र से निवेश को उत्प्रेरित करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
 - 1. सैन्य और रक्षा के लिए खनिजों को महत्वपूर्ण खनिज कहा जाता है जबिक खनिज जिनकी आपूर्ति के लिए खतरा अर्थव्यवस्था को बाधित और हानि पहुंचा सकता है उन्हें सामरिक खनिज कहा जाता है
 - 2. एक महत्वपूर्ण खनिज संकटग्रस्त हो सकता है या नहीं भी लेकिन एक संकटग्रस्त खनिज सदैव महत्वपूर्ण खनिज होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 - (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
- 6. पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार आर्द्रभूमि में _____ सम्मिलित हैं
 - 1. मार्श, फेन या पीटलैंड का प्राकृतिक और कृत्रिम क्षेत्र नहीं
 - 2. समुद्री जल के क्षेत्र की गहराई लघु ज्वार से छह मीटर से अधिक नहीं होती है
 - 3. बहते नदी नाले
 - 4. स्थायी या अस्थायी जल निकाय जो स्थिर या बहता है जिसमें ताजा, खारा या समुद्री जल होता है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1,2,3 और 4
- (b) 2 और 4
- (c) 1,3 और 4
- (d) 1,2 और 3
- 7. रामसर साइट होने के लिए, हालांकि, इसे 1971 के रामसर कन्वेंशन द्वारा परिभाषित नौ मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है?
 - (a) मछिलयों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत, स्पॉर्निंग ग्राउंड, नर्सरी और/या प्रवास पथ जिस पर मछिली का स्टॉक निर्भर है
 - (b) नियमित रूप से 20,000 या अधिक जलपक्षियों को समर्थन करता है
 - (c) वाटरबर्ड की एक प्रजाति या उप-प्रजाति की जनसंख्या में 1% व्यक्तियों का नियमित रूप से समर्थन करता है
 - (d) उपरोक्त सभी रामसर कन्वेंशन 1971 के मानदंड हैं
- 8. रामसर स्थलों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
 - 1. रामसर 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है।
 - 2. भारत ने 1981 में कन्वेंशन की पृष्टि की।
 - 3. वर्तमान में, भारत में 64 रामसर स्थल हैं।
 - तिमलनाडु में भारत में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है।

सितंबर 2022 | करेंट अफेयर्स पत्रिका

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1,2,3 और 4
- (b) 2 और 4
- (c) 1,3 और 4
- (d) 1,2 और 3
- 9. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?

रामसर स्थल

राज्य

- (a) कृन्थान्कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु
- (b) नंदा झील

गोवा

(c) रंगाथिटट् पक्षी अभयारण्य

केरल

(d) सिरपुर आर्द्रभूमि

मध्य प्रदेश

- 10. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 - इन दस गैर-स्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 जनवरी से आरम्भ होने वाले दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
 - 2. अफ्रीकी महाद्वीप में अस्थाई सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर

- 1. (d):
- 2. (c):
- 3. (c):
- 4. (c):
- 5. (a):

- 6. (b):
- 7. (d):
- 8. (d):
- 9. (c):
- 10. (c):

सेट - 02

- 1. निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) का भाग हैं?
 - 1. चीन

- 2. फ्रांस
- 3. जर्मनी
- 4. रूस

5. ईरान

निम्नलिखित मे से सही कूट का चयन कीजिए:

- (a) 1, 2, 3, और 5
- (b) 2,3 और 5
- (c) 1, 2 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5
- 2. उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
 - 1. सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सम्मिलित हैं
 - 2. यह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करता है।
 - 3. संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख क्रमिक संशोधनों द्वारा किया गया था
 - 4. कॉलेजियम सरकार को वीटो कर सकता है यदि बाद वाले द्वारा नाम पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1,2 और 3
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 4
- (d) 1,2,3 और 4
- 3. प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
 - (a) ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है
 - (b) प्रवाल भित्तियों की स्थिति को मापने के लिए कठोर प्रवाल को मापना एक व्यापक रूप से स्वीकृत मीट्रिक है।

- (c) प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय जल में अच्छी तरह से जीवित रहती हैं और ठंडे पानी में नहीं पाई जाती हैं।
- (d) प्रक्षालित मूंगा एकल-कोशिका वाले शैवाल के निष्कासन को संदर्भित करता है जिसे ज़ोक्सांथेला कहा जाता है
- 4. एसएसएलवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 - यह उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए तीन ठोस ईंधन-आधारित चरणों और एक तरल ईंधन-आधारित वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल (वीटीएम) का उपयोग करता है।
 - 2. इसने दुनिया भर के वाणिज्यिक छोटे उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में भारत के अधिकांश अंतरिक्ष प्रक्षेपणों को पूर्ण किया है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 - (a) केवल 1
- (b) <mark>केवल 2</mark>
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
- 5. भारतीय आभासी हर्बेरियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
 - 1. इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध पुष्प और जीव विविधता पर ऑनलाइन जानकारी प्रदान करना है।
 - 2. यह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) द्वारा विकसित किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
- 6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 - पाइरीन चार बेंजीन के छल्ले से बना है जो पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएच) के अत्यधिक विषैले वर्ग से संबंधित हैं।
 - 2. ट्रमेटेसमैक्सिमाआईआईपीएलसी-32 एक सफेद सड़ांध कवक है जिसमें पाइरीन के माइक्रोबियल क्षरण का कारण बनने की क्षमता है

सितंबर 2022 || करेंट अफेयर्स पत्रिका

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
- 7. भारत बिल भुगतान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 - 1. इसे आरबीआई द्वारा विकसित किया गया था
 - बीबीपीएस केवल 'भारत में रहने वाले' लोगों के लिए उपलब्ध है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2
- 8. हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन 'स्काईलाइट' संबंधित है-
 - (a) थियानमेन चौक नरसंहार से
 - (b) 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति संग्राम के दौरान सामूहिक जनसंहार से
 - (c) इसके उपग्रह आधारित प्रणालियों की परिचालनात्मक तत्परता का परीक्षण से
 - (d) बाजार में नकली दवाओं को जब्त करने से

9. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए-

रामसर स्थल स्थान

- 1. उदयमार्थंदपुरम पक्षी अभयारण्य- केरल
- 2. वेलोड पक्षी अभयारण्य- तमिलनाडु
- 3. सिरपुर वेटलैंड- मध्य प्रदेश

ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 10. उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 - 1. उन्हें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल चुना जाता है
 - 2. राज्य विधानसभाएं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती हैं।
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3

उत्तर

- 1. (d):
- 2. (c):
- 3. (c):
- 4. (a):
- 5. **(b)**:

- 6. (c):
- 7. (d):
- 8. (c):
- 9. (b):
- 10. (a):

<u> सेट - 03</u>

- 1. अटल पेंशन योजना (APY) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
 - (a) APY को 2016 में लॉन्च किया गया था
 - (b) APY 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बचत बैंक / डाकघर बचत बैंक खाताधारकों के लिए खुला है
 - (c) सब्सक्राइबर्स को 60 साल के बाद गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये - 5000 रुपये मिलेगी
 - (d) सभी सही है
- 2. प्रशांत द्वीप समूह फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
 - (a) यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य ओशिनिया के देशों और क्षेत्रों के बीच व्यापार ब्लॉक और शांति अभियानों के संबंध में सहयोग बढ़ाना है।
 - (b) भारत इसका हिस्सा है।
 - (c) यह दुनिया की आधी टूना मछली प्रदान करता है।
 - (d) यह संयुक्त राष्ट्र महासभा पर्यवेक्षक है
- 3. डिप्थीरिया और खसरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये
 - 1. डिप्थीरिया और खसरा दोनों ही वायरल संक्रमण हैं।

- 2. दो<mark>नों हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे</mark> व्यक्ति में फैल सकते हैं।
- 3. दोनों की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 4. बाल आधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 - 1. 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को UIDAI द्वारा बाल आधार जारी किया जाता है
 - 2. यह नीले रंग में जारी किया जाता है।
 - यह बच्चे के चेहरे की छिव और माता-िपता/अभिभावक के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 5. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 - 1. यह एक कार्यकारी संकल्प द्वारा बनाया गया एक गैर-सांविधिक निकाय है

सितंबर 2022 | करेंट अफेयर्स पत्रिका

- 2. भारत के सभी निवासियों को 12-अंकीय विशिष्ट पहचान (युआईडी) संख्या प्रदान करना अनिवार्य है।
- 3. यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 6. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये:
 - 61वां संविधान संशोधन अधिनियम मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।
 - 91वां संविधान संशोधन अधिनियम मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की संख्या का 15 प्रतिशत तय की गई
 - 7वां संशोधन अधिनियम भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को पेश किया।

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) एक युग्म
- (b) दो युग्म
- (c) तीन युग्म
- (d) कोई नहीं
- 7. विश्व जनसंख्या विवरणिका रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 - 1. यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया जाता है।
 - 2. रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण (डीटी) के तीसरे चरण में है, जहां लगातार कम मृत्यु दर और तेजी से घटती प्रजनन क्षमता है

- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) ना तो 1 और ना ही 2
- 8. नागोर्नो-कराबाख क्षेत्र हाल ही में समाचारों में देखा गया। यह के मध्य एक विवादित क्षेत्र है?
 - (a) सीरिया और इज़राइल
 - (b) यमन और सऊदी अरब
 - (c) जिबूती और दक्षिण सूडान
 - (d) अज़रबैजान और आर्मेनिया
- अभ्यास-वज्र प्रहार भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है?
 - (a) दक्षिण कोरिया
- (b) अमेरीका
- (c) जापान
- (d) यूके
- निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये रामसर साइट-स्थान
 - 1. यशवंत सागर आर्द्रभूमि-मध्य प्रदेश
 - 2. वडुवुर पक्षी अभयारण्य-केरल
 - शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन-जम्मू और कश्मीर उपर्युक्त दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 - (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3

उत्तर

1. (b):

6. (c):

- 2. (b):7. (b):
- 3. (a):
- 8. (d):
- 4. (d):
- 5.
- (b):

- d):
- 9. (b):
- 10. (c):

<u>सेट - 04</u>

- विकास वित्तीय संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
 - 1. डीएफआई फंड जुटाने के लिए लोगों से जमा स्वीकार करते हैं।
 - 2. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अल्पावधि के साथ-साथ दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए डीएफआई की स्थापना की गई है।
 - 3. नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एनबीएफ़आईडी को एक लाख करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के रूप में स्थापित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) केवल 3
- (b) 2 आर 3 (d) 1,2 और 3

- एंडोसल्फान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
 - 1. यह एक ऑर्गेनोक्लोरिन कीटनाशक है जिसे आमतौर पर थियोडन के नाम से जाना जाता है।
 - 2. यह वर्तमान में या तो पूर्व सूचित सहमित पर रॉटरडैम कन्वेंशन या स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध नहीं है।
 - 3. यह एक संभावित जैव संचयक है और अंतःस्रावी व्यवधान के रूप में कार्य करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 1 और 3
- (c) 2 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 3. राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
 - यह समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

सितंबर 2022 | करेंट अफेयर्स पत्रिका

- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में है।
 ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1 और 2

(b) 2 और 3

(c) केवल 3

- (d) 1,2 और 3
- 4. 'अल-हिलाल' और 'अल-बालाघ' पत्रिकाएँ किसके द्वारा प्रकाशित की गईं?
 - (a) मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
 - (b) अरबिंदो घोष
 - (c) एमजी रानाडे
 - (d) बदरुद्दीन तैयबजी
- 5. फीफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
 - 1. यह एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर का अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है।
 - 2. भारत फीफा के संस्थापक सदस्यों में से एक था।
 - 3. इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
 - 1. वेब 1.0 "केवल-पढ़ने के लिए वेब" को संदर्भित करता है।
 - 2. वेब 2.0 "सहभागी सामाजिक वेब" को संदर्भित करता है।
 - 3. वेब 3.0 "वेब पढ़ना, लिखना, निष्पादित करना" को संदर्भित करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1,2 और 3
- (d) 1 और 3
- 7. पारंपरिक ज्ञान डिजिट<mark>ल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) के संबंध में</mark> निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- 1. यह पेटेंट के माध्यम से देश के पारंपरिक औषधीय ज्ञान के दुरूपयोग को रोकने का प्रयास करता है।
- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) दोनों 1 और 2
- (d) न तो 1 और न ही 2
- 8. हाल ही में खबरों में रहा "मेगालोडोन" शब्द है-
 - (a) मैलवेयर
 - (b) सबसे बड़ी समुद्री मछली।
 - (c) अब तक का सबसे बड़ा शिकारी जानवर।
 - (d) पश्चिमी घाटों में वनस्पति की नई खोजी गई आक्रामक प्रजातियां।
- 9. संशोधित ब्याज सबवेंशन स्कीम (एमआईएसएस) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
 - 1. इसके तहत, बैंक सभी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 7% पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है और शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए 3% अतिरिक्त सबवेंशन देता है।
 - 2. इस योजना की नोडल एजेंसी नाबार्ड और आरबीआई हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 - (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) दोनों 1 और 2
- (d) न तो 1 और न ही 2
- 10. गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
 - 1. यह गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
 - 2. साबरी, प्राणहिता नाद मंजीरा इसकी बाईं ओर की सहायक नदियाँ हैं।
 - यह महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के पास उगता है।
 ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 - (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3

उत्तर

- 1. (c):
- 2. (b):
- 3. (c):
- 4. (a):
- 5. (c):

- 6. (c):
- 7. (a):
- 8. (c):
- 9. (c):
- 10. (c):

<u>सेट - 05</u>

- 'विझिंजम समुद्री बंदरगाह 'हाल ही में समाचारों में देखागया है, यह कहाँ स्थित है?
 - (a) एन्नोर, तमिलनाडु
- (b)कोचीन, केरल
- (c) त्रिवेंद्रम, केरल
- (d) मैंगलोर, कर्नाटक
- 2. ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किजिए।
 - 1. यह एक मध्यम दूरी की स्टील्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है।
- यह उच्च सटीकता के साथ आग और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करता है।
- 3. इसे भारतीय सेना के तीनों डिवीजनों में शामिल किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b)2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 3. अक्सर खबरों में रहने वाली "सीएसएआई मैच" तकनीक का संबंध किससे है-

सितंबर 2022 || करेंट अफेयर्स पत्रिका

- (a) एक विशिष्ट समय अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र से जैव विविधता हानि को ट्रैक करना।
- (b) चेहरे की विशेषताओं के आधार पर अपराधियों की पहचान
- (c) डेटा एक्सचेंजिंग प्रक्रिया पर इंटरनेट कनेक्शन सुरक्षित
- (d) सोशल मीडिया पर बाल शोषण को ट्रैक करना।
- 4. जेम्स वेब टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किजिए।
 - 1. जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से विकसित किया गया था।
 - 2. यह पथ्वी के चारों ओर परिक्रमा नहीं करता बल्कि यह दूसरे लैग्रेंज बिंदु या एल2 के चारों ओर परिक्रमा करता है।
 - 3. यह दूर की आकाशगंगाओं को पकड़ने के लिए अंतरिक्ष में सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b)2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 5. कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किजिए।
 - 1. इसका उद्देश्य अभियुक्त व्यक्तियों को आपराधिक मुकदमों में अपना बचाव करने के लिए मुफ्त कानुनी सहायता प्रदान
 - 2. इसे कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 - (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) दोनों 1 और 2
- (d) न तो 1 और न ही 2
- 6. सामाजिक अवधारणा जहां दो या दो से अधिक समृह एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपनी संस्कृतियों के आदान-प्रदान के पहलुओं जैसे कि अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए दूसरे के मूल्यों और प्रथाओं का आदान-प्रदान करते हैं, उन्हें कहा जाता है-
 - (a) संस्कृति
- (b) उत्संस्करण
- (c) एनोमी
- (d) जातीयतावाद
- 7. तियांगोंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किजिए।
 - 1. यह टी-आकार का चीन का नया स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन है।

- 2. चीन इतिहास में तीसरा ऐसा देश है जिसने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा और एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया।
- 3. भारत ने अंतरिक्ष स्टेशन पर स्वदेश निर्मित स्पेक्ट्रोस्कोप स्थापित किया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b)2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 8. वीआरएसएएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार
 - 1. यह एक कनस्तरीकृत प्रणाली है, जिसे 40 से 50 किमी की सीमा में उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर प्रहार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
 - 2. इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
 - (a) केवल 1
- (b)केवल 2
- (c) दोनों 1 और 2
- (d) न तो 1 और न ही 2
- 9. भारतीय ओलंपिक संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किजिए।
 - 1. भारतीय ओलंपिक संघ भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए शासी निकाय है।
 - 2. कार्यकारी परिषद का चुनाव हर 4 साल में एक बार होता है।
 - 3. यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b)2 और 3
- (c) 1 और 3
- (d) 1,2 और 3
- 10. बीआईएस फिनोल ए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
 - (a) यह एक रंगहीन ठोस है जो कार्बनिक सॉल्वैंट्स में घुलनशील है, लेकिन पानी में खराब घुलनशील है।
 - (b) इसका उपयोग प्लास्टिसाइज़र के रूप में पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिन के निर्माण की प्रक्रिया में किया जाता है।
 - (c) बीपीए को अंतःस्रावी विघटनकर्ता के रूप में जाना जाता है।
 - (d) सभी सही हैं

उत्तर

- 1. (c):
- 2. (d):
- 3. (d):
- 4. (d):
- 5. (a): (d):

- 6. (b):
- 7. (a):
- 8. (a):
- 9. (a):
- **10**.







Start Dec 19, 2022

TEST SERIES BILINGUAL



UPSC CSE PRELIMS 2023

Complete Online Test Series


75+ TOTAL TESTS















12 Months Validity

<u>વશાलા 2.0</u> 68th BPSC बिहार PCS Prelims (P.T.) Final Selection batch 12 PM to 4 PM



70+ TOTAL TESTS

PRELIMS